ISSN 0970-9312

प्राथमिक शिक्षक

शैक्षिक संवाद की पत्रिका

वर्ष 47 अंक 2 अप्रैल 2023

पत्रिका के बारे में

प्राथमिक शिक्षक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षकों और संबद्ध प्रशासकों तक केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित जानकारियाँ पहुँचाना, उन्हें कक्षा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली सार्थक और संबद्ध सामग्री प्रदान करना और देश भर के विभिन्न केंद्रों में चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय पर अवगत कराते रहना। शिक्षा जगत में होने वाली गतिविधियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने होते हैं। अत: यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक चिंतन में परिषद की नीतियों को ही प्रस्तुत किया गया हो। इसलिए परिषद का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

© 2024. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है। परिषद की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

सलाहकार समिति

निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. : दिनेश प्रसाद सकलानी

अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षा विभाग : सुनीति सनवाल

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : पद्मा यादव एवं उषा शर्मा

मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

प्रकाशन मंडल

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा

मुख्य व्यापार प्रबंधक : विपिन दिवान

सहायक उत्पादन अधिकारी : राजेश पिप्पल

आवरण

अमित श्रीवास्तव

चित्र

आवरण I – घनानंद कुमार झा, कक्षा- पाँचवीं 'एफ', केंद्रीय विद्यालय, एन.सी.ई.आर.टी. शाखा, नई दिल्ली

रा.शै.अ.प्र.प. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नई दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फोन : 0361-2674869

मूल्य एक प्रति ₹ 65.00 **वार्षिक ₹ 260.00**

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के लिए प्रकाशित तथा चन्द्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क्स (प्रा.) लि., सी-40, सैक्टर-8, नोएडा–201 301 (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।

जनवरी, 2024 में मुद्रित

ISSN 0970-9312

प्राथमिक शिक्षक

वर्ष 47 अंक 2 अप्रैल 2023

इस अंक में

संवाद			3
लेख			
1	हिंदी सिनेमा में दिव्यांगों के समावेशी शिक्षा की संकल्पना	अनिरुद्ध कुमार	5
2.	प्राथमिक अध्यापकों हेतु बहुसांस्कृतिक शिक्षा का शैक्षिक निहितार्थ	अनामिका यादव शिरीष पाल सिंह	14
3.	मनोदर्पण एक पहल	रुचि शुक्ला सुष्मिता चक्रवर्ती	22
4.	वर्तमान परिदृश्य में प्राथमिक शिक्षकों के अनुसार महत्वपूर्ण जीवन कौशल एक अध्ययन	अभिषेक कुमार मौर्य आंचल पाण्डेय अंजलि बाजपेयी	28
5.	कैसी हो पालक सभा?	ऋषभ कुमार मिश्र	40
6.	गिजूभाई के शैक्षिक नवाचार प्रयोगों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रासंगिकता	एकता इंगले	50
7.	वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा	प्रभाकर कुमार	57
8.	अतीत की यादों को संजोती विभिन्न लोककथाएँ	रमेश कुमार	62
9.	प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के माध्यम	नीलम कुमारी	67

विद्ययाऽमृतमश्नुते

एनसीईआरटी
NCERT

विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

परस्पर आवेष्टित हंस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) के कार्य के तीनों पक्षों के एकीकरण के प्रतीक हैं—
(i) अनुसंधान और विकास,
(ii) प्रशिक्षण, तथा (iii) विस्तार।
यह डिजाइन कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में मस्के के निकट हुई खुदाइयों से प्राप्त ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के अशोकयुगीन भग्नावशेष के आधार पर बनाया गया है।
उपर्युक्त आदर्श वाक्य *ईशावास्य उपनिषद्* से लिया गया है जिसका अर्थ है—
विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

विशेष

10.	पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश (भाग 2)		74

बालमन कुछ कहता है

11.	मेरा विद्यालय	युविका ठाकुर	96
	मेरा विद्यालय	रिद्धि	97

कविता

12.	निपुण लक्ष्य	कमलेंद्र कुमार	98
	कारे-कारे बादल	अशोक कुमार ढोरिया	99

संवाद

भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद से ही नवाचारों एवं सीखने-सिखाने की सामग्री को विकसित करने की पहल जारी है। हाल ही में 20 फरवरी 2023 को भारत के शिक्षा मंत्री के द्वारा बालवाटिका (3–6 वर्ष) के बच्चों के लिए जादुई पिटारा का अनावरण किया गया। जादुई पिटारा की सामग्री बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त है। शिक्षक, अभिभावक और बच्चे मिलकर अपना जादुई पिटारा अपनी जरूरत और अपने परिवेश के अनुकूल बना सकते हैं। अनावृत्त जादुई पिटारा में बच्चों के लिए खेल-सामग्री, कार्य-पत्रिकाएँ और खेल पुस्तकें शामिल हैं। शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक-सामग्री भी उपलब्ध है। आने वाले अंकों में आपको जादुई पिटारा एवं बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2022 से संबंधित लेख पढ़ने को मिल सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक पत्रिका शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय आदि के सहयोग से बच्चे के सीखने-सिखाने के लिए विभिन्न आयामों पर लेख साझा करती है। पत्रिका भाषा-विकास, व्यवहार कुशलता, शिक्षणशास्त्र, आकलन इत्यादि पर लेख के जरिए पाठकों से संवाद करती है।

प्रस्तुत अंक में कुल नौ लेख, दो कविता, दो बालमन तथा विशेष शामिल किए गए हैं। इस अंक में दिव्यांगों की समावेशी शिक्षा की संकल्पना को हिंदी सिनेमा के जरिए समझाने का प्रयास किया गया है। समावेशी शिक्षा की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी दर्शायी गई है। इस लेख में विभिन्न फिल्मों के माध्यम से उन चुनौतियों को रेखांकित किया गया है जिनका सामना बच्चों को परिवार, विद्यालय एवं समाज के स्तर पर करना पड़ता है। दूसरा लेख बहुसांस्कृतिक शिक्षा-शिक्षण और अधिगम के बारे में बताता है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा-शिक्षण अधिगम का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और विश्वासों पर आधारित है और सांस्कृतिक रूप से विविध समाजों और विश्व के भीतर सांस्कृतिक विभिन्नता को बढ़ावा देना चाहता है। यह प्रत्येक संस्थान अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ-साथ माता-पिता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुसांस्कृतिक कक्षा विभिन्न संस्कृतियों के विद्यार्थियों को उनके अनुभवों, ज्ञान, दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि के विशाल कार्य क्षेत्र को एक अवसर प्रदान करती है जिसमें अध्यापक अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रस्तुत अंक में 'मनोदर्पण : एक पहल' नामक लेख पाठकों को मनोदर्पण कार्यक्रम की पूरी जानकारी देता है। इस

कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों, छात्र-छात्राओं तथा उनके अभिभावकों को टोल-फ्री परामर्श सेवाओं, ऑनलाइन लाइव इंटरैक्टिव सत्र, सम्मेलनों आदि के माध्यम से मानसिक तनाव से मुक्ति का मार्ग दिखाया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे का अपना एक विशेष कौशल होता है जो उसे दूसरों से भिन्न बनाता है। प्राथमिक शिक्षकों को बच्चों में विभिन्न कौशलों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जो उन्हें विद्यालयी शिक्षा में सफल बनने में मदद करे तथा देश का अच्छा नागरिक बनने में भी मदद करे।

बच्चे का पालन-पोषण हर समाज के लिए महत्वपूर्ण विषय है, माता-पिता की बच्चे के लालन-पालन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थापित आनंद निकेतन विद्यालय में पालक-सभा कैसे आयोजित की जाती है? इस पर आधारित लेख प्रस्तुत अंक में शामिल किया गया है। पाल्य, पालक तथा शिक्षकों का आपसी मेल-जोल बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों की कमियों और खूबियों पर बारीकी से शिक्षक और माता-पिता आपस में बात करके समस्या का समाधान कर सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सरोकारों को गुजरात के बाल साहित्यकार गिजूभाई बधेका के शैक्षिक प्रयोगों के आलोक में रखकर देखा गया है। गिजूभाई के शैक्षिक विचार शिशु-शिक्षा पर केंद्रित थे, इसलिए वे प्राथमिक शिक्षकों के लिए अधिक प्रासंगिक हैं। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए। अतः शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक जब ये सभी साथ मिलकर कार्य करते हैं तब किसी भी स्तर की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा सकता है।

प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा देने का रोचक माध्यम लोककथाएँ। ये लोककथाएँ क्षेत्रीय बोली में होने के कारण बच्चों के लिए अधिक संप्रेषणीय होती हैं। इन कथाओं से बच्चों का भाषायी विकास किस प्रकार होगा इस बात की जानकारी मिलती है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है ऐसे में बच्चों को भाषा सिखाने के लिए किए जाने वाले सभी प्रयास माननीय होने चाहिए।

पत्रिका में 'विशेष' के अंतर्गत 'पूर्व- प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश (भाग 2)' को शामिल किया गया है। आशा है कि आपको यह अंक पसंद आएगा। यदि पत्रिका के संबंध में आपके कोई सुझाव हों तो हमें अवश्य भेजें। हम अपने आगामी अंक में उन्हें शामिल करने का प्रयास करेंगे।

शुभकामनाओं सहित।

अकादमिक संपादक

लेख

1

हिंदी सिनेमा में दिव्यांगों के समावेशी शिक्षा की संकल्पना

अनिरुद्ध कुमार*

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2000 में सहताब्दी घोषणा जारी की। अगली महासभा में संघ के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने 2015 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। 2015 तक दुनिया भर में प्राप्त किए जाने वाले इन 8 लक्ष्यों में दूसरा लक्ष्य था 'सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना'। "लक्ष्य 2 का एक मात्र निशाना है, सुनिश्चित करना कि 2015 ई. तक बालक-बालिका सहित सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने में समर्थ होंगें।" (एम.डी.जी. 2: अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन) 2017 ई. में जब इन लक्ष्यों की प्राप्ति की रिर्पोट प्रकाशित की गई तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य पूरी तरह हासिल करने की कई बाधाओं में एक बाधा दिव्यांगता भी चिह्नित की गई— "दिव्यांगता— यह शिक्षा हासिल करने में एक अन्य बाधा है। खासकर भारत में जहाँ 6–13 वर्ष की उम्र के दिव्यांग बच्चों में से 33 प्रतिशत से अधिक स्कूल से बाहर हैं और यह शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय की आधारभूत संरचनाओं के लिए धन का आवंटन तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे प्रयासों द्वारा शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के देश के प्रयासों के बावजूद है।" (एम.डी.जी. 2: अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन)

भारत देश के समावेशी शिक्षा की संकल्पना के प्रति गंभीर प्रयासों की झलक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी मिलती है। यह संकल्पना 21वीं सदी में आई *तारे जमीन पर* (2007), *हिचकी* (2018) जैसी हिंदी फिल्मों में भी स्पष्ट रूप से मौजूद है। इसके साथ ही मौजूद हैं परिवार, विद्यालय एवं समाज के स्तर पर कई चुनौतियाँ भी, जो समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा खड़ी करते हैं। दिव्यांगता को शामिल करने वाली प्रभावी फिल्मों, जैसे— *कोशिश* (1972), *स्पर्श* (1980), *ब्लैक* (2005), *तारे जमीन पर* (2007), *हिचकी* (2018) आदि के सम्यक विवेचन दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण कौशल के विकास में सहायक हो सकते हैं। उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए सही मार्ग निर्धारित करने के प्रशिक्षण में भी ये फ़िल्में सहायक होने की योग्यता रखती हैं।

समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम है दिव्यांग शिक्षा, जिसे सुनिश्चित कर ही सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 21वीं सदी की भारत में दिव्यांग शिक्षण संबंधी समझ में सार्थक बदलाव दिखाई दे रहें है। हम दिव्यांगों के लिए विशिष्ट स्कूल बनाने से आगे बढ़कर प्रत्येक

**सहायक आचार्य,* हिंदी विभाग, पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय

विद्यालय को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। यह परिवर्तन हिंदी फ़िल्मों में भी देखा जा सकता है। 20वीं सदी की फिल्मों में समावेशी शिक्षा के लिए विशिष्ट संस्थानों के निर्माण और प्रशिक्षण का मार्ग दिखाया गया था। *कोशिश* (1972) और *स्पर्श* (1980) इस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण फिल्में थीं। कोशिश में मूक-बधिर के स्कूल और शिक्षण से हम परिचित होते हैं तो स्पर्श में अंध विद्यालय के शिक्षण एवं प्रशिक्षण से। 21वीं सदी में दिव्यांगों के लिए अलग संस्थानों के बजाय समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। परिणामतः हिंदी फिल्मों *कोई मिल गया* (2003) के रोहित मेहरा के लिए उसकी माँ, *तारे जमीन पर* (2007) के ईशान अवस्थी के लिए उसके शिक्षक रामशंकर निकुंभ, *हिचकी* (2018) की नैना माथुर के लिए उसकी माँ सामान्य स्कूल में पढ़ने और सामान्य जीवन जीने की माँग करते दिखाई पड़ते हैं। ये फिल्में दिव्यांगता की सही समझ को आम स्कूलों एवं लोगों तक पहुँचाने की माँग करती हुई दिखाई पड़तीं हैं। इनमें सबसे ज़रूरी है शिक्षक प्रशिक्षण। रामशंकर निकुंभ या नैना माथुर जैसे प्रशिक्षित शिक्षक तीन स्तरों पर परिवर्तन का सूत्रपात करते हैं। वे स्वयं आगे बढ़कर दिव्यांग विद्यार्थी की समस्याओं की पहचान करते हैं एवं उसके समाधान तलाशते हैं। दूसरे स्तर पर वे विद्यालय के अन्य शिक्षकों, विद्यार्थियों और प्राचार्यों में परिवर्तन लाते हैं। तीसरे स्तर पर वे दिव्यांग बालक-बालिकाओं के अभिभावकों एवं समाज में भी परिवर्तन लाते हैं। इस तरह वे समावेशी शिक्षा के विकास का माध्यम बनते हैं।

सार्वभौम शिक्षा का लक्ष्य पूर्णतः हासिल करने के लिए समावेशी शिक्षा एक अनिवार्य और सार्थक पहल है। प्राथमिक स्तर पर सभी दिव्यांग विद्यार्थियों के नामांकन को सुनिश्चित करने तथा उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए आमतौर पर दो रास्ते चुनने की कोशिश दिखाई पड़ती है। पहला रास्ता है दिव्यांग विद्यार्थियों के अर्जन और अधिगम की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए बनाए गए विशिष्ट स्कूल एवं संस्थान, जहाँ उन्हें अपने जैसे ही दिव्यांगता वाले अन्य समान उम्र के विद्यार्थियों के साथ शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलता है। उनके शिक्षक विशेष शिक्षा स्नातक होते हैं एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। 20 वीं सदी की अधिकांश दिव्यांगता आधारित सार्थक फिल्मों में यही पहला रास्ता अपनाया गया है। इनमें पहली महत्वपूर्ण फिल्म कोशिश है।

1972 ई. में गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म *कोशिश* के हरिचरण ने आरती की माँ दुर्गा को 'डेफ ऐंड डम इंस्टीट्यूट' के बारे में बताया। मूक-बधिर हरिचरण इसी विद्यालय का विद्यार्थी रहा है और चाहता है कि उसके ही-जैसी मूक-बधिर आरती भी शिक्षा प्राप्त करे। आरती युवा और समझदार है, किंतु वह प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकी। इसका कारण था उसके बचपन में बुखार के साथ आई दिव्यांगता तथा दिव्यांगों की शिक्षा संबंधी उसकी माँ दुर्गा की अनभिज्ञता। वर्षों बाद युवा आरती से मिलने के बाद हरिचरण ने दुर्गा को इशारों में समझाया कि— "आरती के लिए सरकारी स्कूल है। जिसमें पैसे नहीं लगते हैं। जहाँ फीस सरकार देती है।" (गुलज़ार) हरिचरण के उम्दा प्रशिक्षण का पता इससे बखूबी चलता है जब वह विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से इशारों में अपनी जरूरी बात अशिक्षित दुर्गा को समझाने में सफल रहता है। वह सरकारी संस्थान को बताने के लिए तिरंगा

तथा जवाहरलाल की तस्वीर को माध्यम बनाता है। स्कूल के लिए किताब तथा बच्चों के लिए छोटी बच्ची का आकार माध्यम बनता है। नाम पूछे जाने पर पहले तो वह लिखकर अपना नाम बताता है, किंतु दुर्गा तो अशिक्षित है। यह बोध होने पर अपना नाम हरिचरन बताने के लिए वह हरी मिर्च को पैरों पर रखकर समझाता है। इस उम्दा प्रशिक्षित मूक-बधिर युवा से प्रभावित होकर दुर्गा आरती को लेकर 'डेफ ऐंड डम इंस्टीट्यूट' पहुँचती है। वहाँ की शिक्षिका मूक-बधिर नहीं हैं, किंतु दिव्यांगों के शिक्षण के लिए प्रशिक्षित हैं। इसका पता उनका दुर्गा के साथ हुआ संवाद बखूबी बताता है—

"शिक्षिका— आवाज़ के साथ तो नहीं बोल सकते ये बच्चे, लेकिन उँगलियों के इशारे से बिल्कुल उसी तरह बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग दो होंठों से बात कर सकते हैं और खासतौर से वो बच्चे जो आरती की तरह कुछ पढ़ना-लिखना पहले से जानते हैं

दुर्गा— लेकिन समझने के लिए हमें भी वही उँगलियों की भाषा सीखनी पड़ेगी?

शिक्षिका— इसलिए इनके दो-तीन कोर्स होते हैं। पहला वो जो दो बेजुबान आपस में बोलते हैं। दूसरा वो जो ये लोग बोलने-सुनने वालों के साथ बातचीत करते हैं। तीसरा है लिप रीडिंग। यानी कि आप ज़रा आहिस्ता बोलें तो आपके होंठों से ये लोग लब्ज़ बना लेते हैं और समझ जाते हैं।..." (गुलज़ार)

पढ़े-लिखे मूक-बधिर बिल्कुल सामान्य और मज़ेदार जीवन जीते हैं, यह समझाने के लिए शिक्षिका पास में ही खड़े हरिचरण तथा उसके मित्र नरेंद्र के बीच इशारों में हुई बातचीत के बारे में दुर्गा को बताती हैं— "देखा आपने कितनी आसानी से बात करते हैं ये लोग। वो लड़का नरेंद्र हरी को बता रहा है कि उसने अपनी पत्नी को हाथों की जुबान सिखा दी है और अब वो लोगों के सामने भी आपस में प्राइवेट बातें करते रहते हैं।" (गुलज़ार)

मूक-बधिरों का यह स्कूल और उसके प्रशिक्षित शिक्षक और विद्यार्थी दुर्गा को प्रभावित करते हैं। वह आरती को स्कूल भेजने के लिए उत्सुक हो उठती है। किंतु प्रशिक्षित शिक्षण न केवल दिव्यांगता युक्त व्यक्तियों को दिव्यांगता संबंधी कई नकारात्मक धारणाएँ तोड़ने में मदद करता है, बल्कि उनके अभिभावकों को भी कई पुर्वाग्रहों से मुक्त करता है। ऐसा ही एक पूर्वाग्रह है दिव्यांगों की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक चिंता। शिक्षिका इस बोझ से भी दुर्गा को मुक्ति दिलाती हैं —

"दुर्गा— आरती भी सीख जाएगी इसी तरह?

शिक्षिका— जी हाँ! क्यों नहीं? इसे कल से स्कूल भेज दीजिए।

दुर्गा— जी अच्छा! मैं खुद ही छोड़ जाया करूँगी और ले जाया करूँगी। अकेले तो इसे बहुत ही तकलीफ होगी।

शिक्षिका— एक बात और कहूँ आपसे? इन बच्चों को ज़्यादा सहारा भी नहीं देना चाहिए। इनपर तरस कभी न खाइए। इन्हें बिल्कुल ये महसूस न होने दीजिए कि इनमें कुछ कमी है, इसलिए दूसरों से अलग बरताव किया जा रहा है। बल्कि जितना आम लोगों में घुलेंगे-मिलेंगे उतना ही अच्छा है। इनको तो नॉरमल बच्चों ज़्यादा आज़ादी देनी चाहिए।

दुर्गा— लेकिन यह स्कूल आएगी तो कैसे बताएगी बस वाले को कहाँ जाना है?

शिक्षिका— दुर्गा जी! यकीन मानिए, ये तकलीफ़ जितनी हम समझते हैं उतनी इन बच्चों को महसूस नहीं होती है। आप एक बार इसे कोशिश करने दीजिए फिर देखिए आपकी मुश्किलें भी कैसे हल करने लगेगी। वैसे तो एक आसान तरीका है जो अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो है ये कार्ड्स। कुछ ऐसे काम जो रोज़मर्रा के हों उसके कार्ड्स बना दिए जाते हैं। लेकिन हमने देखा है। शुरू-शुरू में बच्चे ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में ऊबकर अपने आप छोड़ देते हैं।" (गुलज़ार)

कोशिश में मूक-बधिर बच्चों के भाषा अर्जन और अधिगम की प्रक्रिया भी दिखाई गई है। वर्णमाला के अक्षर बोलना सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षिका आरती को मुँह फुलाकर तथा पिचकाकर 'फ' तथा नाक दबाकर 'म' बुलवाने की कोशिश करती हैं। इस तरह के विद्यालय 20वीं सदी में दिव्यांगों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में बहुत मददगार साबित हुए थे।

समावेशी शिक्षा की संकल्पना के दिव्यांगों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना वाला प्रारूप कारगर तो था, लेकिन यह केवल उन विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण कराने में समर्थ था जो इन विशिष्ट संस्थानों में नामांकन ले सकते थे। 21वीं सदी के प्रारंभिक दशक तक भी भारत में ये विशिष्ट संस्थान केवल महानगरों एवं बड़े शहरों में बने थे और इनकी संख्या भी अत्यल्प थी। ऐसे में सभी दिव्यांगों को प्राथमिक शिक्षा पूरी कराने के लिए दूसरा रास्ता तलाशने का प्रयास शुरू हुआ। यह था सभी विद्यालयों को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाना तथा प्रत्येक विद्यालय में दिव्यांगों की शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना। यह समझ 21 वीं सदी में बनने वाली कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी दिखाई पड़ी। इनमें पहली प्रमुख फ़िल्म थी *तारे जमीन पर।*

तारे जमीन पर फ़िल्म तीसरी कक्षा के विद्यार्थी ईशान अवस्थी की कहानी है जो डिस्लेक्सिया से पीड़ित है। 2007 ई. में आमीर खान द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में मानसिक रूप से पिछड़े बालक ईशान को दिव्यांगता की सही समझ न रखने वाले शिक्षक, स्कूल, परिवार एवं समाज के बीच मुश्किल स्थिति में जीना पड़ता है। फ़िल्म के आरंभिक दृश्यों में से एक में उसकी कक्षा की शिक्षिका निर्देश देती हैं कि— "क्लास! टर्न टू पेज थर्टी एट; चैप्टर फ़ोर; पैराग्राफ थ्री। वी आर गोइंग टू मार्क ऐडजेक्टिव टूडे।" (खान) ईशान अनेक निर्देशों की इस श्रृंखला को समझ नहीं पाता है। शिक्षिका ईशान की इस समस्या को पहचानने की कोशिश करने के बजाय इसे शरारत मान लेती हैं। वह पड़ेसी विद्यार्थी आदित्य से ईशान की पुस्तक का पृष्ठ निकलवाती हैं, किंतु फिर भी ईशान नहीं पढ़ता है और अक्षरों के नाचने के बारे में बताता है तो वह चिल्लाते हुए ईशान को कक्षा से बाहर निकाल देती हैं—

"शिक्षिका— पेज 38 ईशान! आदित्य लाम्बा! प्लीज हेल्प द बॉय।... रीड द फस्ट संटेंस ऐंड टेल मी वाट द ऐडजेक्टिव्स आर?... ओके कम औन। लेट्स मार्क ऑल द ऐडजेक्टिव्स टुगेदर।... जस्ट रीड द संटेंस फॉर मी! ... जस्ट रीड द संटेंस ईशान!

ईशान— ये तो नाच रहे हैं।

शिक्षिका— साइलेंस! स्पीक इन इंग्लीश!

ईशान— द लेटर्स आर डांसिंग।

शिक्षिका— दे आर डांसिंग? आर दे? देन रीड द डांसिंग लेटर्स। ट्राइंग टू बी फनी?... आइ सेड लाउड

एंड प्रोपर ईशान!... रीड द संटेंस लाउड एंड प्रोपर!... आइ सेड लाउड एंड प्रोपर ईशान! लाउड एंड प्रोपर!

ईशान— ब्लाब्लाब्लाब्लाब्लाब्लाब्ला...

शिक्षिका— स्टॉप इट! गेट आउट! गेट आउट ऑफ माइ क्लास! आउट! (खान)"

विद्यालय के शिक्षकों में से कोई भी ईशान की मुश्किलों को समझने का प्रयास नहीं करता है। ईशान को ज़्यादातर समय कक्षा से बाहर रहना पड़ता है। अन्य विद्यार्थी ईशान को कक्षा से बाहर किए जाने पर चिढ़ाते हैं— "वापस पनिश? वापस पनिश? पनिश होता है डफर! इडिएट! हर टाइम क्यों पनिश होता है? इसका तो रोज़ का है।" (खान) ईशान को अक्षरों को पढ़ने-लिखने में समस्या होती है, इसलिए वह गृहकार्य भी नहीं कर पाता है। इसपर भी उसे शिक्षक दंड देते हैं और बच्चे छेड़ते हैं "ए ईशान। मैथ वर्क किया? टेस्ट पेपर साइन करवा के लाया। नहीं। अब तो तू गया। नाउ यू आर गौन।।" (खान)

दिव्यांगता की समझ विद्यालय में किसी को भी नहीं है। इसलिए अक्षरों को न समझ पाने की परेशानी में घिरे ईशान को ही सारे शिक्षक दोषी ठहराते हैं। टीचर-पैरेंट मीटिंग में सभी शिक्षिकाएँ ईशान को दोषी ठहराते हुए माता-पिता से उसकी शिकायत करती हैं—

"शिक्षिका 1— क्लासवर्क और होमवर्क दोनों में कोई इंप्रूवमेंट नहीं। बिल्कुल पिछले साल की तरह। बुक्स इस स्टील हिज़ इनेमी। पढ़ना लिखना जैसे पनिश्मेंट हो। इसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग कभी-कभी रशयन जैसी लगती है। जानबूझकर मिस्टेक्स रिपीट करता है। ध्यान हमेशा क्लास के बाहर रहता है।

शिक्षिका 2— ऑल द टाइम आस्किंग फोर परमिशन टू गो टू द टवॉयलेट। आइ ऐम थर्स्टी। आइ वांट टू गो टू सूसू। टर्सटी, सूसू। टर्सटी सूसू। डिस्टर्ब द होल क्लास विद दिस सिलि प्रैंक।

शिक्षिका 3— आपने इसके एग्ज़ाम पेपर देखे होंगे। हर सब्जेक्ट में अंडे उबाले हैं। ये देखिए मैथ का टेस्ट थ्री इंटू नाइन इज इक्वलटू थ्री। बस इसके बाद सारे सवाल छोड़ दिए। कौन मानेगा ये योहान अवस्थी का छोटा भाई है?"

विद्यालय के शिक्षकों की तरह ही प्राचार्य भी दिव्यांगता युक्त विद्यार्थियों की ज़रूरतों से अनभिज्ञ हैं। इसलिए ईशान की मुश्किलों को हल करने के बजाय उसे बढ़ाने वाला आदेश देते हुए वे ईशान के माता-पिता से कहती हैं कि— "मिस्टर अवस्थी वैसे भी थर्ड स्टैंडर्ड में आपके बेटे का ये दूसरा साल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई एम सॉरी। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाउँगी। शायद इसे कोई प्रॉब्लम है।...शायद वो... कुछ बच्चे बदनसीब होते हैं और ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं।" कोशिश फ़िल्म की विशेष स्कूल की शिक्षिका दुर्गा को आरती पर तरस खाने से रोककर उसको स्वावलंबी बनाने के लिए स्कूल भेजने को तैयार करती हैं, वहीं सामान्य स्कूल की प्राचार्य ईशान को बदनसीब कहकर अपने स्कूल से निकालने की बात कहती हैं। दिव्यांगता के लिए प्रशिक्षित और जागरूक शिक्षक तथा अनभिज्ञ शिक्षक का फ़र्क आरती के विद्यालय में दाखिल किए जाने और ईशान को विद्यालय से बाहर निकाले जाने के रूप में देखा जा सकता है। स्पेशल स्कूल के प्रति ऐसे शिक्षकों और प्राचार्यों के भाव को फ़िल्म में आगे रामशंकर निकुंभ के ट्यूलिप्स स्कूल के बारे में व्यक्त बोर्डिंग स्कूल के शिक्षकों के भाव के रूप में दिखाया गया है— "ट्यूलिप्स स्कूल

में पढ़ाते हो न। मेंटली रिटार्डेड एब्नार्मल बच्चों को। उस तरह के स्कूल में जैसा मन चाहे वैसा पढ़ाओ। क्या फ़र्क पड़ता है। भविष्य तो बनना नहीं है उन बच्चों का। नो सिरियसनेस निकुंभ । ये फॉरमल स्कूल है। तुम्हारा ये सिंगिंग डांसिंग स्टाइल यहाँ नहीं चलेगा। इधर हम बच्चों को तैयार करते हैं लाइफ का रेस के लिए।" (खान)

दिव्यांगता की समझ से वंचित शिक्षक और अभिभावक मिलकर दिव्यांग बच्चों के जीवन को बेहद मुश्किल बना देते हैं। ईशान के जीवन को मुश्किल बनाने में जितना योगदान उसके प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों की नासमझी का है उतना ही माँ और पिता की अनभिज्ञता का। ईशान की लिखने-पढ़ने की समस्या को देखकर माँ माया भी देख नहीं पाती हैं। शिक्षकों के साथ माता-पिता का रवैया ईशान को जिद्दी और ढीठ बना देता है। उसकी गृहकार्य की कॉपी देखकर माया पूछती है —

"माया— ये क्या है ईशान? सब स्पेलिंग गलत हैं तुम्हारे। यहाँ पर टेबल को 'tabl' तथा कहीं 'table: the' की जगह केवल 'D'? क्या है ये? कितनी बार ईशान? कितनी बार? अभी कल ही हम लोगों ने किया है! इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो तुम? बहुत मस्ती हो गई फिर उसी क्लास में रह जाओगे? तुम्हारे सारे दोस्त अगली स्टैंडर्ड में चले जाएँगे; कांती, रोहण। अच्छा लगेगा तुम्हें? कॉन्सन्ट्रेट बेटा कॉन्सन्ट्रेट। बकवास बंद करो और स्पेलिंग ठीक करो।

ईशान— नहीं। नो।

माया— नो!

ईशान— नो। "(वह भाग जाता है)" (खान)

पिता नंद अवस्थी ईशान की किसी समस्या को स्वीकार करने को तैयार नही हैं। प्राचार्य द्वारा अपने स्कूल से निकाल कर विशेष स्कूल में डालने की सलाह पर वे उसे ही दोषी ठहराते हैं— "सोचती है मेरा बेटा नॉरमल नहीं है। अरे! क्लास में साठ-साठ बच्चे भर रखे हैं। खाक ध्यान दे पाएगी टीचर हर बच्चे पर ब्लडी। नौनसेंस। इडियट्स।" (खान) ये गुस्सैल पिता ईशान को ठीक करने के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला करते हैं। ईशान बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजने का बहुत अनुरोध करता है— "पापा! प्लीज़ पापा! मुझे मत भेजो पापा। पापा मैं नहीं जाऊँगा बोर्डिंग स्कूल। मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना। मम्मा आप पापा को बोलो न मुझे नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल।... नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल मम्मा। आई एम नोइंग। आइ एम ट्राइंग। रियली सी; ए, बी, सी, डी... एक्स वाइ, ज़ेड। रियली। देखो म्मा। मुझे सब आता है। आइ विल ऑलवेज़ स्टडी। दीवाली में क्रैकर भी नहीं फोड़ूँगा। नो दीवाली। लेकिन बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना मुझे म्मा।" (खान) ईशान के सारे अनुरोध पर उसके पिता का निर्णय भारी पड़ता है। उसके माता-पिता उसे नए स्कूल, न्यू इयर स्कूल, पंचगीरी में पहुँचा देते हैं। दिव्यांगता की समझ से वंचित शिक्षक या अध्यापक जब बच्चे के लिए कुछ नया करते हैं तो वास्तव में वे और भी नई तरह की समस्याएँ पैदा करते हैं। ईशान को जिस नए बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया वहाँ के शिक्षकों में दिव्यांगता की नासमझी तो पुराने स्कूल के जैसी ही थी, किंतु उनका दंड विधान ज़्यादा कठोर था। ईशान को इस विद्यालय में भी अक्षरों को पहचानने में परेशानी की समस्या होती रही और वह दंड का पात्र माना जाता रहा। उसने जब ब्लैकबोर्ड का बिंदु देख

पाने में असमर्थता व्यक्त की तो चित्रांकन के शिक्षक होल्कर ने सज़ा सुनाई— "बंद मुट्ठी पर पांच ताकी ब्लैकबोर्ड पर से ध्यान न हटे।"

तारे जमीन पर दिव्यांगों की समावेशी शिक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक तरफ़ दिव्यांगता की समझ से वंचित स्कूल में दिव्यांग विद्यार्थियों की जानलेवा स्थिति को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ़ दिव्यांगता की समझ से युक्त शिक्षक की पहल पर टूट चुके बच्चे के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को भी दिखाता है। बोर्डिंग स्कूल में ईशान को दो अन्य दिव्यांग मिलते हैं। पहला है उसका सहपाठी राजन दामोदरन जो उसे सबसे जल्दी और सबसे अच्छे तरीके से समझता है। दूसरे हैं उसके चित्रांकन के नए शिक्षक रामशंकर निकुंभ। डरे-सहमे ईशान के बारे में पूछने पर राजन ने निकुंभ को बताया कि— "न्यू बॉय है सर। प्रॉब्लम है उसको। कितना भी ट्राय करे पढ़ नहीं पाता; लिख नहीं पाता। हर वक्त पनिश्ड रहता है। पूरी बुक में रेड मार्क्स, रेड मार्क्स। वॉट टू डू?" राजन पहला व्यक्ति था जो ईशान की समस्या को पहचानने की कोशिश कर रहा था, किंतु वह तीसरी कक्षा का विद्यार्थी था, इसलिए उसे समस्या के समाधान का पता नहीं था। रामशंकर निकुंभ बचपन में स्वयं भी डिस्लेक्सिया से पीड़ित थे इसलिए वह इस समस्या तथा इसके समाधान से परिचित थे। वे ट्यूलिप स्कूल में पढ़ाते थे इसलिए वे मानसिक दिव्यांग बच्चों की समस्याओं को पहचानने तथा उनके साथ सही व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित भी थे। ईशान की समस्या को खोजने के क्रम में जब वे उसकी कॉपी का निरीक्षण करते हैं तो उन्हें गलतियों के पैटर्न दिखाई पड़ते हैं। इससे वे ईशान की डिस्लेक्सिया की समस्या की पहचान कर लेते हैं।

दिव्यांगता को सही ढंग से देखने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को तिहरे स्तर पर मदद करते हैं। सबसे पहले वे स्वयं ही दिव्यांग विद्यार्थियों की समस्याओं को समझते हैं। फिर उनके प्रयास से स्कूल के अन्य शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा प्राचार्य को भी दिव्यांगता के प्रति सही रवैया अपनाने में मदद मिलती है। प्राचार्य के ईशान को स्पेशल स्कूल भेजने की बात कहने पर रामशंकर निकुंभ समावेशी शिक्षा का समर्थन करते हुए कहता है— "नो सर। ही इज चाइल्ड विथ एवव इंटेलिजेंस। उसे पूरा हक है नॉरमल स्कूल में रहने का। उसे बस हमसे ज़रा सी मदद चाहिए। और वैसे भी दुनिया भर में हर किस्म के बच्चे, चाहे जो भी उनका प्रॉब्लम हो, एक साथ नॉरमल स्कूल में पढ़ते हैं। बल्कि मेरे ट्यूलिप्स के बच्चों को पूरा हक है किसी भी साधारण स्कूल में पढ़ने का। माफ कीजिएगा सर ये मैं नहीं कह रहा बल्कि हमारे भारत देश का कानून कहता है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत हर बच्चे को ये अधिकार मिलता है। ये और बात है कि बहुत कम स्कूल हैं जो इस कानून को फौलो कर रहे हैं।" (खान) तीसरे स्तर पर इन शिक्षकों के प्रयास से अभिभावकों के व्यवहार में भी संवेदनशीलता तथा समझ का विकास होता है। निकुंभ ईशान के घर जाकर उसकी कॉपियाँ देखता है। वह नंद अवस्थी और माया को ईशान की समस्या का भी बोध कराता है और उसके प्रति उनके रवैए की अमानवीयता का भी—

रामशंकर निकुंभ— "मैं आपसे प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ। आप मुझे सिम्पटम बता रहे हैं।... उसकी पढ़ने-लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा? कोई गलती जो वो दोहराता हो?... 'ये' 'बी' की जगह 'डी' और 'डी' की जगह 'बी'। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों में प्रॉब्लम। और ये 'आर' बल्कि

कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं— मिरर इमेज। एक ही पेज पर एक शब्द के तीन अलग-अलग स्पेलिंग। दूसरी बात एक जैसे शब्दों को मिक्सप करता है। 'टीओपी' बन गया 'पीओटी'। क्यों करता है वो ऐसा? बेवकूफ है? आलसी है? मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। आप एप्पल पढ़ती हैं तो दिमाग में एप्पल का लाल-लाल इमेज बना लेती हैं। ईशान वह एप्पल पढ़ ही नहीं पाता है। शायद, पढ़ने-लिखने के लिए अक्षरों की आवाज़, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना ज़रूरी है। ये अहम ज़रूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा है।...इस पढ़ने-लिखने की तकलीफ़ को डिस्लेक्सिया कहते हैं। कभी-कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ और भी तकलीफ़ें हो सकती हैं। जैसे की मल्टिपल इंस्ट्रकशन समझने में दिक्कत। टर्न टू पेज 65, चैप्टर 9, लाइन 2। कन्फ्यूजन या फिर पूअर फाइन ऐंड ग्रॉस मोटर्स स्किल। क्या ईशान को अपने शर्ट के बटन या जूते की लेश बाँधने में तकलीफ़ होती है।... योहान तुम जब उसकी तरफ बॉल फेंकते हो, क्या वह पकड़ पाता है। वह बॉल को जज ही नहीं कर पाता, क्योंकि वह साइज़ डिस्टेंस, और स्पीड को एक साथ जज ही नहीं कर पाता है। कितनी बड़ी बॉल, कितनी दूर से, कितनी तेज़ आ रही है जब तक वह जान ले, गाड़ी छूट जाती है।... ज़रा सोचिए एक बच्चा केवल आठ साल का। पढ़ नहीं पाता। लिख नहीं पाता। रोज़मर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता। वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्या बीतती होगी उस पर। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंश की तो धज्जियाँ उड़ जाती होंगीं। अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिवास में लपेटकर दुनिया से लड़ता होगा हर रोज़। गदर मचाता होगा। गदर। क्यों बताऊँ दुनिया को की नहीं आता। नहीं करूँगा कहकर टाल नहीं दूँ। बड़ों से ही तो सीखते हैं बच्चे।"

दिव्यांगता की सही समझ के लिए प्रशिक्षित शिक्षक के तीनों स्तरों के परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक है— प्रथम स्तर, जिसमें वह बच्चे के समस्या की पहचान कर स्वयं उसका समाधान निकालने की ओर अग्रसर होता है। वास्तव में इसी स्तर पर किए गए कार्य चमत्कारी परिणाम देते हैं और अन्य दोनों स्तरों के परिवर्तन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ईशान के भाषा अधिगम में मदद के लिए निकुंभ उसे अक्षरों का अनुभव कराता है। वह बालू पर तथा ईशान के हाथ पर स्पर्श से लिखता है। वह ईशान को मिटटी के जानवर बनाकर देता है। वह एक-एक अक्षर से नए शब्द बनाकर एक ही जैसे शब्दों में अंतर करना सिखाता है। वह उसे मोटे अक्षर की किताब के सहारे पढ़ना सिखाता है। वह उससे ब्लैकबोर्ड पर लिखवाता है। वह विभिन्न पंक्तियों वाले गणित को सिखाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करता है। विभिन्न सीढ़ियाँ विभिन्न पंक्तियों का काम देती हैं। जोड़-घटाव के लिए वह उसे सीढ़ियाँ चढ़ाकर और उतारकर अभ्यास कराता है। निकुंभ और ईशान की मेहनत रंग लाती है। ईशान का आत्मविश्वास बढ़ता है। वह पढ़ना-लिखना, गेंद खेलना, जूते के फीते बाँधना, कमीज़ के बटन लगाना सब सीख लेता है। चित्रांकन में तो वह पहले से ही माहिर था। नया भरोसा उसे तीसरी कक्षा में होने के बावजूद विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बना देता है।

निष्कर्ष

दिव्यांगों की समावेशी शिक्षा को समझने में कतिपय हिंदी फिल्में बेहद सहायक हैं। *तारे जमीन पर*, *कोशिश*, *स्पर्श*, *ब्लैक*, *हिचकी* जैसी फिल्में

प्रशिक्षित शिक्षण के महत्व को रेखांकित करती हैं। ये दिखाती हैं कि दिव्यांगों के प्रति सही समझ न केवल दिव्यांगों की प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने में सहायक है, बल्कि वह उनके भीतर की सही रचनात्मकता की तलाश कर उसे सार्थक दिशा देने में भी सहायक होती है। ऐसा एक शिक्षक न केवल बच्चे का जीवन परिवर्तित कर देता है, बल्कि उसके आस-पास के पूरे परिवेश को बदल देता है जिसमें बच्चे का स्कूल और घर भी शामिल है। हम इन फिल्मों में मिलने वाली बाधाओं एवं समाधानों से अपनी समझ और कौशल का विकास कर समावेशी एवं सार्वभौम शिक्षा के लक्ष्य की बाधाओं को दूर कर उसे हासिल करने की दिशा में तेज़ी से बढ़ सकते हैं।

संदर्भ

आँखें. 2002. *निर्देशक* विपुल अमृतलाल शाह.

एम.डी.जी. 2: अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. 15 मार्च 2023 को https://www.mdgmonitor.org/mdg-2-achieve-universal-primary-education/ से प्राप्त।

कोई मिल गया. 2003. *निर्देशक* राकेश रोशन.

कोशिश. 1972. गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित.

तारे जमीन पर. 2007. *निर्देशक* और *निर्माता* आमीर खान.

ब्लैक. 2005. *निर्देशक* संजय लीला भंसाली.

स्पर्श. 1980. *निर्देशक* साई परांजपे.

हिचकी. 2018. *निर्देशक* सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा. *निर्माता* मनीष शर्मा.

2

प्राथमिक अध्यापकों हेतु बहुसांस्कृतिक शिक्षा का शैक्षिक निहितार्थ

अनामिका यादव*
शिरीष पाल सिंह**

बहुसांस्कृतिक शिक्षा-शिक्षण और शिक्षण अधिगम का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और विश्वासों पर आधारित है और सांस्कृतिक रूप से विविध समाजों और विश्व के भीतर सांस्कृतिक विभिन्नता को बढ़ावा देना चाहता है। यह प्रत्येक संस्थान, अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ-साथ माता-पिता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुसांस्कृतिक कक्षा विभिन्न संस्कृतियों के विद्यार्थियों को उनके अनुभवों, ज्ञान, दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि के विशाल कार्य क्षेत्र को एक अवसर प्रदान करती है जिसमें अध्यापक अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा तेज़ी से बदलते जनांकिकीय परिवेश के कारण शिक्षा में हो रहे विकास के लिए रणनीतियों एवं शैक्षिक सामग्रियों का एक समुच्चय है। जो विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश के लोगों को अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए अन्य की संस्कृति का सम्मान करना भी सिखाती है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावशाली बनाने के साथ-साथ उन्हें और अधिक उन्नत करने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह शिक्षा विद्यालयों के कक्षा संरचना एवं पहले से चले आ रहे शिक्षण प्रक्रियाओं एवं नियमों में एक सुधार आंदोलन के रूप में भी अपना योगदान देती हैं। प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? विद्यालयों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों हैं अथवा विद्यालयों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा को क्यों अपनाना चाहिए? इन प्रश्नों को ध्यान में रखकर शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत लेख का लेखन कार्य किया गया है। प्रस्तुत लेख द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है जिसमें शोधार्थी द्वारा विभिन्न शोध पत्रों एवं लेखों का अध्ययन करने के उपरांत विश्लेषणात्मक रूप से समीक्षा की गई है।

भारत हमेशा से एक बहुसांस्कृतिक देश रहा है, चूँकि संस्कृति और शिक्षा का सदैव एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता रहा है, इसलिए भारत अपने प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों, भाषाओं, दृष्टिकोणों और संस्कृतियों को कक्षा में सम्मिलित करते हुए सभी संस्कृतियों के लोगों के लिए शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देता है और वर्तमान परिदृश्य की विविधता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शिक्षा प्रणाली के लिए सभी संस्कृतियों को महत्व देना महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने व्यक्तिगत सांस्कृतिक दृष्टिकोण और विरासत से संबंधित सीखने के अनुभवों और सामग्री

*पीएच.डी. शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442 001
**प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442 001

को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा विद्यार्थियों को योगसत्र और भारतीय कला जैसे दुनिया भर की गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करके सांस्कृतिक जागरूकता सिखाने पर भी ज़ोर देता है (शिंदे, 2021)। हर देश में एक बहुसांस्कृतिक और बहु-धार्मिक समाज होता है जहाँ लोगों को सद्भाव और शांति से रहना सीखना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा को प्राथमिक स्तर से विद्यार्थियों के लिए लागू किया जाए, जिसके लिए ज़रूरी है कि प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा की अवधारणा एवं इसके महत्व से परिचित कराया जाए। भारत एक अत्याधिक विविध बहु-सांस्कृतिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ मानवता की भावना और एकता की भावना को पोषित करने की बड़ी ज़िम्मेदारी अध्यापकों की है। साथ ही विद्यालय प्रशासकों, अभिभावकों, परिवारों और समुदाय की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। समाज में संचार इस मान्यता से शुरू होता है कि विद्यालय परिवर्तन की बुनियादी इकाई है और अध्यापक एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में छोटे बच्चों की सोच, दृष्टिकोण, राय और धारणाओं में बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव लाने के लिए एक मुखिया के रूप में कार्यरत है (कर्थिकेयन, 2014)।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अर्थ

बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक ऐसी प्रकार की शिक्षा या शिक्षण को संदर्भित करती है जो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के इतिहास, ग्रंथों, मूल्यों, विश्वास और दृष्टिकोणों या विचारों को सम्मिलित करती है। उदाहरण के लिए, अध्यापक किसी विशेष कक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने के लिए पाठों को संशोधित या समसामयिक उदहारण को सम्मिलित कर सकते हैं (मिश्र, 2018)। 'संस्कृति' को व्यापक अर्थों में परिभाषित किया जाए तो उसमें नस्ल, जातीयता, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग, यौन अभिविन्यास और असाधारणता सम्मिलित किया जाता है यहाँ असाधारणता से तात्पर्य विशेष आवश्यकताओं या दिव्यांग विद्यार्थियों से है। आमतौर पर, बहुसांस्कृतिक शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों की परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है और यह विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक अवसरों और सफलता की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करती है। इसे व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए अध्यापक शैक्षिक नीतियों, कार्यक्रमों, सामग्रियों, पाठों और निर्देशात्मक क्रियाओं को संशोधित या समाप्त कर सकते हैं जो या तो भेदभावपूर्ण हैं या विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों में अपर्याप्त रूप से सम्मिलित हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा यह भी मानती है कि विद्यार्थियों के सीखने और सोचने के तरीके उनकी सांस्कृतिक पहचान और विरासत से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और साथ ही यह भी माना जाता है कि सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए विभिन्न शैक्षिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को महत्व देते हैं और पहचानते हैं। इस तरह बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों की ज्ञान और उपलब्धि में सुधार करना है, विशेष रूप से उन सांस्कृतिक समूहों के विद्यार्थियों को जिन्हें ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व दिया गया है या जो कम शैक्षिक उपलब्धि और अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं। विद्यालय के अध्यापकों को विद्यार्थी के व्यवहार खासकर विशेष समूहों के प्रभाव के बारे में जानकार होना चाहिए। हॉवेल ने कहा,

"बहुसांस्कृतिक शिक्षा सभी विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, विशेषताओं और एक लोकतांत्रिक समाज में कार्य करने के लिए ज़रूरी व्यवहार और मूल्यवान महसूस करने में मदद करती है"।

बहुसांस्कृतिक कक्षाएँ क्या हैं?

बहुसांस्कृतिक कक्षाएँ ऐसी कक्षाएँ हैं जो विविधता को स्वीकार करती हैं और विचारों, विश्वासों या विभिन्न देशों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को सम्मिलित करती हैं जो विद्यार्थियों को वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कई सांस्कृतिक दृष्टिकोण एक साथ रखती हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक विचार और सुधार आंदोलन के साथ ही एक प्रक्रिया है जिसका प्रमुख लक्ष्य शैक्षिक संस्थानों और विद्यालयों की संरचना को बदलना है, ताकि पुरुष और महिला विद्यार्थियों, असाधारण विद्यार्थियों और विविध तर्कसंगत, नैतिक, भाषा और सांस्कृतिक समूहों वाले विद्यार्थियों के पास एक विद्यालय में अकादमिक रूप से शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध हों (शिंदे, 2021)। एक कक्षा में बहुसांस्कृतिक शिक्षा गतिविधियों को सम्मिलित करने के लिए अध्यापक निम्नलिखित तरीकों को अपना सकते हैं—

- बहुसांस्कृतिक गतिविधियों की सफलता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए पहले से लागू शिक्षण तकनीकों को संशोधित करना।
- सभी विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें (विशेषकर चर्चा सत्र के दौरान)।
- गतिविधियों को सही रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त समयबद्ध योजना बनाना।
- अध्यापक मुक्त प्रश्न पूछने हेतु विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करें।

स्रोत— साभार इंटरनेट (संदर्भ सूची में स्त्रोत लिंक)

उपर्युक्त चित्र बहुसांस्कृतिक कक्षा का उदहारण प्रस्तुत कर रहा है जहाँ अध्यापक द्वारा विभिन्न नस्ल अथवा रंग वाले विद्यार्थियों को एक समूह में सम्मिलित कर सामूहिक गतिविधि कराने का प्रयास किया जा रहा और सभी विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। चूँकि भारत में अभी बहुसांस्कृतिक शिक्षा का बहुत अधिक प्रयोग कक्षाओं में नहीं किया जा रहा है, इसलिए आवश्यक है कि इस चित्र में दिखाए गए सामूहिक कार्य की भाँति प्राथमिक स्तर के अध्यापक भी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को इस तरह की गतिविधि में सम्मिलित करें जिससे बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा मिल सके और कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलग होने का अनुभव भी न हो जिससे वह सीखने का कार्य सरलता से कर सकें।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने में अध्यापक की भूमिका

विद्यालय उन कुछ स्थानों में से एक हैं जहां विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी दिन-ब-दिन आते रहते हैं और यदि विद्यालय विविधतापूर्ण समाज में सामंजस्य स्थापित करने में विफल रहते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे? इस समस्या और भावना को रोकने के लिए विद्यालय में अध्यापक हमारी युवा पीढ़ी के मन को शांति और मूल्य शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक सद्भाव को प्रज्वलित करने के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं जिसके लिए आवश्यक है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही लागू किया जाए। एक अध्यापक अपनी कक्षा में विविध संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के बच्चों को एक साथ लाने की एक बड़ी ज़िम्मेदारी निभाता है। अध्यापक जो कुछ भी कहते हैं उसका विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ता है। अध्यापक विचारों, दृष्टिकोणों और कार्यों में सकारात्मकता ला सकता है (कर्थिकेयन, 2014)। निम्नलिखित कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे बहुसांस्कृतिक शिक्षा को विद्यालयों में लागू किया जा सकता है—

सीखने की सामग्री

पुस्तकों और सीखने की सामग्री में कई सांस्कृतिक दृष्टिकोण और संदर्भ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पाठ्यपुस्तकों में दिए गए अध्ययन सामग्री के लिए अध्यापक ऐसे उदहारण प्रस्तुत करें जो विद्यार्थियों को उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ने में मदद करें।

विद्यार्थी की संस्कृति

कक्षा अध्यापक के साथ-साथ अन्य अध्यापक विद्यालय में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी रखें जिससे शिक्षण के दौरान किसी विद्यार्थी को कक्षा में अलगाव न महसूस होने पाए और अध्यापक जानबूझकर सीखने के अनुभवों और सामग्री को अपने व्यक्तिगत सांस्कृतिक दृष्टिकोण और विरासत से संबंधित विचारों को सम्मिलित कर सकते हैं। विद्यार्थियों को कक्षा में अन्य विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विभिन्न संस्कृतियों के विद्यार्थियों को अपने सांस्कृतिक अनुभवों पर चर्चा करने और साझा करने के अवसर प्रदान करने चाहिए।

आलोचनात्मक विश्लेषण

कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक शिक्षण सामग्री की जाँच आलोचनात्मक रूप से करें और देखें कि शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों के प्रतिकूल या पक्षपातपूर्ण

न हो। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों अपनी-अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं का विश्लेषण कर सकते हैं और फिर आपस में चर्चा कर सकते हैं कि शिक्षण सामग्री, शिक्षण पद्धतियाँ या विद्यालय की नीतियाँ सांस्कृतिक पूर्वाग्रह को कैसे दर्शाती हैं और पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए उन्हें कैसे बदला जा सकता है।

संसाधन का आवंटन

बहुसांस्कृतिक शिक्षा आमतौर पर समता के सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी शैक्षिक संसाधनों, कार्यक्रमों और सीखने के अनुभवों का आवंटन और वितरण समानता के बजाय आवश्यकता और निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जो विद्यार्थी अंग्रेज़ी भाषा में कुशल नहीं हैं, वे द्विभाषी समायोजन वाली कक्षा में सीख सकते हैं और द्विभाषी पाठ पढ़ सकते हैं तथा वे अपने अंग्रेज़ी बोलने वाले साथियों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थन एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वे अकादमिक रूप से पिछड़ न जाएँ या विद्यालय को छोड़ कर न जाएँ, इसका ध्यान अध्यापक द्वारा शुरू से रखा जाए।

कक्षा में बहुसांस्कृतिक शिक्षा रणनीतियों को सम्मिलित करने के लिए युक्तियाँ

विद्यार्थियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार

विद्यार्थी वास्तव में यह परवाह नहीं करते कि अध्यापक कितना जानते हैं, जब तक कि वह यह नहीं जानते कि अध्यापक विद्यार्थियों का कितना ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ संबंधों को विकसित करने के लिए अध्यापकों को कक्षा और पाठ्यक्रम के बाहर विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों को समूह के साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए कक्षा की शुरुआत में समय निकालना चाहिए।

जिज्ञासा के साथ विद्यार्थियों से संपर्क करें

अध्यापक विचार करें कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि उनके शिक्षण को कैसे प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ विद्यार्थी अपनी कक्षाओं के दौरान नींद में क्यों होते हैं जब तक कि अध्यापक यह पता नहीं कर लेते है तब तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की जानी चहिएँ, जैसे— अध्यापक को यह ज्ञात हुआ कि विद्यार्थी उपवास के कारण नींद में थे। अगर अध्यापक ने यह जानने के बजाय सजा देने का तरीका अपनाया होता, तो उन विद्यार्थियों का एक अलग अनुभव हो सकता था, इसलिए आवश्यक है अध्यापक जिज्ञासा के साथ विद्यार्थियों से संपर्क करें और उनके बारे में जानने का प्रयास करते रहें।

अपनी कक्षा में विकास की मानसिकता को बढ़ावा दें

कक्षा में विकास की मानसिकता बच्चों को यह समझने में मदद कर रही है कि उनकी क्षमताओं को समर्पण और कड़ी मेहनत से सुधारा जा सकता है तथा विद्यार्थियों को यह समझाना कि वे अभी विकास और सुधार के चरण से गुजर रहे हैं, इसके लिए अध्यापक को ही प्रयास करने चाहिए जिसके लिए अध्यापक विद्यार्थियों से लगातार संपर्क में रहें और उनकी समस्याओं के लिए मार्ग प्रशस्त करते रहें।

विद्यार्थियों में विश्वास विकसित करें

छोटी-छोटी सफलताओं को पहचानने से विद्यार्थियों को अपने आप में और अपने कौशल में विश्वास पैदा करने में मदद मिल सकती है। यह अध्यापक और विद्यार्थी संबंध निर्माण के साथ विकसित होता है।

अध्यापक विद्यार्थियों में यह विश्वास जागृत करें कि सभी में भिन्न-भिन्न क्षमताएँ एवं कौशल हैं और सभी विद्यार्थी अपनी क्षमताओं और कौशलों पर विश्वास रखने के साथ अन्य विद्यार्थियों के कौशलों पर भी विश्वास करना सीखें जिससे बहुसांस्कृतिक कक्षा वातावरण का निर्माण हो सके।

समावेशन

समावेशन विभिन्न जातियों, वर्गों, लिंगों और अन्य समूहों के विद्यार्थियों पर लागू होता है। याद रखें कि कोई भी दो विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं। समान उम्र या ग्रेड स्तर के विद्यार्थियों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है। अध्यापक यह निर्धारित करने के लिए पूर्व-मूल्यांकन का उपयोग कर सकते हैं कि विद्यार्थी शैक्षणिक रूप से कहाँ हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देशात्मक अनुभव विकसित करें और यह जानने का प्रयास करें कि क्या विद्यार्थी बहुसांस्कृतिक कक्षा में अवधारणाओं को समझने में महारत हासिल कर रहे हैं अथवा नहीं।

विविध साहित्य के कई उदाहरण सम्मिलित करें

अध्यापक इस बात का मूल्यांकन करें कि क्या आपके पाठ आपके विद्यार्थियों के अनुभवों को दर्शाते हैं और साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित संसाधन विविध हैं जो बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

मंच पर संत होने से बचना चाहिए

अध्यापकों को सीखने में सुविधा प्रदान करने वाले के रूप में कार्य करना चाहिए। सीखना केवल एक तरफ से नहीं होना चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों को गुणन कौशल सिखाना चाहता है, लेकिन साथ यह भी चाहता है कि यह एक खुली बातचीत बन जाए जहाँ दो-तरफ़ा बातचीत विद्यार्थी अध्यापक के साथ करें और उन अनुभवों को साझा करें जिससे उन्हें सीखने में सरलता होती है, इसलिए आवश्यक है कि अध्यापक कक्षा में दोनों तरफ़ा बातचीत करने का प्रयास करें और मंच पर संत बनने से बचे अर्थात सिर्फ अध्यापक बोले और विद्यार्थी सुने ऐसा कक्षा का वातावरण नहीं होना चाहिए।

मूल्यांकन

मूल्यांकन करें कि आपकी शिक्षण शैली और भौतिक स्थान (विद्यालय) किस प्रकार बहुसांस्कृतिक शिक्षा के उद्देश्यों का समर्थन करते हैं। क्या बच्चे सिर्फ़ डेस्क पर बैठे हैं? क्या कमरा इस तरह से बनाया गया है कि विद्यार्थी संवाद कर सकें? क्या अध्यापक के पास सहकारी शिक्षण गतिविधियाँ हैं जिनमें विद्यार्थी सुरक्षित रूप से भाग ले सकते हैं? और इस शिक्षण को कैसे करते हैं? इन सभी का मूल्यांकन करने के पश्चात अध्यापक बहुसांस्कृतिक शिक्षा वाली कक्षा को सही तरह से संचालित कर सकने में सक्षम हो सकते हैं।

सामूहिक कार्य

एक साथ काम करने वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए अध्यापक इस बात का ध्यान रखें कि वास्तविक दुनिया के मुद्दों को हल करने के लिए समस्या-आधारित शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को एक साथ लाना आवश्यक है। लेकिन इसके लिए यह ज़रुरी है कि विद्यार्थियों को हमेशा अपने स्वयं के समूहों को चुनने नहीं देना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों के साथ भागीदारों में जोड़ना चाहिए जिससे कक्षा में एक समावेशी वातावरण बनाने के साथ-साथ बहुसांस्कृतिक वातावरण को भी

लागू किया जा सकता है जिससे सहपाठियों के बीच सहानुभूति को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

विद्यालय को समुदाय में सम्मिलित करें

अतिथि वक्ताओं को कक्षा में आमंत्रित करें जो आपके विद्यार्थी के क्षेत्र और उनकी रुचियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यापक को यह समझना होगा कि आपके विद्यालय के समुदाय में क्या हो रहा है और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाने से विद्यार्थियों को सीखने के अनुभवों को अपने समुदायों से जोड़ने में मदद मिल सकती है।

सुझाव

बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शिक्षण और सीखने के दृष्टिकोण को बदलना है। जिसके लिए आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर के अध्यापक अपनी कक्षा में बहुसांस्कृतिक शिक्षा को लागू करें जो आज के समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें—

- बहुसांस्कृतिक शिक्षा के लिए अध्यापक स्वयं ज़िम्मेदारी लें।
- बहुसांस्कृतिक शिक्षा की अवधारणा को समझने के लिए अध्यापक विभिन्न कार्यशालाओं और संगोष्ठी में प्रतिभाग करें।
- बहुसांस्कृतिक वातावरण को विकसित करने के लिए विद्यालय स्तर पर योजना विकसित करें।
- शिक्षण–योजना, पाठ-योजना एवं पाठ्यचर्या को इस प्रकार से विकसित करें जो कक्षा की विविधता को समाहित करता हो।
- बहुसांस्कृतिक कक्षा हेतु संसाधन विकसित करें जिससे सभी विद्यार्थियों को सीखने में सरलता एवं सहजता हो।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एक अध्यापक की कक्षा में बहुसांस्कृतिक समर्थन बाकी विद्यालय से भिन्न हो सकता है। विद्यालय में एक ऐसा अध्यापक हो सकता है जिससे विद्यार्थी डरते हो और एक ऐसा अध्यापक भी हो सकता है जो देखभाल करने वाला, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखता हो तो विद्यार्थी उस अध्यापक की कक्षा को छोड़ देता है जिससे वह डरता है और उसी विद्यालय में वह उन अध्यापकों की कक्षा में सम्मिलित होते हैं जो उनके साथ दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं। यह कक्षा और विद्यालय का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिस पर विचार किया जाना अति आवश्यक है कि विद्यालय में इस तरह का माहौल न उत्पन्न होने पाए जहाँ भिन्नता को बढ़ावा मिले। इसलिए आवश्यक है कि अध्यापकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा के विषय में जानकरी रखनी चाहिए। शिक्षक अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यदि शिक्षण कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जा सकता है जहाँ सभी विद्यार्थी को समान अवसर प्राप्त हों और सभी विद्यार्थी सरलता से अध्ययन कार्य करते हुए एक बहुसांस्कृतिक समाज में निवास करने में समक्ष हो सकें।

संदर्भ

कर्थिकेयन, पी. 2014. प्रेपरिंग टीचर्स फॉर मल्टीकल्चरल क्लासरूम्स इम्प्लिकेसंस फॉर टीचर प्रिपरेशन एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, *शंलाक्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन*. 2(4), पृ.सं. 47–51.

मिश्र, ए. 2018. द मल्टीकल्चरलिजम एंड इट्स एप्लिकैबिल्टी इन इंडियन क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स,* 6(1). पृ.सं. 876–880.

शिंदे, जी. 2021. मल्टीकल्चरल एजुकेशन : एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट इन इंडियन क्लासरूम. *एजुकेशनल रेसुर्गेन्स जर्नल*. 3, पृ.सं. 190–197.

चित्र संदर्भ

द मल्टीकल्चरल क्लासरूम : हाउ टू सेलिब्रेट डिफरेंसेस एंड फोस्टर रेस्पेक्ट (blog.planbook.com) https://tinyurl.com/4r7h3s8t

3

मनोदर्पण एक पहल

रुचि शुक्ला*
सुष्मिता चक्रवती**

मनुष्य सामाजिक प्राणी है जो सामाजिक संपर्क से अपनी पहचान व्यक्तित्व आदि का निर्माण करने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग करता है। जब यह सामाजिक संपर्क नकारात्मक रूप से उन्मुख होता है या इसे कम कर दिया जाता है तो इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिखाई देते हैं जो अकेलेपन की भावनाओं से लेकर प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे— अवसाद आदि होते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) यूरोपीय मंत्रीस्तरीय सम्मेलन 2005 में मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन किया और बयान दिया कि "मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई स्वास्थ्य नहीं"। इस कथन का समर्थन दोहराता है कि मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका आंतरिक और अपरिहार्य है। मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की एक अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दैनिक जीवन के तनाव का सामना करने में सक्षम होता है समुदाय में उत्पादक ना रहता हैं और योगदान देता है।

2020 में दुनिया में आई महामारी इतनी संक्रामक थी कि इसने एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों को शारीरिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए, सामाजिक दूरी बनाए रखने और खुद को अलग कमरे में बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। इस ज़बरन अलगाव और सामाजिक संपर्क के नुकसान ने उम्र, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया। दुनिया भर की सरकारों ने कोविड19- वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उपाय किए, लेकिन कुछ ही लोगों ने इस महामारी के मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों को समझा और इस दिशा में कार्य किया।

भारत सरकार वैश्विक महामारी कोविड-19 की पूरी अवधि के दौरान अपने नागरिकों की देखभाल करने में सक्रिय रही है। महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए अपने नागरिकों को मुफ्त टीके प्रदान करने के अलावा सरकार ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रबंधित करने और बनाए रखने में उनकी मदद करने की दिशा में भी प्रयास किए। 'मनोदर्पण' सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों में से एक ऐसा ही कदम था। महामारी से उत्पन्न होने वाली अलगाव के मानसिक स्वास्थ्य निहितार्थ की कल्पना करते हुए कार्यक्रम को महामारी के शुरुआती चरणों यानी जुलाई 2020 में प्रारंभ किया गया था।

*_असिस्टेंट प्रोफेसर,_ मनोदर्पण सेल, डी.ई.पी.एफ.ई., रा.शै.अ.प्र.प. नई दिल्ली
**_असिस्टेंट प्रोफेसर_, मनोदर्पण सेल, डी.ई.पी.एफ.ई., रा.शै.अ.प्र.प. नई दिल्ली

मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे

जीवन में किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तथा प्रगति करने के लिए एक प्रभावी, मज़बूत और उत्साह प्रदान करने वाला मनोसामाजिक वातावरण होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। विविध पृष्ठभूमि, विभिन्न आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से उभरती ज़रूरतों और चिंताओं से शिक्षार्थियों के भावनात्मक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परामर्श सेवाओं के रूप में एक समग्र और व्यापक मार्गदर्शन प्रणाली को स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को अपने जीवन को प्रभावी ढंग से और उत्पादक रूप से जीना सुनिश्चित करना है। जीवन कौशल की मदद से समय के साथ लचीला बनना है, जिनमें चुनौतियों, कठिन समय और बाधाओं का सामना करना भी सम्मिलित है।

कोविड -19 (कोरोना वायरस) की वजह से कई प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं, खासकर उन शिक्षार्थियों के लिए जो या तो व्यक्तिगत रूप से वायरस से प्रभावित हुए हैं या अपने प्रियजनों के माध्यम से भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए। इनमे भावनात्मक, शारीरिक और व्यावहारिक प्रतिकियाएँ हो सकती हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इस महामारी के परिणामस्वरूप परिस्थितियों और जीवन में अचानक बदलाव से निपटने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों, माता-पिता और संकाय सदस्यों के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं।

शिक्षार्थियों पर कोविड-19 का मनोसामाजिक प्रभाव

कई विश्वविद्यालयों द्वारा कक्षाओं को निलंबित करने और सुरक्षा कारणों से परिसरों को बंद करने के साथ, शिक्षार्थियों को अचानक परिसर छोड़ना पड़ा, जिससे उनके अकादमिक और सामाजिक जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आये थे। साथ ही ऑनलाइन निदेश/पठन-पाठन होने के कारण अनिश्चितता और असंतोष की भावनाओं का सामना करना पड़ रहा है। महामारी की स्थिति के परिणामस्वरूप शिक्षार्थी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी शिक्षा का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है और जैसे ही वे स्नातक होंगे काम के अवसर सीमित हो जाएँगे।

कोविड-19 महामारी के दौरान चुनौतियाँ और विशिष्ट प्रतिक्रियाएँ

हर व्यक्ति तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जैसे कि इस संक्रामक रोग का प्रकोप, जिसमें सामाजिक दूरी और/या आत्म-अलगाव की आवश्यकता होती है। ऐसे अनुभवों से व्यक्ति मे विभिन्न प्रकार की भावनाएँ आती हैं, लेकिन अगर इस तरह की भावनाएँ और अनुभव आपके सामान्य कामकाज़ में बाधक होती हैं, तो समय पर मनोवैज्ञानिक की मदद लेना बेहतर होता है।

- अपने स्वयं के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में चिंता
- सामाजिक दूरी बनाने के लिए जीवन की मांगें प्रभावित होती हैं जिसके प्रबंधन की चिंता होना
- दुनिया, दोस्तों और परिवार से कटे हुए होने के कारण अकेलेपन की भावना
- अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होने के बारे में गुस्सा और निराशा
- दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में संलग्न न होने के कारण बोरियत और निराशा
- अनिश्चितता या अस्पष्टता से चिड़चिड़ापन

- स्थितियों की वजह से व्यवहारों का उपयोग करने, जैसे— देर रात तक जागना या अधिक खाना आदि।
- नौकरी के साक्षात्कार के लंबित परिणाम के बारे में तनाव

शिक्षार्थियों के भावनात्मक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव पर गतिविधियाँ करने की आवश्यकता है। ऐसी गतिविधियों का मनोदर्पण के माध्यम से भारत सरकार ने संचालन करें जो उन्हें इससे निपटने में मदद कर सकती हैं। बेहतर सीखने, मनोसामाजिक कल्याण तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम तरीकों को विभिन्न तरीकों से संचालित किया जा रहा है।

मनोदर्पण ने इन चुनौतियों से उबरने के लिए विभिन्न सुझाव और व्यावहारिक युक्तियाँ अपने वेबपेज पर सभी से साझा की जो कि निम्नलिखित हैं—

- **अपनी भावना को पहचानें, समझे और स्वीकार करें**— यह जानना और अवलोकन करना कि आपके विचार और भावनाएँ आपको कैसे प्रभावित कर रही हैं, ताकि आप जान सकें कि मदद कब लेनी है।
- **अपने संवाद को प्रभावी बनाएँ तथा इसे पूर्ण करने के लिए विभिन्न कौशलों को अपनाएँ**— हम अपने जीवन में अधिकांशतः अपने स्वयं के साथ बातचीत करते हैं (आत्म-संवाद)। हमें नकारात्मक घटनाओं और विचारों से दूर रहने का प्रयास करते रहना चाहिए।
- **अपने परिवार के साथ बातचीत और जुड़ाव के लिए प्रतिदिन साथ में समय व्यतीत करें**— अपने परिवार में किसी के साथ अपनी चिंताओं को साझा करें और अपने विचारों और चिंताओं पर खुलकर चर्चा करें।
- **संतुलित आहार और पौष्टिक भोजन करने कि आदत डालें**— अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखें। अच्छी तरह से भोजन करना शरीर और मन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पौष्टिक खाने की कमी मन और नींद परिवर्तन भी दिखा सकती है, इसलिए स्वस्थ और घर का बना भोजन चुनें।
- **हर दिन अपने लिए कुछ समय निर्धारित करें**— अपनी खूबियों पर आधारित कौशलों पर काम करें। अपने सुधार के क्षेत्रों पर नज़र रखें, लेकिन अपनी कमियों को अपने पर हावी न होने दें।
- **मीडिया के साथ कम से कम समय बिताएँ तथा निर्धारित समय सीमा के अनुसार चले**— आपके द्वारा पढ़ी या सुनी जाने वाली खबरों की दोबारा जाँच करें। भ्रामक समाचार और अफ़वाहों से बचें।
- **दिनचर्या बनाए रखें और अपने शरीर की देखभाल करें**—
  - नींद, अध्ययन, मनोरंजन और पोषण के लिए एक निर्धारित दिनचर्या पर अमल करें।
  - स्वस्थ खाएं और कैफीन, शराब या अन्य पदार्थों के अत्यधिक उपयोग से बचें।
- **दैनिक गतिविधियों में विविधता ले आएँ जैसे**—
  - अपनी रुचि की पुस्तक पढ़ें।
  - ईमेल द्वारा प्रोफेसरों के साथ जुड़े रहें और कक्षा के काम और असाइनमेंट के साथ बने रहें।
- **चेतावनी के संकेतों को जानें**— यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि आपका बच्चा गंभीर चिंता से निपट रहा है या नहीं, लेकिन

कुछ अशाब्दिक संकेत होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ संकेतों में असंयमित भोजन, अत्यधिक सोना या थकावट, मिजाज़ में अप्रत्याशित बदलाव शामिल हैं।

- **अपने बच्चे के साथ गुणात्मक समय बिताएँ**— अपने बच्चे से जुड़े रहें और उनकी आशंकाओं के बारे में उनके साथ बातचीत करें। अपने बच्चे के साथ भावनात्मक स्वास्थ्य चिंताओं के बारे में खुलकर बात करें, जो कि विश्वास बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। मुद्दों के बारे में अपने बच्चे से खुलकर बात करें, और उन्हें बताएं कि वे क्या कर रहे हैं पर बातचीत उनके लिए ठीक है।
- बच्चे को अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें परिस्थितियों का सामना करने में सहायता करें।

जब आपका बच्चा संघर्षों के बारे में खुल कर बताता है, धैर्य रखें, और उसे बताएँ कि किसी भी संकट या असफलता के बारे में बस एक मुश्किल दौर है, जो गुज़र जाएगा।

- **अपने काम की यथार्थ योजना बनाएँ**— हालाँकि इस समय के दौरान कार्य शैली बदल गई है, जो हम में से कई लोगों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि काम पूरी तरह से ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा रहा है और काम का माहौल हमारी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, हमें काम करना और काम और घरेलू कामों के बीच संतुलन बनाने के लिए वर्तमान तरीके को स्वीकार करने की आवश्यकता है।
- **नियमित रूप से शिक्षार्थियों से जुड़े तथा उनकी कुशलता के बारे में पूछताछ करें**— अपने शिक्षार्थियों से समय-समय पर पूछें कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और यदि उन्हें मनोसामाजिक सहायता की आवश्यकता है तो उनके साथ उन स्रोतों को साझा करें जिनके माध्यम से उन्हें मदद मिल सकती है।

मनोदर्पण की गतिविधियाँ

मनोदर्पण "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 और उसके बाद के समय में छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। इसका उद्घाटन 21 जुलाई, 2020 को माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा किया गया था। पहल के तहत, शिक्षा मंत्रालय की 'वेबसाइट' (https://manodarpan.education.gov.in) पर एक 'वेबपेज' बनाया गया। छात्रों (स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में) और उनके माता-पिता और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए, टेली-परामर्श प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय 'टोल-फ्री हेल्पलाइन' (8448440632) स्थापित की गई। मनोदर्पण पहल के तहत परिकल्पित कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, मनोदर्पण सेल की स्थापना रा.शै.अ.प्र.प. में की गई। सेल में शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारी समूह के सदस्य और संकाय सदस्य (डी.ई.पी.एफ.ई. एवं आर.आई.ई.) भी शामिल हैं।

छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता की दिशा में गतिविधियाँ और विज्ञापन

- छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण संबंधी सरोकारों को संबोधित करने के लिए लाइव 'सहयोग सत्र' प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार (शाम 5:00–5:30 बजे तक) और 'परिचर्चा' वेबिनार प्रत्येक शुक्रवार (दोपहर 2:30 से 4:00 बजे तक) विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं। ये सत्र पीएम ई-विद्या चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं और 'रा.शै.अ.प्र.प.' के यूट्यूब आधिकारिक (NCERT Official) चैनल पर भी देखा जा सकता है।
- छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए 'टोल-फ्री टेली-हेल्पलाइन'(8448440632) स्थापित की गई है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आई.वी. आर.एस. के माध्यम से परामर्श प्रदान करने हेतु परामर्शदाता इस दिशानिर्देश हेल्पलाइन से मनो — सामाजिक मुद्दों पर कॉलर से बात कर उनका मनोदर्पण करते हैं।
- मनोदर्पण द्वारा एक सर्वेक्षण, *The Mental Health and Well-being of School Students— A Survey* किया गया जिसमें 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के विभिन्न प्रकार के स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों ने जनवरी-मार्च, 2022 के बीच भाग लिया। 'डाटा' को 'गूगल फॉर्म' (द्विभाषी— हिंदी और अंग्रेज़ी) के माध्यम से एकत्र किया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय द्वारा 6 सितंबर, 2022 को जारी की गई।
- मॉड्यूलर हैंडबुक *Early Identification and Intervention for Mental Health Problems in School-Going Children* में शिक्षकों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं (तनाव/अस्वस्थता) की शुरुआती पहचान, खोज और हस्तक्षेप के लिए दिशा-निर्देश शामिल हैं। यह हैंडबुक शिक्षकों, परामर्शदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए 6 सितंबर, 2022 को जारी की गई।
- मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह और अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस देश के सभी प्रांत के स्कूलों मे विभिन्न गतिविधियों को आयोजित किया जाता है। यह छात्रों के जीवन की गतिविधियों में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित होता है।
- मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में छात्रों की धारणा का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। (https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/Mental_Health_WSS_A_Survey.pdf) छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करता है। सर्वेक्षण गूगल फॉर्म के माध्यम से किया गया था। कक्षा 6–8 (मध्य चरण)— 9–12 (माध्यमिक चरण) और देश भर के स्कूल शामिल थे। सर्वेक्षण में जनवरी से मार्च 2022 के बीच कुल 3,79,013 छात्रों ने भाग लिया। समग्र सर्वेक्षण निष्कर्ष प्रदर्शित करते हैं कि छात्र अपने जीवन में अच्छा करने के लिए ज़िम्मेदार महसूस करते हैं, स्कूल के साथ संतुष्टि का अनुभव करते हैं

और ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए ज़िम्मेदार महसूस करते है।

अधिकांश छात्रों ने खुद को भरोसेमंद माना और उन्होंने सामाजिक समर्थन मांगने में संकोच नहीं किया, जो उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को बनाए रखना एक सुरक्षात्मक कारक है। सर्वेक्षण में यह भी ज्ञात हुआ कि छात्रों में अनुभव की जाने वाली सबसे सामान्य भाव ना खुशी है। छात्रों में बार-बार मन बदलना, पढ़ाई, परीक्षा और रिज़ल्ट को लेकर चिंतित रहना सर्वाधिक बताया गया।

निष्कर्ष

यह कहना गलत होगा कि पिछले वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में प्रयास नहीं किए गए हैं। हालाँकि, यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए प्रभावी सहायता प्रदान करना भारत भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। शैक्षिक तनाव को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्कूली छात्रों के साथ 'परीक्षा पे चर्चा' की शुरुआत की। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की व्यापकता को देखते हुए अधिक केंद्रित और व्यापक हस्तक्षेप की आवश्यकता भी महसूस की गई। महामारी के आने से मानसिक स्वास्थ्य निहितार्थों के साथ इस दिशा के प्रयासों में तेजी आई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सभी क्षेत्रों में छात्रों के समग्र विकास के लिए सुझाव दिया है और छात्रों और शिक्षकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बड़ी प्राथमिकता और उच्च महत्व दिए जाने की बात कहीं है। इसलिए अन्य विकास के साथ-साथ छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य को भी समान महत्व देने की आवश्यकता है।

मनोदर्पण, शिक्षकों, छात्रों के साथ-साथ उनके माता-पिता को टोल-फ्री परामर्श सेवाओं, ऑनलाइन लाइव इंटरैक्टिव सत्र, सम्मेलनों आदि के माध्यम से विभिन्न मनोवैज्ञानिक सामाजिक मुद्दों का सामना करने में मदद कर रहा है। साथ ही, रिश्तों, जीवन कौशल, व्यायाम/ध्यान आदि जैसे सुरक्षात्मक कारकों को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका मानसिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो बेहतर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। मनोदर्पण इस एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए स्कूलों और राज्य सरकारों को भी पहल करनी होगी।

संदर्भ

https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/Mental_Health_WSS_A_Survey.pdf

https://www.education.gov.in/covid-19/Hindi/assetshi/img/pdf/advisory_for_university_students_hi.pdf

4

वर्तमान परिदृश्य में प्राथमिक शिक्षकों के अनुसार महत्वपूर्ण जीवन कौशल
एक अध्ययन

अभिषेक कुमार मौर्य*
आंचल पाण्डेय**
अंजलि बाजपेयी***

जीवन कौशल मानवीय अनुकूलन और सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताए हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभावी ढँग से निपटने में सक्षम बनातीं हैं। इन जीवन कौशलों को सीखा और सुधारा जा सकता है। जीवन कौशल का अर्थ है— प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी कौशल का अवश्य होना। केवल व्यक्ति को अपने अंदर के कौशल को जानने और पहचानने की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (1997) ने दस जीवन कौशलों को व्यक्त किया है— आत्म जागरूकता, प्रभावी संचार कौशल, पारस्परिक संबंध, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सहानुभूति, तनाव से मुकाबला और भावनाओं से मुकाबला करना। यह शोध पत्र प्राथमिक शिक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों से कुछ अन्य जीवन कौशलों को जानने और समझने पर केंद्रित है जिन्हें प्राथमिक स्तर पर जीवन कौशल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। वर्तमान अध्ययन में विवरणात्मक सर्वेक्षण का प्रयोग किया गया है। प्रतिदर्श चयन के लिए आकस्मिक (एक्सीडेंटल) प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में 71 प्राथमिक शिक्षकों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की गई हैं। इसमें हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाओं में स्वनिर्मित 'प्राथमिक स्तर के लिए जीवन कौशल मापनी' उपकरण का प्रयोग किया गया है जिसमें दस प्रश्न 'हाँ' 'नहीं' और कारण के साथ उपस्थित थे। नौ जीवन कौशल से संबंधित और एक कोई अन्य सुझाव से संबंधित था। परिणाम मे यह पाया गया की प्राथमिक शिक्षकों ने आशावादी कौशल, क्रोध प्रबंधन कौशल और नैतिक मूल्य कौशल को अधिक प्राथमिकता दी है।

जीवन कौशल मानवीय अनुकूलन और सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएँ हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनातीं हैं। इन जीवन कौशलों को सीखा और सुधारा जा सकता है। जीवन कौशल का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई कौशल अवश्य होता है, केवल व्यक्ति को अपने अंदर के कौशल को जानने और पहचानने की आवश्यकता है।

*राधाकृष्णन इंटर्न, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
**रिसर्च एसोसिएट, आई.ओ.ई., शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
***प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

एक अवधारणा के रूप में जीवन कौशल की उत्पत्ति उस समय से हुई जब मनुष्य ने संसार में जीवन जीना आरंभ किया जो बुनियादी खोज और उत्तरजीविता कौशल के साथ आरंभ हुई, जिसने उन्हें जीवित रहने में मदद की। जैसे-जैसे समय बीतता गया और व्यक्तियों की संख्या बढ़ती गई, इस प्रकार समाज, समुदाय और देश बनते गए। जीवित व्यक्तियों को जीवित रहने के लिए केवल कुछ बुनियादी कौशलों की तुलना में अधिक कौशलों की आवश्यकता हई। उदाहरण के लिए, इन कौशलों में संघर्ष से निपटना, दोस्त या रिश्ते बनाना और बनाए रखना, सहयोग करना, समस्याओं को सुलझाना, खुद के बारे में जागरूक होना, अलग तरह से सोचना, चीज़ों का विश्लेषण करना और निर्णय लेना, तनाव से निपटना, सकारात्मक बातचीत कायम करना, मूल्यों का स्पष्टीकरण, तनाव का सामना करना, हताशा/निराशा का मुकाबला करना, आगे की योजनाएँ बनाना, सहानुभूति, भावनाओं से निपटना, मुखरता, सक्रिय रूप से सुनना, सहिष्णुता, विश्वास साझा करना, सहानुभूति, करुणा, सामाजिकता, आत्म-सम्मान आदि। इस प्रकार इन मनोसामाजिक कौशलों की सूची से जो प्रमुख कौशल निकाले जा सकते हैं वे हैं— व्यक्तिगत कौशल, सामाजिक कौशल, पारस्परिक संबंध कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, भावात्मक कौशल और सार्वभौमिक कौशल।

जीवन कौशल की कई अलग-अलग समझ हैं, लेकिन कोई भी परिभाषा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं है। अलग-अलग संगठन इस शब्द को अलग-अलग अर्थ देते हैं। डेलर्स आयोग '1997' ने सीखने के चार स्तंभ बताएँ है— जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, होने के लिए सीखना और एक साथ रहने के लिए सीखना। इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो (आई.बी.ई.) 1997 ने अपनी समझ प्राप्त की और जीवन कौशल को व्यक्तिगत, प्रबंधन और सामाजिक कौशल के रूप में परिभाषित किया जो एक स्वतंत्र आधार पर कार्य करने के लिए आवश्यक है। यह सामान्यतः तीन मानदंडों पर जीवन कौशल को परिभाषित करता है—

(i) प्रमुख दक्षताएँ एक समग्र सफल जीवन और एक अच्छी तरह से काम करने वाले समाज में योगदान करती हैं,

(ii) वे प्रासंगिक संदर्भों के व्यापक स्पेक्ट्रम में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, और अंत में,

(iii) वे सभी व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक हैं।

ये प्रमुख दक्षताएँ हैं—

(i) सामाजिक रूप से विषम समूहों में कार्य करना,

(ii) स्वायत्त रूप से कार्य करना और

(iii) अंतःक्रियात्मक रूप से उपकरणों का उपयोग करना। सभी के लिए शिक्षा (2000) के अनुसार जीवन कौशल उत्तरजीविता, क्षमता विकास और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक शिक्षण उपकरणों में से हैं। इसने यह भी उल्लेखित किया कि सभी युवाओं और वयस्कों को "ऐसी शिक्षा से लाभान्वित होने का मानवाधिकार है जिसमें जानना, करना, एक साथ रहना-सीखना शामिल है"। एक साथ रहने के महत्व को पहचानना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि शैक्षिक वातावरण से ज्ञान प्राप्त करना।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (1997) ने 10 जीवन कौशलों को व्यक्त किया है— आत्म जागरूकता, प्रभावी संचार कौशल, पारस्परिक संबंध, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सहानुभूति, तनाव से मुकाबला, भावनाओं से मुकाबला करना। जीवन कौशल को दो भाग में समझा जा सकता हैं सामान्य कौशल, जैसे— आत्मविश्वास संबंधी कौशल, निर्णय लेने की क्षमता संबंधी कौशल, तनाव उन्मूलन कौशल, विपरीत परिस्थितियों में समायोजन कौशल, स्वयं के प्रति जागरूकता का कौशल, गलत कार्य के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति का कौशल, सकारात्मक व्यवहार, समालोचनात्मक सोच, एक दूसरे के प्रति समाज का कौशल और उच्च स्तरीय कौशल, जैसे— श्रेष्ठ उष्णीयता एवं उच्च मानसिक स्तर, सोचने के रास्ते, मानसिक एवं शारीरिक विश्राम, लक्ष्य निर्धारण समस्या समाधान, संप्रेषण, सामाजिक समर्थन और स्वास्थ्य प्रद से जीवन स्तर।

जीवन कौशल शिक्षा सी.बी.एस.ई. मे 2005 से लागू की गई थी। इसकी आवश्यकता छात्रों को हर कदम पर होती है। समय के साथ शैक्षिक घटकों में परिवर्तन देखा जा सकता है। साथ ही साथ छात्रों के समायोजन, धैर्य और अन्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में परिवर्तन देखा जा सकता है। जीवन कौशल की शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर सभी पर जरूरत होती है। अगर प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को उचित जीवन कौशल की शिक्षा दी जाए तो उनका आगे का जीवन सरल और सुखमय बन सकता है और वो अपनी मंज़िल को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित साहित्य की समीक्षा विश्व स्वास्थ्य संगठन (1997) द्वारा दी गए जीवन कौशलों के आलवा कुछ और कौशलों की ओर इशारा करती है जिनकी आज के छात्रों को आवश्यकता है, जैसे— क्रोध प्रबंधन, प्राथमिकता कौशल, आशावाद कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता आदि। कौशलों को प्राथमिक छात्रों के लिए जीवन कौशल पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।

यह शोध पत्र प्राथमिक शिक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों द्वारा कुछ अन्य जीवन कौशलों को जानने और समझने पर केंद्रित है, जिन्हें प्राथमिक स्तर पर जीवन कौशल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।

उद्देश्य

1. प्राथमिक शिक्षकों द्वारा नए जीवन कौशलों के लिए प्रतिशतवार उत्तर ज्ञात करना।
2. सबसे उपयुक्त जीवन कौशल का पता लगाना जिसे प्राथमिक स्तर पर जीवन कौशल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

अध्ययन की विधि— वर्तमान अध्ययन में विवरणात्मक सर्वेक्षण का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या— वर्तमान अध्ययन के लिए वाराणसी जिले के विद्यालयों के सभी अध्यापक जनसंख्या है।

प्रतिदर्श एवं प्रतिदर्शन विधि— प्रतिदर्श चयन के लिए आकस्मिक (एक्सीडेंटल) प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है। वर्तमान अध्ययन में 71 प्राथमिक शिक्षकों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की गयी हैं जिनका विवरण निम्न हैं—

तालिका 1— प्रतिदर्श चयन का विवरण

लिंग		पद		विद्यालयी विवरण	
पुरुष	*महिला*	*प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका*	*अध्यापक/ अध्यापिका*	*सरकारी*	*निजी*
24	47	06	65	36	35

प्रयुक्त उपकरण— वर्तमान अध्ययन में हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाओं में स्वनिर्मित 'प्राथमिक स्तर के लिए जीवन कौशल मापनी' उपकारंण का प्रयोग किया गया है जिसमें दस प्रश्न 'हाँ', 'नहीं' और कारण के साथ उपस्थित थे। नौ जीवन कौशल से संबंधित और एक कोई अन्य सुझाव से संबंधित थे।

परिणाम

इस तालिका के आधार पर दिए गए 9 जीवन कौशलों पर प्राथमिक शिक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों का विस्तारपूर्वक विवरण इस प्रकार है—

क्रोध प्रबंधन कौशल

71 प्राथमिक शिक्षकों में से 61 (85.9 प्रतिशत) का मत था कि क्रोध प्रबंधन कौशल प्राथमिक विद्यालयों में सिखाया जाना चाहिए। यदि इसे कम उम्र में सिखाया जाए तो यह समाज के लिए फायदेमंद साबित होगा। क्रोध में किए गए कार्य का परिणाम अक्सर पछतावा होता है। क्रोध को नियंत्रित किए बिना अनुशासन संभव नहीं है। क्रोध में निर्णय नहीं हो पाता, अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं। यह सर्वविदित है कि किसी का क्रोध स्वयं को हानि पहुँचाता है। बच्चों को क्रोध

तालिका 2— जीवन कौशल पर प्राथमिक शिक्षकों की प्रतिशतवार प्रतिक्रियाएँ

क्र. सं.	चयनित जीवन कौशल	प्रतिक्रियाएँ							
		हाँ		*नहीं*		*दोनों*		*कोई उत्तर नहीं*	
		संख्या	*%*	*संख्या*	*%*	*संख्या*	*%*	*संख्या*	*%*
1.	क्रोध प्रबंधन कौशल	61	85.9	07	9.9	01	1.4	02	2.8
2.	उचित प्राथमिकता निर्धारण का कौशल	55	77.5	12	16.9	00	00	04	5.6
3.	आशावाद कौशल	65	91.5	02	2.8	01	1.4	03	4.3
4.	अतीत को भूलने का कौशल	48	67.6	15	21.2	00	00	08	11.2
5.	नैतिक मूल्य कौशल	60	84.5	03	4.2	01	1.4	07	9.9
6.	भावात्मक बुद्धिमत्ता कौशल	56	78.8	06	8.4	00	00	09	12.8
7.	पश्चाताप के बिना जीने का कौशल	42	59.1	20	28.1	00	00	09	12.8
8.	स्व-प्रेरणा कौशल	59	83.1	05	7.0	00	00	07	9.9
9.	आत्म-प्रकटीकरण कौशल	51	71.8	13	18.3	01	1.4	06	8.5

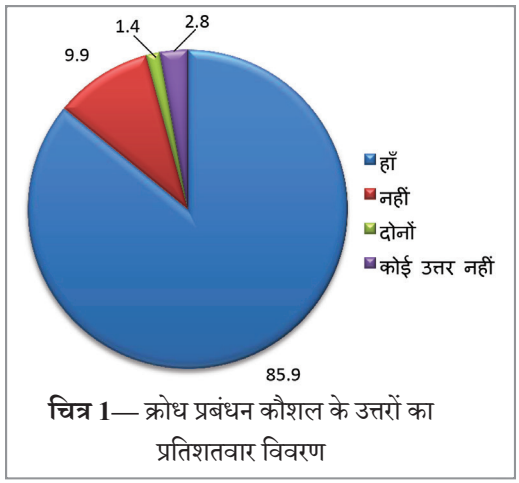

चित्र 1— क्रोध प्रबंधन कौशल के उत्तरों का प्रतिशतवार विवरण

से निपटना सिखाया जाना चाहिए, बड़े होने पर इस प्रकार की समस्याओं से निपटना मुश्किल हो जाता है और व्यक्तित्व विकार हो सकता है। अगर इस उम्र में इसे प्रबंधित नहीं किया जाता है तो यह भावी जीवन में आक्रामक व्यवहार का कारण बन सकता है।

उचित प्राथमिकता निर्धारण का कौशल

71 प्राथमिक शिक्षकों में से 55 (77.5 प्रतिशत) का विचार था कि उचित प्राथमिकता निर्धारण कौशल

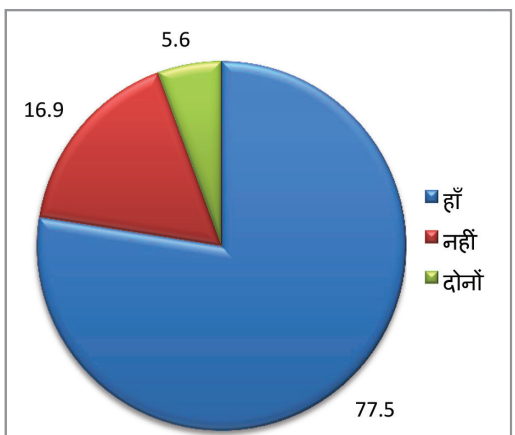

चित्र 2— उचित प्राथमिकता निर्धारित कौशल के उत्तरों को प्रतिशतवार विवरण

प्राथमिक विद्यालयों में सिखाया जाना चाहिए, प्राथमिक छात्रों के लिए सही प्राथमिकता कौशल निर्धारित करना फायदेमंद होता है, यदि वे काम के लिए समय आवंटित करना सीख जाते हैं तो वे ज़रूरत पड़ने पर सीमित समय में अधिक काम कर पाएँगे। समय बहुत महत्वपूर्ण है; इस कौशल से छात्र कम समय में आगे बढ़ सकेंगे। छात्र महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता दे सकेंगे; सीखना और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब छात्रों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्य समय पर पूरा कर लिया जाएगा तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे स्वयं ही आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। अधिक से अधिक प्रासंगिक कार्य कम समय में पूरा किया जा सकता है और घर, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। कभी-कभी छात्र बिना सोचे-समझे काम कर लेता है और ऐसी स्थिति में किए जाने वाले आवश्यक कार्य प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए काम को प्राथमिकता देने का कौशल उसके लिए महत्वपूर्ण है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार सही रास्ते पर काम करना महत्वपूर्ण है और यह कार्य को प्राथमिकता दिए बिना संभव नहीं है, इसलिए यह कौशल छात्रों को यह जानने में सक्षम करेगा कि किसी विशेष समय में क्या सही है और क्या गलत है।

आशावाद कौशल

71 प्राथमिक शिक्षकों में से 65 (91.5 प्रतिशत) का विचार था कि आशावाद कौशल प्राथमिक विद्यालयों में सिखाया जाना चाहिए, यह कौशल छात्रों के लिए व्यक्तिगत क्षमताओं में विश्वास करने के लिए एक सुरक्षात्मक कारक के रूप में कार्य करता है। बहुत ही कोमल अवस्था से छात्रों को आने वाले भविष्य में सभी समस्याओं का सामना करना और उनसे लड़ना सीखना चाहिए। बच्चे के सर्वांगीण विकास

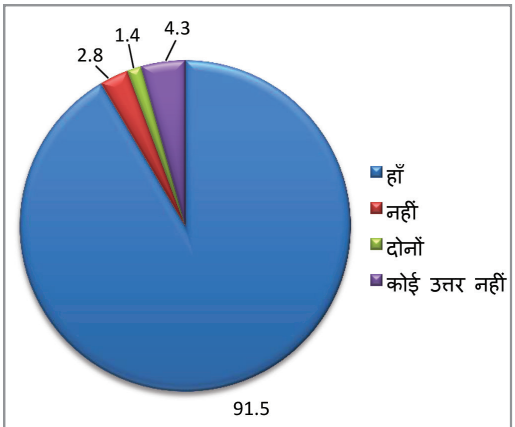

चित्र 3— आशावाद कौशल के उत्तरों का प्रतिशतवार विवरण

के लिए इसे प्राथमिक स्तर से ही विकसित किया जाना चाहिए। छोटे बच्चों में भी नकारात्मकता और हताशा देखी जा सकती है, यह कौशल सकारात्मक सोच विकसित करेगा, तनाव, तनाव को कम करेगा और उन्हें समस्याग्रस्त परिस्थितियों का सामना करने, समस्याओं को हल करने और पूर्णता के साथ अधिक कुशलता से काम करने में मदद करेगा। यदि छात्र प्रतियोगिता के समय में स्वयं दूसरों से पीछे रह जाते हैं तो उनके आत्मविश्वास में कमी आती है; यह कौशल उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा और दूसरों के साथ अच्छे संबंध विकसित करेगा। यह कौशल रचनात्मकता को विकसित करने और नए कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करेगा।

अतीत को भूलने का कौशल

71 प्राथमिक शिक्षकों में से 48 (67.6 प्रतिशत) का विचार था कि अतीत को भूलने का कौशल प्राथमिक विद्यालयों में सिखाया जाना चाहिए, सभी के लिए अतीत की दुखद घटनाओं को जाने देना बहुत ज़रूरी है। यह मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। भावनात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए, स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लिए, यह जानने के लिए कि अतीत के बुरे अनुभव अपराध करने का कारण बन सकते हैं, कभी-कभी उन अनुभवों को जाने देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। छात्रों को उन घटनाओं से सबक लेकर उन्हें बार-बार सोचने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। जब यह कौशल छात्रों द्वारा सीखा जाता है तो वे दूसरों के साथ समन्वय विकसित कर सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर दोस्ती कर सकते हैं। अतीत के दुखद अनुभवों के परिणामस्वरूप शर्म, ग्लानि, आंतरिकता की भावना, नकारात्मकता, भय और

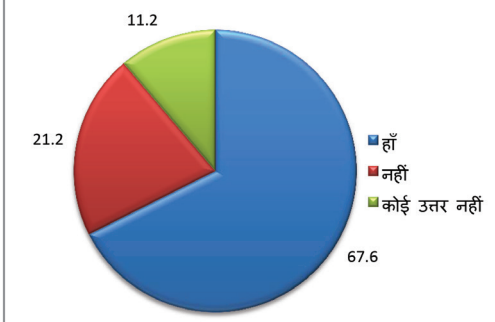

चित्र 4— अतीत को भूलने का कौशल के उत्तरों का प्रतीशवार विवरण

कभी-कभी अवसाद की भावना पैदा हो सकती है, इन परिस्थितियों में यह कौशल बहुत महत्वपूर्ण होगा।

नैतिक मूल्य कौशल

71 प्राथमिक शिक्षकों में से 60 (84.5 प्रतिशत) का विचार था कि नैतिक मूल्य कौशल प्राथमिक विद्यालयों में सिखाया जाना चाहिए, मूल मूल्यों या नैतिक मूल्यों का ज्ञान पूरे जीवन का आधार है, यह

प्राथमिक विद्यालय से दिया जाना चाहिए, बिना मूल्यों या नैतिकता को अपनाए एक सभ्य नागरिक और सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा की जड़ मूल्य आधारित है, मानवता के बिना शिक्षा बेकार है। आधुनिक समाज में नैतिक मूल्यों का

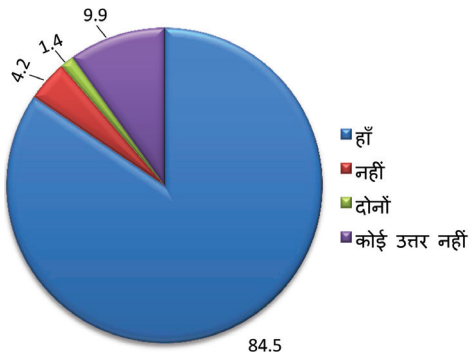

चित्र 5— नैतिक मूल्य के उत्तरों का प्रतिशतवार विवरण

ह्रास बचपन से ही देखा जा सकता है, सभ्य समाज के निर्माण में नैतिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इसे प्राथमिक स्तर से ही सिखाया जाना चाहिए ताकि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वह उचित व्यवहार कर सके। शिक्षकों, बड़ों, छोटों और समाज के स्वीकृत सदस्य बनें।

भावात्मक बुद्धिमत्ता कौशल

71 प्राथमिक शिक्षकों में से 56 (78.8 प्रतिशत) का विचार था कि भावात्मक बुद्धिमत्ता कौशल प्राथमिक विद्यालयों में सिखाया जाना चाहिए, भावनाएँ व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं, भावनाओं को नियंत्रित करना किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संभालने में मदद करता है। छात्र विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति या नस्लीय पृष्ठभूमि से आते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशल की मदद से वे सामूहिक रूप से काम करना सीखेंगे।

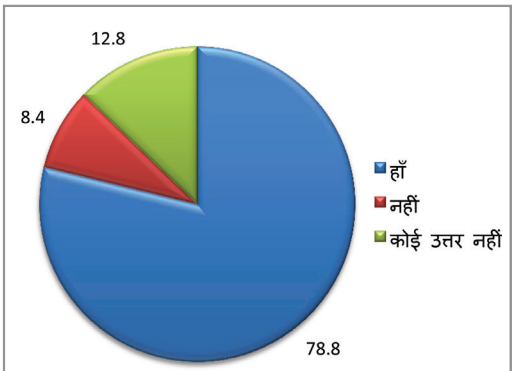

चित्र 6— भावात्मक बुद्धिमत्ता कौशल के उत्तरों को प्रतिशतवार विवरण

भावनात्मक आवेग ऊर्जा से भरा होता है, यदि इस ऊर्जा का सही उपयोग न किया जाए तो यह छात्र के विकास के स्थान पर खतरनाक हो सकती है। जब विद्यार्थी भावनाओं को आत्मसात करते हैं तो वे आवश्यकता के अनुसार भावनाओं को संभालने में सक्षम होते हैं, अपनी भावनाओं को ठीक से प्रकट करते हैं और दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकते हैं। भावनाओं को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने के लिए हर किसी के पास खोपड़ी होनी चाहिए, भावनात्मक विस्फोट के लिए यह सेकंड का मामला है, लेकिन भविष्य को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। इस कौशल के द्वारा वे बिना डरे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और समय पर निर्णय ले सकते हैं। यह बेहतर शिक्षा, दोस्ती, शैक्षणिक सफलता और रोज़गार का प्रवेश द्वार है। यह दूसरों के साथ संबंधों में विश्वास, स्थिरता और सकारात्मकता विकसित करने में प्रभावी है।

पश्चाताप के बिना जीने का कौशल

71 प्राथमिक शिक्षकों में से 42 (59.1 प्रतिशत) का विचार था कि पश्चाताप के बिना जीने का कौशल प्राथमिक विद्यालयों में सिखाया जाना चाहिए, पछतावा महसूस करना विचार प्रक्रिया को बदलना है, पछतावा महसूस करने का मतलब केवल गलत मोड़ को ईमानदारी से स्वीकार करना है। बीती हुई गलती को भूलकर उस पर पछतावा न करने से जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। पछतावा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए बिना पछतावे के जीने का कौशल प्राथमिक स्तर से ही विकसित किया जाना चाहिए। बच्चा बिना मानसिक तनाव के आगे का जीवन जी सकता है। यदि किसी गलत बात पर पछताने का भाव न हो तो गलतियों को बार-बार हराया जा सकता है। बिना पछतावे के जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि कोई कभी गलती नहीं करेगा या असफल नहीं होगा, इसका मतलब है जीवन को पूरी तरह से जीना और पर्यावरण से सीखना। समय-समय पर अफ़सोस होता है कि वे नई चीज़ें नहीं सीख पाते और पहल नहीं कर पाते, इसलिए बचपन से ही इस हुनर को लक्ष्य बनाना चाहिए। माता-पिता को अपेक्षाएँ अधिक होती हैं, यदि संतान उन्हें पूरा नहीं कर पाती है तो उनमें अवसाद पैदा हो सकता है। इस प्रकार, बिना पछतावे के जीने का कौशल अतीत में किए गए गलत कामों से छुटकारा पाने, वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने और पूर्ण रूप से जीने में सहायक होगा।

स्व-प्रेरणा कौशल

71 प्राथमिक शिक्षकों में से 59 (83 प्रतिशत) का विचार था कि स्व-प्रेरणा कौशल प्राथमिक विद्यालयों में सिखाया जाना चाहिए, अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति मानी जाती है, जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। जब छात्रों द्वारा स्व-प्रेरणा कौशल सीख लिया जाता है, तो वे लक्ष्य की प्राप्ति तक काम करते रहते हैं और इस क्रिया में उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। समाज में सकारात्मक

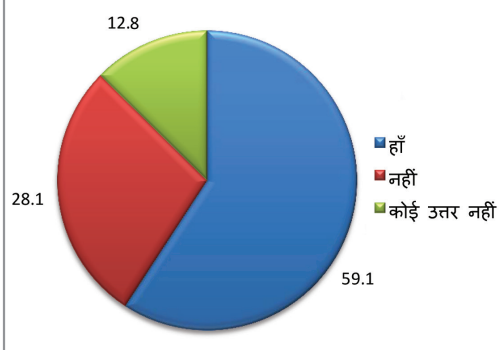

चित्र 7— पश्चाताप के बिना जीने का कौशल के उत्तरों का प्रतिशतवार विवरण

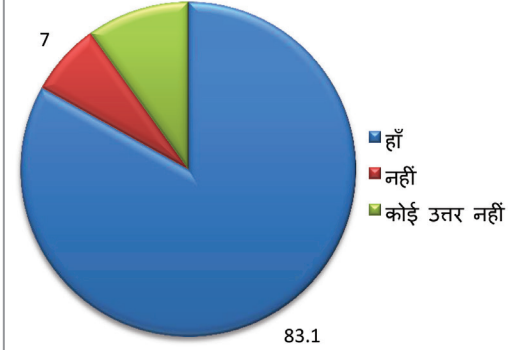

चित्र 8— स्व-प्रेरणा कौशल के उत्तरों का प्रतिशतवार विवरण

और नकारात्मक लोग होते हैं, जब प्राथमिक स्तर पर आत्म-प्रेरणा का कौशल सीखा जाता है, तो भविष्य में नकारात्मक व्यक्ति की संगति में भी छात्र प्रेरित होंगे। स्व-प्रेरणा कौशल द्वारा छात्र बिना किसी डर या तनाव के काम कर सकते हैं। इससे बच्चों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को और भाईचारे में लगातार सुधार करने के लिए काम शुरू करने और अंत तक जारी रखने में मदद मिलेगी। वे लक्ष्य को तेज़ी से प्राप्त कर सकते हैं और कभी निराश नहीं होंगे।

आत्म-प्रकटीकरण कौशल

71 प्राथमिक शिक्षकों में से 51 (71.8 प्रतिशत) का विचार था कि आत्म-प्रकटीकरण कौशल प्राथमिक विद्यालयों में सिखाया जाना चाहिए। स्व-प्रकटीकरण का अर्थ है अपने विचार, भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करना। यह मौखिक और गैर-मौखिक रूप से भी किया जा सकता है। प्राथमिक छात्र अपने भाई-बहनों और माता-पिता को मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं। अशाब्दिक प्रश्नोत्तरी को शिक्षकों द्वारा नखरे, गैर-भागीदारी, ध्यान की कमी आदि के रूप में समझा जाना चाहिए। कई बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन इसे ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए जब वे प्राथमिक स्तर से अपने बारे में खुलासा करना सीखते हैं तो वे और अधिक बन सकते हैं। आत्मविश्वास तथा आंतरिक और बाहरी रूप से बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हैं। स्व-प्रकटीकरण के कौशल के माध्यम से छिपी हुई प्रतिभा को जाना जा सकता है और इससे छात्रों के बारे में धारणा विकसित करने में मदद मिलेगी।

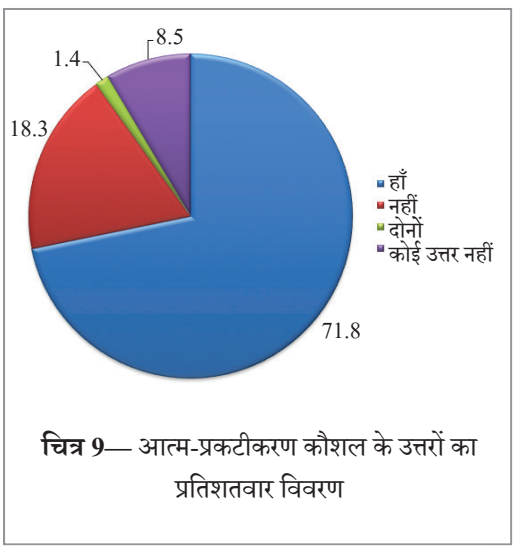

चित्र 9— आत्म-प्रकटीकरण कौशल के उत्तरों का प्रतिशतवार विवरण

प्राथमिक शिक्षकों के अधिकतम 91.5 प्रतिशत ने सुझाव दिया कि प्राथमिक स्तर पर जीवन कौशल के पाठ्यक्रम में आशावाद कौशल को शामिल किया जाए और प्राथमिक शिक्षकों के न्यूनतम प्रतिशत ने पश्चाताप के बिना जीने का कौशल (59.1 प्रतिशत) को शामिल करने का सुझाव दिया है।

निष्कर्ष

सरीन और बुलुट, एन. (2019) ने क्रोध, आक्रामकता और समस्या को सुलझाने के कौशल पर समूह क्रोध प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव को निर्धारित किया। यह देखा गया कि क्रियान्वित पाठ्यचर्या में उपयोग किए गए संज्ञानात्मक-व्यवहार दृष्टिकोण ने पुरुष छात्रों के पक्ष में क्रोध और आक्रामक व्यवहार को कम किया। अवलियाह, आई.टी.ए.; तौफिक, ए. और हफीना, ए. (2019) ने पाया कि जीवन कौशल प्रशिक्षण गुस्से को कम करने और बच्चों में सामाजिक क्षमता की धारणा को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी तरीका था, आमतौर पर मध्यम श्रेणी के छात्रों के गुस्से को प्रबंधित करने के कौशल पहले से मौजूद हैं, इसका मतलब है कि छात्रों के पास

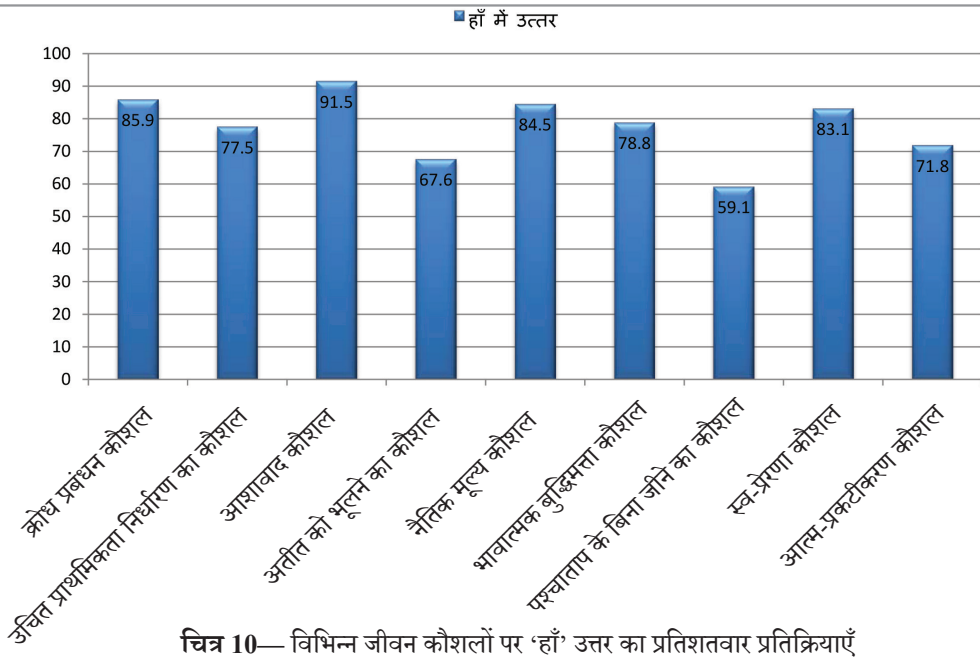

चित्र 10— विभिन्न जीवन कौशलों पर 'हाँ' उत्तर का प्रतिशतवार प्रतिक्रियाएँ

पहले से ही क्रोध का प्रबंधन करने का कौशल है, लेकिन यह अभी तक सुसंगत नहीं था, इसलिए कभी-कभी छात्रों ने आक्रामक व्यवहार दिखाया और साइकोएजुकेशनल ग्रुप के भीतर सोशियोड्रामा तकनीक छात्रों के क्रोध प्रबंधन कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी थी। कुमार, एस. (2017) ने सुझाव दिया कि हस्तक्षेप तकनीक क्रोध के प्रबंधन में प्रभावी होती है इसे अपनाया जा सकता है और स्कूली छात्रों के बीच क्रोध को नियंत्रित करने के लिए नियोजित किया जा सकता है।

वर्तमान अध्ययन से यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर जीवन कौशल के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए अधिकतम प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने आशावाद कौशल का सुझाव दिया, फिर क्रोध प्रबंधन और फिर नैतिक मूल्य कौशल को। प्राथमिक शिक्षकों का मानना है कि अगर जीवन कौशलों को प्राथमिक स्तर से ही छोटे बच्चों को सीखाया जाए तो यह आगे के जीवन के संघर्ष में सहायक साबित होगा। जीवन कौशल का आशय उन दक्षताओं के विकास से है। जो बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देती हैं तथा बालकों को कुशल नागरिक एवं योग्य सामाजिक सदस्य के रूप में विकसित करते हुए उसमें जीवन की विषम परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता विकसित करते हैं (दुबे, 2020)।

आशावादी कौशल अकेलेपन को कम करेगा और छात्रों को दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से जानने में मदद करेगा। छात्रों को स्वस्थ महसूस करने और बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ने के लिए आशावाद कौशल बहुत मददगार होगा। यह

आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम हमेशा अच्छा ही हो, यदि परिणाम नकारात्मक है तो भी यह कौशल छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि यह कौशल अच्छी चीज़ों की उम्मीद करने में मदद करता है और लक्ष्य पहले तय किया जा सकता है। आशावाद कौशल के अभाव में असफलता की संभावना रहती है। आशावाद कौशल न केवल अकादमिक प्रदर्शन के लिए अच्छा है, बल्कि यह तब भी है जब छात्र खेल या पाठ्येतर गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। एक शिक्षक ने उद्धृत किया कि, "यदि नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक विचारों में बदल दिया जाए, तो आशावादी बनने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है"। आशावादी कौशल की मदद से छात्र अपरिहार्य नकारात्मक स्थिति को बदल सकते हैं और हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। क्रोध का प्रबंधन सहानुभूति को प्रोत्साहित करने, मजबूत बंधन बनाने और दूसरों और पर्यावरण को समझने के साथ-साथ बेहतर आत्म-समझ विकसित करने में मदद करता है। यदि छात्रों में गुस्सा है तो विद्यार्थी नकारात्मक हो जाते हैं, इसलिए इसे प्रबंधित किया जाना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित कर बेहतर परिणाम पाने के लिए व्यक्ति शांत मन से काम कर सकता है। प्राथमिक छात्र कम उम्र के होते हैं और क्षमता से निपट सकते हैं और अपनी ऊर्जा को प्रगतिशील गतिविधियों में लगा सकते हैं, बच्चे क्रोध से जूझ रहे हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है, और यह कौशल उन्हें गुस्से की भावनाओं से निपटने और सकारात्मक तरीके से कार्रवाई करने के बेहतर तरीके सीखने में मदद कर सकता है। यह मानसिक दबाव, तनाव और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में भी बहुत मददगार है। आज के बच्चे मल्टीमीडिया के संपर्क में बहुत हैं, अगर उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो उनके व्यवहार को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में हर कोई विद्रोह करने के लिए तैयार है, क्रोध को प्रबंधित करके वे खुद को और दूसरों को नुकसान पहुँचाए बिना, शांति से परिस्थितियों को संभालने में सक्षम होंगे। मूल्यों के बिना मनुष्य एक जानवर की तरह है, इसलिए शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि छात्र कम उम्र से ही मूल-मूल्यों को सीख सकें। मूल-मूल्य जीवन के लिए नैतिकता हैं, यह कार्यों और व्यवहार का मार्गदर्शन करता है यदि प्राथमिक स्तर से नहीं पढ़ाया जाता है तो बाद के जीवन में छात्रों के लिए इसे सीखना मुश्किल हो जाता है। मूल मूल्यों के अभाव में विद्यार्थी जीवन के सही मार्ग से विचलित हो सकते हैं और उन्हें निराशा, तनाव, चिंता आदि जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुनियादी मूल्य सही और गलत के बीच अंतर करने में बहुत मददगार होते हैं। यह कौशल छात्रों में सकारात्मक सोच विकसित करता है और अनुशासित तरीके से जीवन व्यतीत करता है। यदि नए अभिज्ञात जीवन कौशलों को प्राथमिक स्तर पर जीवन कौशलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए तो यह विद्यार्थी के पूरे जीवन के लिए लाभदायक हो सकता है।

संदर्भ

अवलिया, आई.टी.ए., ए. टौफ़िक और ए. हाफिन. 2019. द ईफेक्टिव्नस ऑफ सूसईऊदारामा टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स ऐंगर मैनिज्मन्ट स्किल्स. *इस्लामिक गाइडन्स एंड कौनसेलिंग जर्नल.* 2(2).

इ-ज्ञानकोश. यूनिट 1 लाइफ स्किल्स [पीडीएफ]. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय. https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/43390/1/Unit-1.pdf

कुआले, डी., एस. ज्यूराविक, सी. रॉबर्ट्स, आर. काने और जी. एबसवारथी. 2001. द एफ़ेक्ट ऑफ ऐन आपटिमिज़्म एंड लाइफ स्किल प्रोग्राम ऑन डेपरेसिव सिमटम्स इन प्रीअडोलेसेंस बिहैवीअर चेंज. 18(4), पृ.सं. 194–203. doi: 10.1375/bech.18.4.194

कुमार, एस. 2017. मैनेजमेंट ऑफ ऐंगर विद ऐंगर रीवर्सल टेक्नीक एमंग स्कूल गोइंग एडोलेसेंट्स. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकॉलजी एंड एजुकेशनल स्टडीज.* 4(3), पृ.सं. 32–41. DOI: 10.17220/ijpes.2017.03.004

टिमोथी, सी. बैरी, और जीममर्मन. 2004. सेल्फ-रेग्युलेशन एमपोएवर्मेंट प्रोग्राम : ए स्कूल-बेस्ड प्रोग्राम टू एन्हैन्स एसल्फ-रेग्यलैटिड एंड सेल्फ-मोतिवातेड़ कीकलेस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग. *साइकालजी इन द स्कूल्स*. 41(5), पृ.सं. 537–550.

डेलर्स,जे. 1997. *लर्निंग : द ट्रीसर विद इन*. यूनेस्को, पेरिस.

निकमानेस, जेड., वाई. काजेमी और जेड. जरेनेजाद. 2017. द इफेक्ट ऑफ लाइफ स्किल्स ट्रैनिंग ऑन एंगर मनेजमेंट एंड परसेपसन ऑफ कंपेटेन्स इन चिल्ड्रेन. *जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकॉलजी स्टडीज.* 14(27), पृ.सं. 221–243. doi: 10.22111/jeps.2017.3416

प्रधान, पी. 2023. जीवन कौशल क्या है. *हिंदी वाणी.* https://hindivaani.com/what-is-life-skills-in-hindi/

रीकहें, डी.एस., एल.एच. सलगनिक (*संपादक*). 2001. डेफिनिनग एंड सेलेक्टिनग के. कॉम्पिटन्सी. *गोट्इनगें.* होगरेफए और हूबेर पब्लिकेशंस.

समाज कार्य शिक्षा. 2022. सामाजिक समूह कार्य में जीवन कौशल शिक्षा की प्रासंगिकता. *समाज कार्य शिक्षा*. https://www.samajkaryshiksha.com/2022/04/relevance-of-life-skills-education-in.html

सरीन, बुलुट, एन. 2019. द इंपैक्ट ऑफ एंगर मनेजमेंट ट्रेनिंग ऑन एंगर, एग्रेसन एंड प्रॉबलम— सॉलविंग स्किल्स ऑफ प्राइमरी स्कूलस्टूडेंट्स. *इंटरनेशनल ऑनलाइन जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग*. 6(3), पृ.सं. 525–543.

5

कैसी हो पालक सभा?

ऋषभ कुमार मिश्र*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक प्रमुख संस्तुति कि विद्यालयी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए विद्यालय और समुदाय में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए यह लेख आनंद निकेतन की पालक सभा की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से आनंद निकेतन में पालक सभा द्वारा पालकों से प्रभावी संवाद स्थापित किया गया है? कैसे शिक्षकों द्वारा पालकों को पाल्यों की शिक्षा में सहभागिता के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है? कैसे यह विद्यालय स्थानीय समुदाय के लिए प्रासंगिक विषयों के प्रति पालकों को जागरूक करता है? इसके आधार पर यह लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों के आलोक में पालक सभा के आयोजन एवं संचालन से संबंधित निहितार्थों को प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक प्रमुख संस्तुति है कि विद्यालय और समुदाय का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। यह नीति स्वीकार करती है कि विद्यालय के भीतर सीखने की प्रक्रिया में सुधार के साथ-साथ यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों के परिवार और परिवेश में भी अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जाए। यदि किसी कारण से घरेलू परिवेश में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के बारे में उचित मार्गदर्शन और सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो विद्यालय द्वारा पहल करते हुए अभिभावकों को पाल्यों की शिक्षा का भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया जाए। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयों को 'सामाजिक चेतना केंद्र' की भूमिका में देखा गया है, जो विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ-साथ समुदाय के सशक्तिकरण में भी योगदान करें। इस भूमिका को निभाने के लिए विद्यालयों द्वारा समुदाय और पालकों के साथ संवाद के लिए प्रयुक्त युक्तियों एवं नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। इनमें से एक प्रमुख युक्ति पालक सभाओं का आयोजन है।

पालक सभाओं के अंतर्गत पालक और शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के विद्यालयी अनुभवों एवं प्रगति के बारे में चर्चा करते हैं। पालक सभा ऐसा मंच है, जिसके माध्यम से पालकों को अपने पाल्य की शिक्षा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इसके द्वारा विद्यालय भी पालकों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से परिचित होता है। यह भी अवलोकनीय है कि यदि पालक, समाज के हाशिए के वर्गों से आते हैं तो उनके और विद्यालय के बीच एक अदृश्य प्रतिरोध विद्यमान होता है। दोनों एक-दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। एक ओर पालक अपनी कमज़ोर सामाजिक-आर्थिक हैसियत

*सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442 001

के कारण पालक सभा में अपेक्षित सहभागिता नहीं कर पाते हैं तो दूसरी ओर विद्यालय उन्हें एक ऐसी 'समस्या' के रूप में देखता है जो बच्चों को सीखने का अच्छा माहौल और संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं (फेलर, 2010, डायर, जैकब, पाटिल और मिश्रा, 2022, मिश्रा, 2019)। ऐसी परिस्थिति उन विद्यार्थियों के संदर्भ में अधिक देखी जाती है, जो प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता हैं। इसके साथ सामुदायिक एवं पारिवारिक समस्याओं, जैसे— नशाखोरी, घरेलू हिंसा आदि के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए भी पालकों की जागरूकता आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियाँ इस तरह की पृष्ठभूमि वाले पालकों के संदर्भ अत्यधिक प्रासंगिक हैं, जिसके अनुसार विद्यालयों से अपेक्षित है कि वे पालकों और समुदाय के साथ घनिष्ठता से 'सामाजिक चेतना केंद्र' की भूमिका निभाएँ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में यह लेख आनंद निकेतन विद्यालय द्वारा संचालित पालक सभा की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। आनंद निकेतन विद्यालय वर्धा के सेवाग्राम कस्बे में स्थित है। यह विद्यालय महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित नई तालीम के सिद्धांतों का अनुसरण करता है। इस विद्यालय में लगभग 250 विद्यार्थी और 20 शिक्षक हैं। यहाँ उत्पादक कार्यों को केंद्र में रखते हुए अधिगम गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस विद्यालय के विद्यार्थी आस-पास के गाँवों से आते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों के पालक किसान, मज़दूर एवं गाँव के आस-पास व्यवसाय करने वाले दुकानदार हैं। लेखक द्वारा इस विद्यालय की पालक सभाओं का अवलोकन किया गया। पालकों और शिक्षकों का साक्षात्कार लिया गया। इसके आधार पर इस लेख में व्याख्या की गई है कि आनंद निकेतन कैसे पालक सभा के माध्यम से अभिभावकों को उनके पाल्यों की शिक्षा में भागीदार बनने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करता है? और किस तरह से इस विद्यालय की पालक सभा पालकों को उनकी नागरिक भूमिका के प्रति सचेत करता है?

आनंद निकेतन की पालक सभा

आनंद निकेतन के लिए पालक सभा ऐसा मंच है, जिसके माध्यम से अभिभावक और अध्यापक विद्यार्थियों के विद्यालयी अनुभवों पर संवाद करते हैं और उनकी प्रगति के बारे में साझी योजनाओं को तैयार करते हैं। इस मंच के माध्यम से विद्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। पहला, वह अभिभावकों के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए विद्यालय की गतिविधियों, योजनाओं और पाल्यों की प्रगति से परिचित कराता है। दूसरा, वह अभिभावकों से स्थानीय सामुदायिक एवं सामाजिक समस्याओं पर संवाद कर उसके समाधान का कर्ता बनने के लिए भी प्रेरित करता है। विद्यालय की पालक सभा के बारे में इसकी संचालिका सुषमा ताई का मत दृष्टव्य है। उनके अनुसार आनंद निकेतन में जिस सामुदायिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए बच्चों के साथ-साथ वयस्कों के लिए सीखना और जागरूक होना ज़रूरी है। इसके लिए पालक सभा को एक ऐसे मंच की तरह प्रयुक्त किया जाता है जहाँ बच्चों, परिवार और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभिभावकों से बातचीत की जाती है। यहाँ इस तथ्य को रेखांकित करने की आवश्यकता है कि आनंद निकेतन के सभी अभिभावक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। इनमें से अधिकांश हाशिए के समुदाय से हैं, जिनकी शिक्षा का स्तर भी ऊँचा नहीं है। ग्रामीण और वंचित वर्ग के अभिभावक अपने पाल्यों की

शिक्षा के महत्व को समझते हैं, लेकिन शिक्षा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी का स्तर संतोषजनक नहीं होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आनंद निकेतन द्वारा अभिभावकों से केवल उनके पाल्यों की अकादमिक प्रगति पर बातचीत नहीं होती, बल्कि स्वावलंबन, स्वच्छता, श्रम की प्रतिष्ठा जैसे नई तालीम के विषयों से लेकर उपभोग की आदतों, पारिस्थितिकी समस्याओं, जेंडर संवेदनशीलता जैसे समसामयिक मुद्दों पर भी बातचीत की जाती है।

पालक सभा का आयोजन एवं संचालन

पालक सभा के आयोजन से पूर्व विद्यालय में शिक्षकों की बैठक में इसके प्रस्तावित विषयों और तिथि का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद पालक सभा के आयोजन की तिथि एवं समय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा माता-पिता को निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। यह सूचना पालक सभा होने से एक हफ्ता पहले दे दी जाती है। यह अवलोकनीय है कि विद्यालय द्वारा जब पालक सभा के लिए निमंत्रण भेजा जाता है तो उस पर उल्लिखित होता है कि— "कृपया ध्यान दें कि स्कूल के काम में आपकी भागीदारी आपके बच्चे के विकास के लिए अमूल्य है।" शोध कार्य के दौरान अवलोकन में पाया गया कि आनंद निकेतन में पालक सभा की बैठक के दो स्तर होते हैं। प्रथम, विद्यालय के समस्त पालकों के साथ सामूहिक बैठक। द्वितीय कक्षा स्तर पर पालक सभा की बैठकें करना। इसके अलावा शिक्षक आवश्यकतानुसार स्वयं भी समुदाय का दौरा करते हैं। प्रत्येक बैठक के तीन घटक होते हैं। प्रथम, विद्यार्थियों द्वारा शिल्प, कार्यानुभव और अकादमिक परियोजनाओं आदि का प्रदर्शन। द्वितीय, पाल्यों की अकादमिक प्रगति, विद्यालय की गतिविधियों, अभिभावकों के विचारों को आमंत्रित करने का घटक होता है। तृतीय, पालकों के साथ स्थानीय और समसामयिक मुद्दों और शिक्षा के सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक सरोकारों पर चर्चा। प्रत्येक पालक सभा के संचालन के लिए कुछ शिक्षकों को नामित किया जाता है। प्रत्येक पालक सभा में विद्यालय की संचालिका सुषमा ताई स्वयं उपस्थित रहती हैं।

नई तालीम के आधारभूत सिद्धांतों पर चर्चा

सत्र के आरंभ में होने वाली पालक सभा की बैठक में विद्यालय द्वारा अभिभावकों के साथ नई तालीम के सिद्धातों पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा पालक सभा की अन्य बैठकों में भी इससे जुड़े विषय होते हैं। उदाहरण के लिए, जया ताई ने सत्र की प्रथम पालक सभा में व्याख्या की कि नई तालीम बच्चों के संपूर्ण विकास में कैसे मदद करती है? उन्होंने बच्चों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांवेगिक विकास के उदाहरण दिए और बताया कि कैसे कार्यानुभव, शिल्प एवं स्वानुशासन पर बल देकर आनंद निकेतन इन क्षेत्रों में अपने विद्यार्थियों का विकास कर रहा है। एक अन्य पालक सभा में शिक्षा में बच्चों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यालय में संचालित मनन सत्र और बाल सभाओं की चर्चा की। इसी प्रकार जीवन दादा ने पालकों के साथ निर्माणवाद पर चर्चा की और बताया कि बच्चे कैसे सीखते हैं? उन्होंने पालकों से आग्रह किया कि वे पाल्यों को अपने आप खोजबीन करने और सीखने में मदद करें न कि उनके विचार करने, उनके ज्ञान पर पाबंदी लगाने का कार्य करें। इन पालक सभाओं में देखा गया कि पालक केवल

सुनते नहीं बल्कि प्रश्न भी पूछते हैं। उदाहरण के लिए, अभिभावकों ने उत्पादक कार्यों में संलग्नता के कारण विषय ज्ञान की उपेक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की। इसी तरह विद्यालय द्वारा मातृभाषा में शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया लेकिन अंग्रेजी की उपेक्षा न हो इसका भी सुझाव दिया।

विद्यार्थियों द्वारा उत्पादक कार्यों का प्रदर्शन

पालक सभा के माध्यम से आनंद निकेतन अभिभावकों को उनके पाल्यों की अकादमिक प्रगति से परिचित कराता है। इसके लिए विशेष रूप से विद्यार्थियों द्वारा की गई उत्पादक कार्यों के संबंधित परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसके दौरान विद्यार्थी उक्त परियोजनों के अकादमिक और सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हैं। विद्यार्थियों की प्रस्तुति के बाद शिक्षक और अभिभावक भी चर्चा में भाग लेते हैं। इस तरह की चर्चाएँ अभिभावकों को शिल्प आधारित शिक्षण के महत्व से परिचित कराती हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के एक समूह, जिसमें गौरी, श्रावणी, प्रणाली मोहिनी और प्रतीक थे, ने पालक सभा के सम्मुख कृषि कार्यानुभव से संबंधित अनुभव साझा किए। इन विद्यार्थियों ने बताया की इनकी कक्षा ने सब्ज़ियों को उगाना सीख लिया है। इस दौरान उक्त विद्यार्थियों ने खेत तैयार करना, खाद बनाना, बीज का संरक्षण करना, बीज लगाना, खरपतवार निकालना एवं मित्र कीट एवं शत्रु कीट की पहचान करना सीख लिया है। इसी क्रम में ये विद्यार्थी बताते हैं कि कृषि की गतिविधियों के दौरान गणित, विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय सीखे हैं। इन्होंने विस्तृत उदाहरण के तौर पर भिंडी की के उत्पादन लागत, विक्रय और लाभ की गणना से संबंधित प्रस्तुति दी। इस समूह ने साझा किया कि उन्होंने फसल की लागत निर्धारण के बाद उनका मूल्य तय किया। यह भी बताया कि स्कूल के साथियों को कम दाम पर सब्ज़ियाँ दीं। इसके अलावा जैविक खेती के लाभ और रासायनिक खेती के नुकसानों पर प्रस्तुति दी गई। इसी समूह से प्रणाली और मोहिनी ने कीट नियत्रंण के जैविक तरीके बताए। इन्हीं विद्यार्थियों ने प्रोजेक्टर पर सभी अभिभावकों को एक विडियो दिखाया जो वॉटर हार्वेस्टिंग से संबंधित था। जिसमें गांव के लोग वर्षा का पानी वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा सुरक्षित कर रहे थे। शेष विद्यार्थियों द्वारा एक अन्य वीडियो दिखाया गया जिसमें भूमि के विभिन्न रूप कैसे तैयार हुए, खनन, वहन, संचयन कार्य, नदी के कार्य एवं उसके रूप, हिम नदी के कार्य और उसके रूप, हिम नदी के संचयन कार्य आदि का प्रदर्शन था। विद्यार्थियों के प्रदर्शन और प्रस्तुति के बाद अभिभावकों ने विद्यालय की शिल्प आधारित शिक्षण पद्धति की सराहना की। इस दौरान अध्यापकों ने अभिभावकों के सम्मुख व्याख्या की कि कैसे इन गतिविधियों से बच्चों में सहकार भावना और आत्मविश्वास एवं उत्पादक कार्यों को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है। एक अन्य अवसर पर कक्षा 9 के विद्यार्थी आशू, श्वेता, रेवती और प्रतीक ने पालक सभा में सिलाई कार्यानुभव का प्रदर्शन किया। इन बच्चों ने सिलाई के दौरान जो वस्तुएँ बनाई थीं उनको पालक सभा में दिखाया। आंसू और प्रतीक ने बताया कि विज्ञान और गणित के ज्ञान का निर्माण सिलाई द्वारा कैसे किया जाता है? इसी तरह एक अन्य पालक सभा में कक्षा 9 के विद्यार्थी श्रुति, क्षितिज, सुशांत ने चित्रकला

को प्रदर्शित किया। विद्यार्थियों की प्रस्तुति समस्त पालकों को विद्यालय द्वारा अपनाए जा रहे विशिष्ट शिक्षणशास्त्रीय तरीकों की प्रक्रिया और परिणाम से परिचित कराती है। यहाँ देख सकते हैं कि कृषि, सिलाई और कला के कार्यों की प्रस्तुति में विद्यार्थीगण विषय ज्ञान के साथ-साथ अर्जित कौशलों को भी पालक सभा के सम्मुख रखते हैं। पालक सभा के सम्मुख ये प्रस्तुतियाँ अभिभावकों को नई तालीम के शिक्षणशास्त्रीय नवाचारों से परिचित कराती हैं। इसके साथ ही उनके सामने गाँधीवादी मूल्यों की व्याख्या भी प्रस्तुत की जाती है। विद्यार्थियों की इन प्रस्तुतियों के प्रति पालकों में उत्साह रहता है। पालक सभा के बाद उनसे अनौपचारिक साक्षात्कार में प्रकट हुआ कि वे विद्यार्थियों के इस तरह के प्रदर्शन को वे 'अच्छे तरह से सीखना', 'विद्यालय और शिक्षकों की मेहनत' और 'काम की शिक्षा' जैसे वाक्यांशों से विभूषित कर रहे थे। तात्पर्य है कि विद्यालय द्वारा पालक सभा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को जिस उद्देश्य से रखा गया, उसकी प्राप्ति हो रही थी। इसी का प्रभाव है कि जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान पालकों से आनंद निकेतन की विशेषता पर बातचीत हुई तो वे बल दे रहे थे कि उत्पादक कार्यों का गणित और विज्ञान से संबंध होता है। इसके द्वारा इन विषयों को पढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों द्वारा उत्पादक कार्यों की प्रस्तुति पालकों को भी स्थानीय उत्पादक कार्यों, जैसे— कृषि, कताई और सिलाई के वैज्ञानिक आयामों से परिचित कराती है। क्षेत्रकार्य के दौरान अवलोकन में पाया गया कि पालक सभा के बाद कई बार अभिभावक संबंधित उत्पादक कार्य के अध्यापक से इस बात पर चर्चा करते हैं। कि कैसे वे इन कार्यों को अपना सकते हैं?

विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में पालकों को भागीदार बनाना

आनंद निकेतन विद्यालय में विद्यार्थियों की वैयक्तिक विविधता का सम्मान किया जाता है। विद्यालय ने सोद्देश्य फैसला किया कि इस विषय पर अभिभावकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। अभिभावकों से होने वाली बातचीत के आधार पर विद्यालय इस तथ्य से परिचित हो चुका था कि अधिकांश अभिभावक गणित, विज्ञान और अंग्रेज़ी में उपलब्धि, प्रतियोगिताओं में सफलता और अन्य बच्चों से अपने पाल्य की तुलना की प्रवृत्ति रखते हैं। वे केवल गणित, विज्ञान और अंग्रेज़ी के किताबी ज्ञान को उच्च बनाने की अपेक्षा रखते हैं। इन विषयों पर बातचीत करने के लिए आनंद निकेतन के शिक्षकों ने पाल्यों के साथ कक्षा स्तर पर बैठक की। इन बैठकों में प्रत्येक अभिभावक को उसके पाल्य के अनूठेपन से परिचित कराया गया। अध्यापकों ने अभिभावकों को बताया कि उनके पाल्य अलग-अलग विषयों में अच्छा कर रहे हैं। कोई खेती में अच्छा कर रहा है तो कोई खेल में। कोई कला में रुचि ले रहा है तो कोई सिलाई में। इसी तरह पालकों को अकादमिक विषयों के साथ-साथ सह-अकादमिक गतिविधियों, जैसे— खेल और कला के महत्व से परिचित कराया गया। उन्हें उत्पादक कार्यों द्वारा गणित, विज्ञान एवं भाषा सीखने के प्रयोगों के बारे में बताया गया। इस दौरान अभिभावकों ने अपने-अपने पालकों के बारे में अधिक जानने की जिज्ञासा भी प्रकट की। अभिभावकों ने अपने पाल्यों के घर में व्यवहार और गतिविधियों के बारे में भी अध्यापकों को बताया।

अभिभावकों के प्रश्नों को संबोधित करने के अतिरिक्त विद्यालय अभिभावकों से अपनी अपेक्षा भी साझा करता है। इस हेतु पालक सभा में चर्चा की गई कि जो माता-पिता अपने बच्चों के लिए विद्यालय की बालसभा या अन्य गतिविधियों में भागीदार बनते हैं, उनके बच्चों के सीखने के स्तर अन्य बच्चों से ऊँचा होता है। सुषमा ताई ने अभिभावकों से साझा किया कि अभिभावकों की पालक सभा में भागीदारी बच्चों के मनोबल को भी बढ़ाती है। एक पालक सभा में अभिभावकों को अपने पाल्य के सीखने की प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया गया। उनसे कहा गया कि वे दैनंदिन अवलोकनों के आधार पर बच्चों की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन करें और इसे अध्यापकों के साथ साझा करें। इस बैठक में विद्यालय और घर में सातत्य पर बल देते हुए एक शिक्षक ने अभिभावकों से अपना अनुभव साझा किया कि जो बच्चे स्कूल में श्रम आधारित कार्य नहीं करते हैं, वे घर पर भी नहीं करते हैं। इसके बाद पालकों को इस दिशा में आगे आने का अनुरोध करते हुए उन्हें सफ़ाई, कृषि और स्वयंपाक के कार्यों में बच्चों की भागीदारी के अंतर्निहित मूल्यों से परिचित कराया। एक अन्य बैठकों में पालकों के साथ केवल इस विषय पर बातचीत की गई कि वे अपने पाल्यों से विद्यालय की गतिविधियों के बारे में बातचीत करें। अभिभावकों से कहा गया कि वे बच्चों से पूछे कि स्कूल में वह क्या करते हैं? और कैसे करते हैं? उन्हें क्या समस्याएँ आ रही हैं? उन्हें किस कक्षा में सहयोग की आवश्यकता है आदि। इस तरह की बातचीत से अभिभावक बच्चों की जिन समस्याओं से अवगत हों, उसे अध्यापक के साथ साझा करें। विद्यालय अभिभावकों को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित करता है। प्रत्येक पालक सभा में देखा गया कि विद्यालय द्वारा अभिभावकों से उनके हुनर और रुचि के बारे में चर्चा की गई। उन्हें विद्यालय में आकर संबंधित हुनर को बच्चों को सिखाने का निमंत्रण दिया गया। कई पालकों ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और विद्यालय आकर विद्यार्थियों से अंतःक्रिया की। पालक सभाओं में माता-पिता अपेक्षाओं को भी खुलकर रखते हैं। अलग-अलग पालक सभाओं में पालकों ने गणित, विज्ञान और अंग्रेज़ी के विषय ज्ञान से संबंधित चिंताओं को विद्यालय के सामने रखा। विद्यालय ने अध्यापकों की शंकाओं और चिंताओं को गंभीरता से लिया।

पालक सभा के दौरान अभिभावकों को भी अपने पाल्यों में आए सकारात्मक बदलावों को साझा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका समर्थन में निम्नलिखित उद्धरणों को देख सकते हैं—

"मैं अपने बच्चों में बहुत सारे बदलाव देख रही हूँ। मेरा बच्चा अपने काम को करना सीख गया है और वह घर में हमारी मदद भी करता है। अभी मेरा बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है और वह बहुत संवेदनशील भी हुआ है। सबसे अच्छे से बात करता है। लोगों से अच्छे से व्यवहार करता है इस तरह के बदलाव हम देख रहे हैं।"

"मेरे बच्चे ने कुछ दिन पहले घर पर सब्ज़ियों के बीज लगाएँ। अब वह उन्हें तैयार कर रहा है। मेरा बच्चा गणित में अच्छा है। भाषा में भी अच्छा है, लेकिन अभी अंग्रेज़ी पर ध्यान देने की ज़रूरत है और जो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रही हैं।"

"मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को आनंद निकेतन अच्छे से सिख रहा है। वह कई बार सामाजिक मुद्दों के बारे में बात करता है। मुझे गाँधी और अंबेडकर के विचारों को बताता हैं। एक बार वह कह रहा था कि उसे अंबेडकर जैसा बनना है।"

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि आनंद निकेतन के पालक विद्यालय की अधिगम संस्कृति के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं। वे विद्यालय के लक्ष्यों और शिक्षणशास्त्रीय अनूठेपन की सराहना करते हैं। उन्होंने अपने पालकों की अकादमिक प्रगति का भी अवलोकन किया है। वे इससे संतुष्ट हैं। वे उनमें हो रहे वैचारिक परिवर्तनों को भी पहचान रहे हैं।

सामुदायिक एवं समसामायिक घटनाओं पर चर्चा

पालक सभा में अध्यापकों द्वारा पालकों के साथ ऐसे समसामयिक और स्थानीय विषयों पर चर्चा की जाती है जो उनके परिवार और बच्चे के जीवन को प्रभावित करती हैं। विद्यालय द्वारा पालक सभाओं में जेंडर संवेदनशीलता से संबंधित विषयों का समावेश किया जाता है। इस बारे में सुषमा ताई का मानना है कि अभिभावकों के ग्रामीण परिवेश से संबंधित होने के कारण आवश्यक है कि उनके रोज़मर्रा के अभ्यासों में व्याप्त जेंडर पूर्वग्रहों पर बात करें। हम उन अभ्यासों को प्रश्नांकित करें जो जेंडर समानता के लिए चुनौती हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि कई परिवारों में घरेलू हिंसा की समस्या व्याप्त है। इससे निपटने के लिए अभिभावकों से इस विषय पर बातचीत आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पालक सभा के एक सत्र में अभिभावकों को जेंडर और सेक्स में अंतर से परिचित कराया गया। एक अन्य सत्र में पुरुष अभिभावकों और महिला अभिभावकों के साथ घर के कार्य और बाहर के कार्य में दोनों की भागीदारी पर बातचीत की गई। इसी सत्र में परिवार के निर्णय में महिलाओं और लड़कियों के पक्ष को शामिल करने पर चर्चा हुई।

एक पालक सभा में दैनिक उपभोग में संतुलन पर चर्चा करते हुए जीवन दादा ने विचार रखा। उन्होंने गाँधी का संदर्भ लेते हुए आवश्यकता और लालच में अंतर को व्याख्यायित किया। इसी चर्चा में बल दिया गया कि मीडिया के प्रभाव अधिक उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। टी.वी. के विज्ञापन हमें जिन उत्पादों और उपभोग आदतों की ओर आकर्षित करते हैं, वे हमेशा हमारे लिए उपयोगी हों, ऐसा आवश्यक नहीं है। अभिभावकों के साथ बच्चों से जुड़े लोकप्रिय खाद्य उत्पादों के देशज विकल्प पर चर्चा की गई। अभिभावकों को टिफ़िन में हरी सब्ज़ियों, दालों और परंपरागत खाद्यान्नों की मात्रा बढ़ाने का सुझाव दिया गया। विद्यालय ने पालकों के साथ कचरा प्रबंधन, त्यौहारों के आयोजन में प्रदूषण से बचाव और बच्चों के जीवन में मीडिया के बढ़ते हस्तक्षेप जैसे विषयों पर भी चर्चा का आयोजन किया। इन चर्चाओं में बल दिया गया कि हमारे दैनिक जीवन में परिवार के स्तर पर उक्त मुद्दों पर समाधानोन्मुख क्रियाकलाप होने चाहिए। समुदाय में कचरा प्रबंधन, स्वच्छता, प्रदूषण से मुक्ति आदि के मौलिक प्रयास पालक स्वयं मिलकर कर सकते हैं। विद्यालय ने पालकों के साथ सर्वधर्म समभाव पर भी बातचीत की। पालकों के सामने इस प्रकरण को रखते हुए अध्यापकों ने अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि कैसे विद्यार्थी बचपन में ही समझ जाता है कि वह किस जाति

और धर्म का है? किस जाति और धर्म को अधिक महत्व मिलता है? कैसे एक धर्म और दूसरे धर्म के लोगों के बीच मतभेद होता है? अभिभावकों को इन विषयों पर पाल्यों से बात करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यालय अभिभावकों के साथ उनकी आदतों, जैसे— धुम्रपान और मदिरा सेवन, घरेलू हिंसा, गाली-गलौच, बच्चों को मारना-पीटना उनके साथ बुरा बर्ताव करने के नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी बातचीत की गई। विद्यालय ने अभिभावकों के साथ मोबाइल और टीवी के बढ़ते चलन से बच्चों में आई आक्रामकता और उसके दुष्परिणाम के बारे में गहन चर्चा की। इस चर्चा में अभिभावकों से उनके पारिवारिक गतिविधियों का उदाहरण पूछते हुए बदलती जीवनशैली में उक्त उपकरणों की उपस्थिति के बारे में बातचीत की गई। इसके सकारात्मक पक्षों के साथ-साथ नकारात्मक पक्षों के बारे में सचेत किया गया। कैसे बच्चों के हाव-भाव, आदतों, भाषा और संवेगों को मीडिया प्रभावित कर रहा है? इससे संबंधित खबरों को भी साझा किया गया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आनंद निकेतन ने पालक सभा को ऐसे मंच के रूप में स्थापित किया है जो विद्यालय और समुदाय के संबंध को गहन करने का कार्य कर रहा है। जैसा कि आरंभ में चर्चा की गई थी कि आनंद निकेतन में अधिकांश विद्यार्थी गरीब और वंचित परिवारों से आते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों के पालकों की मुख्य समस्या विद्यालय के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंध की स्थापना करना है। आनंद निकेतन ऐसा करने में सफल हो रहा है। आनंद निकेतन ने पालक सभा के माध्यम से समुदाय के सशक्तिकरण का कार्य कर रहा है। चाहे वह उनके लिए जैविक कृषि जैसे प्रकरण पर चर्चा हो या महिला प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा इसके माध्यम से अभिभावक विद्यालय को 'बच्चों को पढ़ाने' वाली संस्था से आगे बढ़कर एक ऐसी सामुदायिक संस्था के रूप में देख रहे हैं, जो उनकी दैनंदिन परिस्थितियों के प्रति सचेत है। इसी के विस्तार रूप में विद्यालय अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी की भूमिका से भी परिचित कराता है। विद्यालय ने अभिभावकों को केवल यह नहीं बताया है कि वे गृहकार्य कैसे पूरा कराएँ? बल्कि अपने रोज़मर्रा के अभ्यासों और पाल्यों के कार्यों से परिचित कराया है। उन्हें 'निर्माणवादी' प्रारूप के अंतर्गत सीखने का भागीदार बनने का रास्ता सुझाया है। सबसे बढ़कर पालकों को आश्वस्त किया है कि वे कभी भी विद्यालय के साथ किसी भी आवश्यक मुद्दे पर संप्रेषण कर सकते हैं। आनंद निकेतन द्वारा किए जा रहे इस तरह के प्रयोग विद्यालय-समुदाय सांतत्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनंद निकेतन ने पालक सभा के माध्यम से अभिभावकों के साथ संवाद की जिस परिपाटी को विकसित किया है, उसमें विद्यालय की भूमिका 'सामाजिक चेतना केंद्र' जैसी है। इस भूमिका में विद्यालय पालकों को पाल्य की शिक्षा में भूमिका निभाने के साथ-साथ समुदाय में भी सकारात्मक बदलाव की पहल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में विद्यालय और समुदाय के संबंध की पुनर्कल्पना करते हुए आनंद निकेतन जैसी पालक सभा का आयोजन अन्य विद्यालयों द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिए विद्यालयों को निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए—

- पालक सभा की योजना बनाते समय ध्यान रखा जाए कि वे इसमें सहभागिता के लिए

उत्साहित हों। पालक सभा के दौरान पालकों की पृष्ठभूमि और व्यावसायिक संलग्नता को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति तद्नुभूतिपूर्ण दृष्टि रखने का प्रयास किया जाए। पालकों को घर पर दूसरा शिक्षक बनने के लिए प्रेरित न किया जाए बल्कि, उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बच्चों की निगरानी और सहयोग की अपेक्षा की जाए। उन्हें सचेत किया जाए कि सीमित संसाधनों में घरेलू परिवेश द्वारा कैसे पाल्यों की शिक्षा में सहयोग किया जा सकता है? पालकों को आश्वस्त किया जाए कि उनका पाल्य एक सुरक्षित परिवेश में है, जहाँ सीखना एक आनंदपूर्ण गतिविधि है।

- पालकों के साथ केवल पाल्यों की अकादमिक उपलब्धि और समस्याओं पर चर्चा ना की जाए, बल्कि उनकी आकांक्षाओं, उनकी चुनौतियों को भी समझने की कोशिश की जाए। उनके सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं को पहचाना जाए और इसकी सराहना की जाए। इससे विद्यालय और पालकों के बीच संवादहीनता की स्थिति का समाधान किया जा सकता है।
- पालकों की सहायता से शिक्षक विद्यालय के बाहर विद्यार्थियों की गतिविधि एवं अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें शिक्षण अधिगम गतिविधियों के आयोजन में सहायता मिलेगी। अभिभावकों से बातचीत करने के दौरान उन संभावित सामुदायिक संसाधनों की पहचान की जाए, जिसकी मदद से विद्यार्थियों को आनुभविक अधिगम का अवसर प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ-साथ समुदाय के उन 'स्याह' पक्षों की पहचान भी की जाए, जिन पर आलोचनात्मक चिंतन करना आवश्यक है। इसके बारे में विद्यार्थियों और पालकों दोनों से बातचीत की जाए।
- पालकों के लिए प्रासंगिक विषयों, जैसे— जेंडर विभेद, घरेलू हिंसा, मद्यपान, स्त्री स्वास्थ्य आदि पर संवाद सत्रों का आयोजन किया जाए। इनके माध्यम से उक्त पक्षों से जुड़ी समस्याओं और उनके पाल्यों की शिक्षा पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।
- पालकों से संवाद करते हुए उनके सामने पाल्य की नकारात्मक या अतिरंजित छवि को प्रस्तुत न किया जाए। इन दोनों स्थितियों में पालक अपने पाल्य की वास्तविक प्रगति का आकलन नहीं कर पाते हैं। बेहतर हो कि पाल्य, विद्यालय में सीखे हुनर एवं अर्जित दक्षताओं का पालकों के सामने प्रदर्शन करें। इसके लिए अलग से भी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
- पालकों को उनके पाल्य की अकादमिक उपलब्धियों एवं सीमाओं के साथ-साथ उनकी सामाजिक-भावनात्मक प्रगति से भी परिचित कराया जाए, जैसे— उनका पाल्य समूह में कैसे कार्य करता है? उसका दोस्तों और शिक्षकों के साथ कैसा संबंध है? उसकी अभिरुचियां क्या हैं? उक्त प्रकरणों पर पालकों के विचारों को भी सुना जाए। यदि पाल्य के साथ अभिभावकों और अध्यापकों के अनुभवों में अंतर है, तो दोनों मिलकर इस पर कार्य कर सकते हैं।

- पालक सभा को विद्यालय ऐसे मंच की तरह भी उपयोग कर सकता है, जो आरंभिक साक्षरता सामग्री, जैसे— चित्रों वाली पुस्तकों या बरखा शृंखला की पुस्तकों को पाल्यों तक पहुँचाए। पालकों को आधारभूत साक्षरता और गणितीय दक्षता के विकास के लिए बच्चों से बातचीत करने के तरीके, विशेषरूप से कहानी सुनाने, घरेलू गतिविधियों में गणित और अक्षर की पहचान, कला सामग्रियों के उपयोग के प्रति सचेत किया जा सकता है।

संदर्भ

डायर, के.एस. जैकब, आई. पाटिल और पी. मिश्रा. 2022. कनेक्टिंग फैमिलीज विद स्कूल्स : द ब्यूरोक्रेटाइजड रिलेशंस ऑफ 'एकाउंटीबिलीटी इन इंडियन एलीमेंट्री स्कूलिंग'. *थर्ड वर्ल्ड क्वाटरली*. 43(8), पृ.सं. 1875–1895.

फेलर, ए. 2010. *इंगेजिंग 'हार्ड टू रीच' पैरेंट्स*. ससेक्स : विली ब्लैकवेल.

मिश्रा, आर.के. 2017. विद्यालयेतर विमर्श और अभिभावक. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. 38(2), पृ.सं. 66–79.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

6

गिजूभाई के शैक्षिक नवाचार प्रयोगों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रासंगिकता

एकता इंगले*

गिजूभाई बाल साहित्य के रचयिता, समर्पित प्रयोगवादी शिक्षक व शिक्षाविद थे। गिजूभाई पेशे से भले ही एक वकील रहे हों, मगर उनके पास एक शिक्षक की दृष्टि थी और वह बालदृष्टि भी थी जो नन्हें बच्चों की आँखों में, उनकी जिज्ञासा, उनकी शिक्षा, उनकी रुचि व उनकी उमंग को अपने ढँग से देखने में सक्षम थी। वे भारतीय शिक्षा को समर्पित एक ऐसा नाम हैं जिसने सर्वप्रथम शिक्षा जगत में नवाचार शैक्षिक प्रयोग कर बालकेंद्रित शिक्षा की संकल्पना स्थापित करने हेतु अथक प्रयास किए। उनके शैक्षिक नवाचार प्रयोग का सार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्राचीन एवं भारतीय परंपरा, ज्ञान एवं वैज्ञानिक वैचारिक दृष्टिकोण को सभी के लिए मुहैया करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। गिजूभाई के तात्कालिक शैक्षिक नवाचार प्रयोग, विद्यार्थियों में तर्कसंगत विचार, रचनात्मक, कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्यों का सृजन करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विद्यार्थियों में इन्हीं समग्र मूल्यों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि गिजूभाई के शैक्षिक नवाचार प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी प्रासंगिक हैं।

भारत के महान शिक्षाविद गिजूभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर सन 1885 में सौराष्ट्र के चितल में हुआ था। उन्होंने सन 1907 में अपनी शिक्षा मुंबई में प्राप्त की। सन 1915 में दक्षिणामूर्ति भवन में एक स्वयंसेवी संस्था के कानूनी सलाहकार बने। 1920 में उन्होंने इसी भवन में बालमंदिर की स्थापना की तत्पश्चात वकालत छोड़कर उन्होंने इसी बाल मंदिर में प्राथमिक शिक्षा में अनेक शैक्षिक प्रयोग किए। गिजूभाई मॉण्टेसरी पद्धति के सिद्धांतों व शिक्षा पद्धति का गहनता से अध्ययन कर उसे भारतीय परिवेश में उपयोग करने के लिए प्रयासरत रहे। गिजूभाई का निधन 23 जून, 1939 में हुआ।

गिजूभाई बाल साहित्य के रचयिता, समर्पित प्रयोगवादी शिक्षक व शिक्षाविद थे। वे पेशे से भले ही एक वकील रहे हों, मगर उनके पास एक शिक्षक की दृष्टि थी, एक उन्नतशील समाज की दृष्टि थी, माता व पिता की दृष्टि थी और वह बालदृष्टि भी थी जो बच्चों की आँखों में झाँक-झाँक कर उनकी जिज्ञासा, उनकी शिक्षा, उनकी रुचि व उनकी उमंग को अपने ढँग से देखने में सक्षम थी। उनकी छवि साधारण थी,

**सहायक प्राध्यापिका*, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश

परंतु उनका कृतित्व प्रभावी था। उनकी मूँछों ने उन्हें, "मूँछोवाली माँ" की पहचान दिलाई या यूँ कहें कि यदि व्यक्तित्व और व्यवहार का पहला प्रयोग उन्होंने कोई किया तो सर्वप्रथम उनका नन्हें बच्चों के लिए उनका 'माँ' हो जाना था। यहाँ 'माँ' शब्द का आशय नन्हें बच्चों का भय से मुक्त होना था। गिजूभाई का प्रयास था कि प्रत्येक शिक्षक व अभिभावक अपने में ऐसी सशक्त शक्ति स्थापित करें जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सकें। वे बालक की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को स्वावलंबी, निर्भय व सृजनशील बनाए। बालक की स्वाभाविक वृत्तियों को विकसित करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

जीवन दर्शन

गिजूभाई ईश्वर को सृष्टि के रचियता व संहारकर्ता के रूप में मानते थे। उनका मानना था कि मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति है तथा उनके अनुसार मनुष्य के सर्वांगीण विकास में भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही ज्ञान का होना आवश्यक है। भौतिक ज्ञान बाह्य इंद्रियों तथा आध्यात्मिक ज्ञान अंत: करण से प्राप्त होता है। सत्य, अहिंसा, स्नेह, करुणा, परोपकार जैसे मूल्यों का समावेश व्यक्ति के जीवन में होना आवश्यक है।

शिक्षा दर्शन

गिजूभाई के शैक्षिक विचार शिशु शिक्षा पर केंद्रित हैं। उन्होंने तत्कालीन शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली का विरोध कर विद्यार्थियों को खेल-खेल में, स्नेहपूर्ण स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा दी जाए विषय पर ज़ोर दिया। उनका मानना था कि बालक में विद्यालय जाने की ऐसी ललक पैदा करनी चाहिए जिससे वह मुस्कुराते हुए विद्यालय में प्रवेश व मुस्कुराते हुए विद्यालय से वापस जाए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था, उसे सीखने के लिए प्रेरित करेगी व सृजन के अवसर प्रदान करेगी।

शिक्षा के उद्देश्य

1. बालक का शारीरिक व मानसिक विकास
2. बालक की सृजनात्मक शक्ति का विकास
3. बालक का धार्मिक व नैतिक विकास
4. आदर्श नागरिक गुणों का विकास

वास्तव में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना है। शिक्षा एक स्वाभाविक, सामाजिक, दार्शनिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो बालक में ज्ञान कौशल एवं अधिगम कौशल में वृद्धि कर स्वयं के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करती है। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उसकी शिक्षा नीति पर आधारित होती है। शिक्षा नीति, शिक्षा प्रणाली के लिए एक संवैधानिक प्रावधान है जो शिक्षा व्यवस्था को एक ठोस आधार प्रदान करती है। शिक्षा प्रणाली में द्रुतगति से सकारात्मक परिवर्तन कर गुणवत्तापूर्ण सर्व सुलभ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। देश की परंपराओं की धारा को प्रवाहमान बनाती है।

इन्हीं परंपराओं को गिजूभाई ने भी अपने शैक्षिक दर्शन के द्वारा विद्यार्थियों में हस्तांतरित करने के लिए अथक प्रयास किया। शिक्षा बच्चों की संस्कार भूमि है। गिजूभाई ने संस्कार का कोई विशेष सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, अपितु अपने व्यवहार से संस्कार में नवाचार व प्रयोग को सम्मिलित कर तात्कालिक शिक्षा प्रणाली को नवीन दिशा दी। उन्होंने छोटी-छोटी सी बातों में एक पूरी संस्कृति और उसमें निहित संस्कारों से बच्चों को संस्कारित करने

का भरसक प्रयास किया। गिजूभाई का ज्ञान विशद और व्यापक था। उन्होंने भारतीय दर्शन व पश्चिमी दर्शन का अध्ययन किया था। माता मॉण्टेसरी के भारतीय संस्करण थे गिजूभाई अर्थात भारतीय शिक्षा को समर्पित एक ऐसा नाम जिसने अपने काम से अपनी संकल्पना को सार्थक किया। वे एक मात्र ऐसे शिक्षाविद० थे जिन्हें प्रथम प्रयोगधर्मी पुरुष के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा किए गए प्रयोग एक प्रकार से 'दिवास्वपन' के समान थे जिसका अर्थ है — 'दिन में सपने देखना' अथवा बिना सोये सपने देखना जो कि एक कठिन कार्य है। शिक्षा में दिवास्वप्न से आशय तात्कालिक शिक्षा प्रणाली 'प्रयोग' या 'नवाचार' से है। नवाचार स्थापित मान्यता या जड़ता पर प्रहार कर प्रचलित परंपरा व प्रक्रिया को निष्प्रभावी बनाता है। गिजूभाई ने अपनी कल्पना से, कर्म से, नवाचार और प्रयोग से तात्कालिक शिक्षा व्यवस्था में असंभव विचारों को संभव बनाया। गाँधीजी के कथनों ने गिजूभाई के जीवन को नवीन दिशा प्रदान की और कहा — "राजनीति में तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम बच्चों को पढ़ाने का काम करो। "गाँधीजी यदि राष्ट्रपिता थे तो 'बालकों के गाँधी' गिजूभाई थे।

अतः गिजूभाई के शैक्षिक दर्शन का चिंतन करने पर निम्न विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं—

1. बालकों के वैयक्तिक विकास को महत्व
2. अनुशासन के लिए स्वक्रिया व स्वप्रेरणा का स्वतः होना।
3. स्वअधिगम को महत्व
4. सामाजिकता व व्यवहारिकता के विकास पर बल
5. शिक्षक की भूमिका एक मित्र, सहायक व पथप्रदर्शक के रूप में।

गिजूभाई के शैक्षिक दर्शन के इन प्रमुख बिंदुओं का सार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दृष्टिगोचर होता है। सर्वविदित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राचीन एवं भारतीय परंपरा, ज्ञान एवं वैज्ञानिक वैचारिक दृष्टिकोण को सभी के लिए मुहैया करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। शिक्षा नीति 2020 जीवंत ज्ञान की नवीन संकल्पनाओं का निर्माण करती है। रचनात्मक क्षमता के विकास पर ज़ोर देती हैं। साक्षरता के साथ-साथ उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधित संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास, विद्यार्थियों में हो, इस पर जोर देती है। शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत सिद्धांत, शैक्षणिक संस्था, शिक्षा प्रणाली, शैक्षणिक वातावरण/परिवेश, शिक्षक-शिक्षार्थी के साथ-साथ अभिभावकों को भी मार्ग प्रशस्त करती है।

शिक्षा नीति 2020 बालक के समग्र विकास पर बल देती है। सर्वविदित है कि बालक के इन गुणों के विकास में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षा की इसी संकल्पना को स्थापित करने में गिजूभाई की भूमिका सर्वोपरि है। उन्होंने बालकों को देवता तुल्य माना और उनकी सेवा को ईश्वर उपासना के रूप में स्वीकार किया। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार शिक्षण पद्धति व नवीन प्रयोग के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने सन 1920 से 1936 तक बालमंदिर में समर्पण भाव से अनेकानेक प्रयोग किये, अनेकानेक अनुसंधान कार्य किए। तात्कालिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत स्वाध्याय का अभाव था। गिजूभाई ने अपने प्रयोगों से सीखने की नवीन संकल्पना को स्थापित किया। उनके इन प्रयासों को नवीनतम रूप से सीखने की दृढ़ता पर बल देना

शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति भी प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचारों की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गयी है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को इस प्रकार प्रेरित करना है जिससे वह तर्कसंगत विचार, करूणा और रचनात्मक, कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्यों का सृजन कर सकें। नई शिक्षा नीति 2020 में जो आधारभूत सिद्धांतों को शामिल किया गया है वह गिजूभाई के शिक्षादर्शन व शैक्षिक चिंतन में भी दृष्टिगोचर होते हैं। उनके द्वारा रचित नवाचार प्रयोग का संकलन दिवास्वप्न में वर्णित है। गिजूभाई की पुस्तक दिवास्वप्न एक शैक्षिक पुस्तक या दस्तावेज नहीं बल्कि एक सर्जनात्मक साहित्य का उपन्यास है। जो बालक की शिक्षा प्रक्रिया से लुप्त हुई सृजनात्मक और तत्प्रसूत आनंद का पुनराविष्कार और पुनर्प्रतिष्ठित करती है। दिवास्वप्न में विभिन्न विषयों की मुख्य अवधारणाओं को सरल व सहज रूप में बहुत ही सुंदर रूप में वर्णित किया गया है, जो इस प्रकार हैं—

- भाषा की अनेक अवधारण, जैसे— संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि रटने की अपेक्षा खेल-खेल में सीखना, व्याकरणीय खेलों के कार्डस् के द्वारा वर्णमाला के वर्णों द्वारा चिट्ठी, निबंध, नाटक, वार्तालाप, कविता-शिक्षण की नींव, लोकगीत के गायन इत्यादि। नवाचार प्रयोगों से भाषा ज्ञान को प्राथमिक स्तर के बालकों की स्मृति में स्थायी रूप से संजोने का उत्कर्ष कार्य गिजूभाई द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास; समृद्ध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सीखने के इन्हीं कौशलों को रेखांकित करती है।
- गणित विषय की विभिन्न अवधारणाएँ, जैसे— संख्या ज्ञान, अंकों की पहचान एवं मॉण्टेसरी की वृक्ष-पद्धति जिसमें गणना, आकार व आकृति की पहचान व समझ, ज्यामितीय आकार और उनकी पहचान— घरेलू उपकरणों में शाला के साधनों, खिलौनो और अनेक उपलब्ध स्थितियों में, जैसे— कमरा, खिड़की, दरवाजा आदि में कोण, समकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयात, वर्ग एवं वृत्त आदि की समझ उनके तात्कालीन शिक्षण पद्धति में नवाचार प्रयोग था।
- इतिहास विषय पढ़ने की बुनियाद कहानी से, एतिहासिक घटनाओं को जोड़कर कहानी बनाकर शिक्षण गिजूभाई की एक अनूठी पहल थी।
- नक्शे से खेलता-भूगोल से भौगोलिक संरचनाएँ, नक्शे में स्थित विभिन्न शहरों, नगरों, महानगरों की स्थिति की समझ सरलतम रूप से समझाना, गिजूभाई का उत्तम प्रयास था।
- प्रकृति के सान्निध्य में चित्रकला का अभ्यास उनका अनुपम प्रयास था। पेड़ पर दृष्टि डालकर तने की, डालियों की पत्तियों की संरचना बनाना, सूर्योदय के समय रंगों की खूबियाँ देखना, स्वानुभव प्राप्त कर ध्यानपूर्वक चित्र बनाना गिजूभाई की शिक्षण पद्धति का रोचकता लिए हुए नवीन प्रयास था।
- विज्ञान की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं, जैसे— नक्षत्र ज्ञान, आकाशीय घटनाओं को, पृथ्वी की संरचना, मनुष्य, जीव-जंतुओं एवं पादप जगत आदि को सजीवता रूप से जानने का

अनुपम उदाहरण उनकी पुस्तक दिवास्वप्न में वर्णित है।

- गिजूभाई ने नैतिक व धार्मिक शिक्षा को धर्मोपदेश के स्थान पर धर्म को जीने का प्रयत्न करने पर बल दिया।

गिजूभाई के नवाचार प्रयोग से विद्यालय का वातावरण स्वतः ही अनुशासित होता चला गया जिसके परिणामस्वरूप उनकी प्राथमिक शाला के विद्यार्थीगण में निडरता, परस्पर मित्रता, सामूहिक भागीदारी, उत्साह, जिज्ञासा, शिखण स्व-अधिगम आधारित नवीन खेल-खोजने की प्रवृत्ति का विकास होने लगा। साथ ही उनमें कल्पनाशक्ति, सृजनशीलता, आत्मविश्वास और अंत: क्रियाओं की क्षमता का प्रादुर्भाव हुआ।

गिजूभाई के नवाचारी प्रयोगों के परिणामों के सार को वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी रेखांकित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में सीखने के लिए स्वतंत्रता, लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय खेल आधारित, गतिविधि आधारित एवं खोज आधारित शिक्षण पद्धति पर बल देती है। शिष्टाचार नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता समूह में कार्य करना व आपसी सहयोग को विद्यार्थियों में विकसित करने पर बल देती है।

गिजूभाई का शैक्षिक चिंतन प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों के दायित्वों में उनकी जवाबदेही को भी सकारात्मकता प्रदान करता है। उन्हें कल्पनाशील, बालमित्र, सृजनशील, क्रियाशील, नवाचारी व प्रयोगशील बनाने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण व्यवस्था में नवीन प्रयोग के प्रति प्रतिबद्ध करता है। शिक्षकों के सम्मान में वृद्धि, शाला के वातावरण में सुधार व शाला और समाज के मध्य समन्वय स्थापित करने पर बल देता है। उनके इन प्रयासों को शिक्षा नीति 2020 उत्कृष्ट पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक ढाँचा को सुदृढ़ बनाने पर बल देती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर व नवीनतम शोध को शामिल करने पर बल देती है। गुणवत्तापूर्ण संसाधनों को उपलब्ध करवाना व शिक्षकों को उच्चतम दर्जा, आदर व सम्मान के भाव को महत्व देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिन शैक्षिक स्थितियों को उचित दिशा देने के लिए निर्देशित कर रही है उन समस्त शैक्षिक आधारों के दर्शन गिजूभाई के शैक्षिक विचारधारा में समग्रता से परिलक्षित होते हैं। बाल शिक्षण व प्राथमिक शिक्षा में उनका अभूतपूर्व योगदान उन्हें विश्वभर के अनेक शिक्षाविदों से सर्वोपरि रखता है। उनके नवाचारी प्रयोगों ने शिक्षा को क्रीड़ा से जोड़ा, आनंद से जोड़ा व प्रेम से जोड़ा। उनके अनुसार शिक्षक की कर्मठता, कल्पनाशीलता व जवाबदेही यदि शिक्षा व शिक्षण के प्रति समर्पित है, तो शिक्षा एक सार्थक मानव व मानवता का निर्माण करेगी। गिजूभाई का संपूर्ण शैक्षिक साहित्य, नवाचार प्रयोग का समन्वित रूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिलक्षित होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों को सुविधादाता होने के साथ-साथ शोध उन्मुखी होने पर बल देती है। बहुविषयात्मक शिक्षा की परिकल्पना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक शिक्षक को अपने

विषयवस्तु के साथ-साथ शिक्षाशास्त्र में भी पारंगत होने की अनुशंसा करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों में जिन शिक्षण कौशलों के विकास को रेखांकित करती है, वही शिक्षण कौशल गिजूभाई अपनी शिक्षण पद्धति में प्रत्येक शिक्षक के व्यक्तित्व और उसके व्यावसायिक दक्षता में परिपूर्णता के लिए समझाते रहे हैं। गिजूभाई की शिक्षण पद्धति विद्यार्थियों में सीखने की दर, उनकी बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप उल्लेखित है जिनका अनुकरण करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है।

निष्कर्ष

गिजूभाई एक प्रयोगवादी, रचनाधर्मी शिक्षक थे। गिजूभाई की मौलिक एवं नवाचारी शिक्षण पद्धति ने उन्हें युगों-युगों तक एक सर्वकालिक प्रासंगिक शिक्षाविद का स्थान प्रदान किया।

गिजूभाई का शिक्षा दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभावशाली हस्तांतरण पर केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तर्कसंगत भारतीय दर्शन पर आधारित शिक्षण अधिगम की संकल्पना के विचारों के संपोषण पर बल देती है। भारतीय तत्व ज्ञान के गूढ़ निहितार्थ वर्तमान पठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के माध्यम से नवांकुरों की समझ में बैठे, यह शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस मुख्य उद्देश्य को गिजूभाई की शिक्षण पद्धतियों के व्यावहारिक उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है, यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी।

गिजूभाई द्वारा रचित प्राथमिक शिक्षा की संकल्पना के अनुरूप शिक्षा के सभी विषयों को मौलिक एवं सहज पद्धतियों से जीवन से संबंधित कर पढ़ाने से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास तथा सभी जीवन कौशलों का विकास निश्चित ही संभव है। गिजूभाई ने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता के संरक्षण एवं विस्तार के लिए भारतीय (देशी) शिक्षण पद्धति को प्रमुखता से ठीक उसी तरह माना जिस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा ई.सी.सी.ई. के लिए प्रमुखता से बल देती है।

इस प्रकार गिजूभाई के शैक्षिक नवाचार प्रयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों बाल्यावस्था की शिक्षा को पारंपरिक पद्धतियों से हस्तांतरित करने को रेखांकित करती है।

अतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गिजूभाई के मौलिक नवाचारों निःसंदेह प्रासंगिक है।

संदर्भ

कुमार, एस. और एन.आर. सक्सेना, 2007. *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत*. आर. लाल बुक डिपो, मेरठ.

गुप्ता, एस. 2011. *एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया*. क्षिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली.

दवे, आर. 2011. *गिजूभाई. बधेका— भारतीय शिक्षा के प्रयोग पुरुष*, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल.

बधेका, जी. 2008. *दिवास्वप्न*. सर्जना, बीकानेर.

मदान, पी. 2013. *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक*. आगरा पब्लिकेशन. आगरा.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. 1 दिसंबर, 2022 को https://www.mhrd.gov.in/sites/upload-files/mhrd/files/mep/NEP-Final-Hindi.pdf से प्राप्त।

सरित, एस. और ए. भार्गव. 2007. *आधुनिक भारतीय शिक्षाविदों का चिंतन*. एच.पी. भार्गव बुक हाऊस, आगरा.

7

वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा

प्रभाकर कुमार*

"शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, लेकिन फल बहुत ही मीठा है।" (अरस्तु)

शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव को मानव और अन्य पशु-पक्षियों से अलग पहचान बनाने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज मानव ने जो भी विकास किया है, उन सबके पीछे शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस शिक्षा की नींव के रूप में प्राथमिक शिक्षा को देखा जा सकता है क्योंकि मानव की शिक्षा की शुरुआत भी प्राथमिक शिक्षा से ही होती है। इसलिए किसी भी देश के लिए प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाना उसका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। भारत में इसके लिए किस प्रकार की कोशिश की जा रही है। प्रस्तुत आलेख में इन्हीं प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई है।

किसी भी माता-पिता का पहला कर्तव्य अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना होता है। बच्चे में शिक्षा की शुरुआत तो सबसे पहले उसके परिवार से होती है, उसके बाद जब बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, तब उसकी अकादमिक शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। इस क्रम में वह सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा से अपनी शिक्षा की शुरुआत करता है, जो लगातर चलती रहती है। इसलिए प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से उसकी भविष्य की शुरुआत होती है और जितना बेहतर ढंग से उसकी प्राथमिक शिक्षा होगी उतना ही उसके भविष्य में आगे बढ़ने की संभावनाएँ मिलेगी अन्यथा आगे की शिक्षा उसके लिए और कठिन होती चली जाएगी। इसलिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षक-शिक्षा दोनों का बेहतर होना ज़रूरी है, तभी तो 'जॉन डीवी' ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है और इस त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत— शिक्षक, पाठयक्रम तथा बालक को स्थान दिया गया है। शिक्षक-शिक्षा पर बात करने से पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत कब और किस प्रकार हुई इस पर बात करना आवश्यक होगा। भारत में प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा के विकास को स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात दो भागों में बाँटकर निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं—

स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा का विकास—

1. वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा परिवारों में होती थी।
2. बौध्य काल में प्राथमिक शिक्षा मठों एवं विहारों में होती थी।

*शोधार्थी, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना 500 046

3. मुगलकाल से पूर्व प्राथमिक शिक्षा मकतबों में होती थी।
4. ईसाई मिशनरी काल से भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि इस काल में ही गोवा, कोचीन, बान्द्रा में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा का विकास

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कई आवश्यक कदम उठाए गए जो इस प्रकार से हैं—

1. संविधान की धारा 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के नि:शुल्क शिक्षा की बात की गई। (वर्तमान में इसे 18 वर्ष तक कर दिया गया है।)
2. सन 1957 में 'अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद' का गठन किया गया। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और उन्नयन से संबंधित सुझाव देना था।
3. सन 1966 में कोठारी आयोग का गठन किया गया, जिसमें प्राथमिक स्तर पर हो रहे अपव्यय और अवरोधन को रोकने का सुझाव दिया गया।
4. सन 1979 में 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए 'निरौपचारिक शिक्षा' की शुरुआत की गई।
5. सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को केंद्र में रखकर 1987-1988 में 'ब्लैक बोर्ड योजना' शुरू की गई।
6. सन 2001 में 'सर्व शिक्षा अभियान' शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना था।
7. सन 2009 में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' पास किया गया। जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी।
8. सन 2020 की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' में शिक्षा संरचना में बदलाव करते हुए। 10+2+3 के स्थान पर अब 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था की बात की गई। इसके अलावा 8 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए एन.सी.पी.एफ.ई.सी.सी.ई. विकसित करने की बात की गई।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्रता पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अलग-अलग व्यवस्था थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाद भी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में अलग-अलग संरचना देखने को मिलती है। इन सबके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा के विकास के लिए लगातार प्रयास किए गए। लेकिन फिर भी उस तरह की सुधार देखने को नहीं मिला, जिस प्रकार की सुधार की उम्मीद की गई थी। वर्तमान की बात करें, तो पाते हैं कि आज देश के 14.5 लाख प्राथमिक विद्यालयों में 19.67 करोड़ बच्चे दाखिल हैं। वहीं लगभग 5 करोड़ बच्चें अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं। आज देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में मात्रात्मक सुधार काफ़ी देखने को मिलती है, लेकिन गुणात्मक सुधार की बात करें तो, पाते हैं कि उसमें उस तरह के अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिल पा रहे है जिस प्रकार होना चाहिए था। इसके कई कारण हैं, जो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से दिखाया गया है—

1. शिक्षा पर बजट का कम हिस्सा व्यय होना।
2. पुरानी शिक्षण-पद्धति का बोलबाला होना।
3. शिक्षा नीति या अधिनियम का कड़ाई से पालन न होना।

4. विद्यालय में शिक्षकों की कमी।
5. देश में निर्धनता का अधिक होना।
6. विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी होना।
7. प्राथमिक शिक्षा का बोझिल पाठ्यचर्या होना।
8. परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली का ठीक न होना।
9. शिक्षकों में नवाचार करने का उत्साह न होने के कारण ज़्यादातर शिक्षक पुरानी शिक्षण-पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं।
10. विद्यार्थियों के घर से विद्यालयों की दूरी अधिक होना।
11. अभिभावकों का अपने बच्चों की शिक्षा-प्रति सचेत न होना।
12. देश में अधिक जनसंख्या होना। अधिक जनसंख्या होने के कारण सुविधाएँ ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं।
13. जनसहयोग की कमी।

इन सब के कारण ही प्राथमिक शिक्षा में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। इन समस्याओं के समाधान के लिए जो आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। वह इस प्रकार से हो सकती है—

1. शिक्षा पर बजट को बढ़ाकर विकास किया जा सकता है।
2. शिक्षण-विधि में बदलाव करके, जैसे— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुभवात्मक अधिगम शिक्षणशास्त्र इस विधि का प्रयोग करके शिक्षण को रोचक और उपयोगी बना सकते हैं।
3. परीक्षा प्रणाली में सुधार करके, जिसकी वकालत रा.शै.अ.प्र.प. की आधार-पत्र परीक्षा प्रणाली में सुधार में किया गया है, क्योंकि जब तक परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण रहेगी तब तक हम शिक्षा में विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए आवश्यक है कि इसमें सुधार किया जाए।
4. वर्तमान समय में जो विद्यार्थियों की मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, उसमें काफी बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल्यांकन जब ठीक ढंग से नहीं होगा तो शिक्षा का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाएगा।
5. प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शोध को भी बढ़ाना होगा। किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए और किस प्रकार के बदलाव करने की आवश्यकता है तथा उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इन सभी बिंदुओं को लेकर शोध करने की आवश्यकता है।
6. सरकारी शिक्षा नीतियों और नियमों को पालन करने संबंधी कठोरता को सख्त बनाकर, क्योंकि ज़्यादातर राज्य की सरकारें, केंद्र द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति या नियमों का पालन नहीं करती हैं जिसके कारण भी शिक्षा नीति हो या पाठ्यचर्या या कोई और नियम वह पूर्ण रूपेण लागू नहीं हो पाती है एवं वह सफल नहीं हो पाती है। (उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देख सकते हैं जिसे अभी तक कुछ राज्यों ने अपने यहाँ लागू नहीं किया है।)
7. शिक्षकों को नवाचार से अवगत कराना होगा और शिक्षकों को स्वयं अपने शिक्षण तथा अन्य क्षेत्रों में बदलाव करने संबंधी बातों को सोचना होगा। क्योंकि नीति या पाठ्यचर्या तभी सफल होगी जब शिक्षक उसको उसी अनुसार पढ़ाएँगे, लेकिन वर्तमान समय में ज़्यादातर शिक्षक अभी भी अपनी शिक्षण के दौरान व्याख्यान विधि का

ही प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि शिक्षक नई शिक्षण पद्धति से शिक्षण कार्य करें और जो अक्षमता वालें विद्यार्थीयों हैं उनको किस विधि और किस तरह से पढ़ाना चाहिए, इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरफ़ अभी भी ज़्यादातर शिक्षकों का ध्यान नहीं गया है और अधिगम अक्षमता के विभिन्न प्रकार से पीड़ित विद्यार्थियों के लिए भी था, प्रथम और द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए भी एक ही पद्धति का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है जो इस प्रकार से हैं—

- दृष्टि विकार वाले विद्यार्थियों को कक्षा में आगे सीट पर बैठाना चाहिए , श्रव्य (ऑडियो बुक्स) का उपयोग करना चाहिए।
- श्रवण विकार वाले विद्यार्थियों के लिए अन्य इंद्रियों से सीखने के माध्यम के रूप में उपयोग करना, हियरिंग एड, लूप सिस्टम आदि का उपयोग करना चाहिए।
- शारीरिक अक्षमता वाले विद्यार्थियों की शिक्षण के लिए ऑडियो रिकॉर्डर, हाव-भावों का प्रयोग करना, कक्षाओं को सुलभ बनाना चाहिए।
- संज्ञानात्मक अक्षमता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए— 'भाषा' की कक्षा में लंबे अध्यायों को छोटे-छोटे भागों में बाँटकर पढ़ाना तथा कविताएँ हाव-भाव तथा गाकर, नए शब्दों को चित्र शब्दकोश द्वारा बताया जा सकता है।
- समावेशी कक्षा में मूल्यांकन के लिए फ्लैशबैक, शब्द कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लंबे प्रश्न को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके पूछा जा सकता है।
- द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जा सकता है।
- भाषा पढ़ाते समय शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए और मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा के विद्यार्थियों के लिए क्या-क्या तरीके होने चाहिए। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
- भाषा से संबंधित अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान समय में ज़्यादातर साहित्य केंद्रित शोध हो रहे हैं भाषा को लेकर बहुत कम शोध हो रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि इसमें बढ़ोतरी की जाए।
- शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर शिक्षकों को (विशेष रूप से भाषा शिक्षकों को-तकनीकी का प्रयोग करना नहीं आता है और इससे वो बचना चाहते हैं।) तकनीकी का प्रयोग कैसे और किस प्रकार किया जा सकता है। उसमें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा दोनों कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उसमें अभी भी बहुत कुछ समाधान की आवश्यकता हैं और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तब तक हम इस क्षेत्र में अपेक्षित सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नीति या पाठ्यचर्या बनाने से सुधार नहीं होगी। नीति हो या पाठ्यचर्या तभी सफल होगी जब उसके अनुसार शिक्षिकों को पढ़ाने के तरीके मालूम हो, नहीं तो जिस प्रकार से आज तक नीतियाँ हो या पाठ्यचर्या सफल नहीं हो पाई उसी तरीके से आगे भी सफल नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम सब को मिलकर कार्य करना होगा, क्योंकि जब

तक शिक्षक हो या शिक्षार्थी या शोधार्थी इस क्षेत्र में अपनी भूमिका नहीं निभाएँगे तब तक सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती हैं, इसलिए शिक्षक-शिक्षार्थी-शोधार्थी सबको मिलकर काम करना होगा और किस प्रकार अपने देश की प्राथमिक शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है। इस प्रकार की सोच लेकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे।

निष्कर्ष

हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत में प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा में सुधार और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में काफ़ी सुधार और बदलाव की आवश्यकता है, जिसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। यह तभी सफल होगा जब हम सब अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। यहाँ हम से तात्पर्य 'सरकार-शिक्षक-शिक्षार्थी-शोधार्थी-अभिभावक' इन सबको मिलकर कार्य करना होगा और अपने देश की प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तभी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 21वीं सदी की शिक्षा के अनुसार है। उसको सफल बना सकते हैं और देश की प्राथिमक शिक्षक-शिक्षा में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं।

संदर्भ

लाल, रमन बिहारी और कृष्ण कांत शर्मा. *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं*. पृ.सं. 353–354. आर. लाल बुक डिपो, मेरठ.

रा.शै.अ.प्र.प. 2017. *विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन—प्राथमिक स्तर*. प्रथम संस्करण-मई 2017. पृ.सं. 26–27, 57, 74–75, 85, 108. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

_____. 2018. *भाषा-शिक्षण हिंदी (भाग 1)*. प्रथम संस्करण-मई 2018. पृ.सं. 96–97. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

रुहेला, डॉ. सत्यपाल. 2012. *भारतीय शिक्षा का समाजशास्त्र*. संस्करण आठवाँ. पृ.सं. 74–75, 111. राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. पृ.सं. 8–9, 73. भारत सरकार, नई दिल्ली.

8

अतीत की यादों को संजोती विभिन्न लोककथाएँ

रमेश कुमार*

बच्चों को समझते हुए विभिन्न कहानियों एवं नाटकों द्वारा अपेक्षित भाषा विकास किया जाता है। परिवारों में शामिल बड़े बुज़ुर्ग, जैसे— माता-पिता, दादा-दादी एवं नाना-नानी आदि के द्वारा बच्चे कहानियाँ सुनते हैं। वे उनसे संवाद स्थापित करते हैं कई तरह की सुनी हुई आवाज़ निकालकर वे अपने बड़े बुज़ुर्गों को संतुष्ट करते हैं। कई बार वे शब्दों का चयन कर लेते हैं, परंतु उन्हें वे बोल नहीं पाते इन सब स्थितियों में बड़े बुज़ुर्ग उनकी मदद करते हैं। उक्त आलेख लोककथाओं पर आधारित है जिसमें बच्चों के भाषा विकास में इसकी महती भूमिका के साथ ही कक्षा-कक्ष में शिक्षकों द्वारा पर्याप्त दिए गए पर्याप्त मौके का भी ज़िक्र है। यह आलेख पाठकों का लोककथाओं के साथ नवीन प्रयोगों की ओर भी ध्यान केंद्रित करता है।

भारतीय साहित्य के संबंध में विभिन्न साहित्यकारों के विभिन्न मत हैं। उनके अनुसार भारतीय साहित्य जितना लिखित है, उतना मौखिक भी है। इसका क्षेत्र अत्यंत विशाल है और इसमें अनेक विषय समाहित हैं। अधिकांशतः मौखिक साहित्य ने ही क्रमानुसार प्रगति कर लिखित साहित्य का रूप धारण किया है। जब लेखन और कथन की बात होती है तो पठन को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। पठन की प्रक्रिया बचपन से ही आरंभ हो जाती है और उत्तरोत्तर इसका विकास होता जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न किताबें पढ़ते हैं। जैसे-जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे हमारी जिज्ञासा में वृद्धि होती जाती है और अनजाने विषयों को जानने की इच्छा हमारे मस्तिष्क में जागृत होती है। किताबों से हम अपने मस्तिष्क में हिलोरें मार रही बातों को जानने का प्रयास करते हैं। पूरी किताब पढ़ने के पश्चात हम अपनी राय बताते हैं। हम उस किताब में उल्लिखित कहानी के विभिन्न संदर्भों को हटा देते हैं या फिर उसमें कुछ जोड़ भी देते हैं। इस प्रकार हम कहानी में अनेक बदलाव करते हैं। कहानी में आए इन बदलावों से हमारे समकक्षी पाठक भी इत्तेफ़ाक रखते हैं। वे भी अपनी राय बताते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब हम एक कहानी को विभिन्न पाठकों को देते हैं तो हम उस कहानी पर चर्चा करने के लिए एक संदर्भ बनाते हैं। उन्हें अपनी राय देने का अवसर देते हैं। विद्यार्थी अथवा पाठक अपने सुझावों से कहानी को बेहतर बनाने के लिए कहानी में निहित विषयों का मंथन करते हैं। भाषा विकास के लिए मंथन की

**सह-आचार्य*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली 110 016

इस प्रक्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रक्रिया में लचीलापन तभी आता है जब पाठक रुचि से इस में भाग लेते हैं। रुचि होने पर ही वे बार-बार विषय को पढ़ते हैं, उसका मंथन करते हैं और अपनी राय या सुझाव प्रस्तुत करते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न तरीके से संचालित होती है।

आरंभिक स्तर पर पाठकों की रुचि पंचतंत्र की कहानियों में अधिक होती है, क्योंकि इसमें छोटी-छोटी कहानियाँ हैं जो पशु-पक्षियों के माध्यम से पिरोई गई हैं। ये कहानियाँ पाठकों की रुचि, आयु और योग्यता के अनुकूल हैं और इसलिए ये पाठकों की जिज्ञासा बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई हैं। इन कहानियों को पढ़ते समय पाठक आगे क्या होगा? यह जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। जैसे-जैसे वे कहानी पढ़ते जाते हैं उनकी जिज्ञासा में वृद्धि होती जाती है। अंत में वह कहानी के संदेश को भी ग्रहण कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि इन कहानियों के द्वारा बच्चे एक ओर भाषा ज्ञान को समृद्ध करते हैं तो दूसरी ओर वे इन कहानियों में छिपे संदेश पर चिंतन-मनन करना भी आरंभ कर देते हैं। वे कहानी में वर्णित परिस्थितियों और उसके पात्रों के स्थान पर स्वयं को रखकर कल्पना करने लगते हैं कि यदि उनके साथ भी ऐसा होता तो वे क्या करते? ऐसा करते हुए वे कहानी में छिपे भाव और मूल्यों को समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम किसी परिस्थिति का निर्माण किए बिना बच्चों को किसी भाव या मूल्य के बारे में बताते हैं तो वे उसे शीघ्रता से अपना नहीं सकते। किंतु यही बात यदि हम पाठक या बच्चों को किसी परिस्थिति का निर्माण कर बताने का प्रयत्न करते हैं तो वे उस भाव या मूल्य को शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं अर्थात परिस्थिति का सामना करने पर उन्हें स्वत: ही भाव-बोध हो जाता है। इस प्रकार परिस्थितियों के निर्माण के आधार पर करवाया गया भाव बोध-स्थायी होता है। उसमें निरंतरता बनी रहती है और वह विलुप्त नहीं होता है।

यदि हम अपने अतीत पर नज़र डोलें तो हमें पता चलता है कि हमारे परिवार के बड़े-बुज़ुर्ग हमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते थे। हम उनकी बात सुनते थे। हम केवल सुनते थे इसलिए ये बातें स्थायी नहीं बन पाती थी और हम इन्हें कुछ समय के पश्चात भूल जाते थे। इसके विपरीत जब हमारे समक्ष कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती थीं जिनका सामना हमें स्वयं करना होता था तब हम परिस्थितियों का डटकर सामना करने के लिए जो प्रयास करते थे वे प्रयास ही हमारे सीखने के कारण बनते थे और हम जो कुछ सीखते थे वह सीख ही ज्ञान के रूप में स्थायी बन जाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि सीखने को स्थायित्व प्रदान करने में परिस्थितियों और अनुभव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब अनुभव की बात होती है तो मुझे अपने जीवन की एक घटना का स्मरण हो आता है। यह घटना मेरे कॉलेज के दिनों की है। मैं विश्वविद्यालय से घर जाने के लिए रेलगाड़ी से यात्रा करता था। मैं हमेशा टिकट लेकर यात्रा करता था, परंतु कुछ मित्रों ने एक दिन मुझसे कहा कि यात्रा तो बिना टिकट के भी की जा सकती है। उनकी सलाह को मानकर मैंने एक दिन टिकट नहीं ली। मेरे पास टिकट नहीं थी, इसलिए टी.टी. सर की नज़रों से बचने के लिए ट्रेन के शौचालय के पास खड़ा हो गया। जब टी.टी. सर आए तो उन्होंने टिकट दिखाने के लिए कहा। मेरे पास टिकट नहीं थी। मैंने स्वयं को विद्यार्थी बताया तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और हिदायत दी कि यदि

अब से यात्रा करनी है तो टिकट लेकर ही करनी है। मुझे उनकी बात अच्छी लगी पर साथ ही स्वयं पर शर्म भी आई कि देश का एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के बावजूद मैंने ऐसा काम किया है। इसके बाद मैंने कभी भी कोई भी यात्रा बिना टिकट के नहीं की। कहने का आशय यही है कि यदि हम किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो बहुत कुछ स्वत: ही सीख लेते हैं और जो कुछ हम सीखते हैं वह स्थायी होता है, क्योंकि इसमें हमारा अनुभव भी जुड़ जाता है। इस सीखी हुई बात की निरंतरता के लिए आवश्यक है कि हम अपने द्वारा निर्मित नियमों पर चलें गलतियों का दोहराव न करें। इस प्रकार पढ़ी हुई, कही हुई और सुनी हुई बात बहुत महत्वपूर्ण होती है।

कही हुई बात या मौखिक साहित्य के संदर्भ में और अधिक बात की जाए तो लोककथाओं को छोड़ा नहीं जा सकता है। लोक मौखिक-कथित साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंश हैं। ये हमारी परंपरागत वसीयत के रूप में हमें प्राप्त हैं। विभिन्न संदर्भों पर आधारित विभिन्न लोककथाएँ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कथाओं में नीति, सामाजिकता, राजनीति आदि सभी हैं। बचपन में हम बहुत सी लोककथाएँ हमारे घर में दादा-दादी,नाना-नानी, माँ-पिताजी से सुनते थे। वे भी बड़े चाव से हमें लोककथाएँ सुनाते थे। सुनाते समय क्रिया एकतरफ़ा नहीं होती थी, बल्कि वे इन पर हमसे चर्चा करते थे। बीच-बीच में हमें बातचीत करने का मौका भी देते थे। प्रश्न पूछते थे और प्रश्न करने पर जवाब भी देते थे। राजा से संबंधित लोककथा हो तो राजा के बलशाली या कमज़ोर होने के कारण बताते थे। साथ ही किस तरह कमज़ोर राजा को बलशाली बनाया जा सकता है, इसका सुझाव भी देते थे। बलशाली राजा की प्रसिद्धि के कारण बताते थे। यदि राक्षस की कहानी होती तो उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं से अवगत कराते थे। परियों की सुंदरता की कल्पना करने के लिए कहते थे। हम भी लोककथाओं के हर पहलू पर चिंतन-मनन करते थे तथा सुनते-सुनते कल्पनाओं में विचरण करते थे। स्वयं को राजा या परी के स्थान पर रखकर सर्जनात्मक तरीके से सोचते थे। कभी कहानी में विस्तार करते थे तो कभी इसमें छिपे संदेश को व्यक्त करते थे। कभी-कभी इसी विषय पर अन्य कथा का सृजन भी करते थे। ये सब बातें ही तो भाषा समृद्धि का आधार है। कल्पना करने, चिंतन-मनन करने तथा अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने से भाषा का विकास होता है। भाषा समृद्ध और प्रवाहमय बनती है।

लोककथाओं की प्रसिद्धि का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में भारत के लगभग सभी राज्यों ने अपनी पाठ्यपुस्तकों में लोककथाओं को शामिल किया है। बच्चे इन लोककथाओं को पढ़ते हैं, कल्पना करते हैं, स्वयं को कहानी के पात्र के रूप में देखते हैं, चिंतन-मनन करते हैं और इसमें निहित संदेश को आत्मसात करते हैं। इस प्रकार वे अपनी भाषा को समृद्ध बनाते हैं। अब बात यह है कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए? शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करें। बच्चे अपनी बात व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में रख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से तो शिक्षक को बच्चों से बात करनी ही चाहिए, साथ ही उन्हें समूह में भी कार्य करने का अवसर देना चाहिए। वे बच्चों को दो-दो, या तीन-तीन के समूहों में बाँटकर कार्य करवा सकते हैं। प्रत्येक बच्चे की सोच अलग

होती है। समूह का हर बच्चा अपनी सोच के अनुसार कहानी पर कार्य करता है। बच्चे विभिन्न तरीकों से सोचकर नई-नई कहानियों का सृजन करते हैं। बच्चों के द्वारा बनाई गई कहानियाँ बड़ी ही मज़ेदार और रोचक होती हैं। शिक्षक कहानियों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं। इस प्रदर्शनी में बच्चों के परिसर के लोगों को और उनके अभिभावकों को आमंत्रित कर सकते हैं। जब उनके द्वारा सृजित कहानियों को लोग देखेंगे और पढ़ेंगे तो बच्चे खुश तो होंगे ही गर्व का भी अनुभव करेंगे। वे और भी नए-नए तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित होंगे। शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को लोककथा सुनाने के लिए कह सकते हैं। वे किन्हीं तीन बच्चों का चयन कर, उन्हें तैयारी का मौका देकर कक्षा में सुनाने के लिए कह सकते हैं। जब शिक्षक उन्हें तैयारी का मौका देंगे तो वे घर में अपने परिवार के सदस्यों को कथाएँ सुनाने के लिए कहेंगे। उनके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और कक्षा में उसका प्रस्तुतीकरण करेंगे। वे इस कथित कहानी में अपनी ओर से कुछ और संदर्भों को जोड़कर भी सुना सकते हैं। हो सकता है कि अगर उन्हें कुछ अंश पसंद न आए तो वह उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए क्योंकि यही भाषा विकास की प्रक्रिया है। जब बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा तो वे और भी नए-नए विषयों पर नई-नई कहानियाँ बनाएँगे। तत्पश्चात इन कहानियों को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को सुनाएँगे। इससे उनकी सर्जनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। बच्चों की रुचि और जिज्ञासा में वृद्धि करने हेतु शिक्षक मनोरंजक गतिविधियों को भी जोड़ सकते हैं। कहानी का हाव-भाव के साथ प्रस्तुतीकरण करवा सकते हैं। बच्चों से अभिनय भी करवा सकते हैं। बच्चों के साथ मिलकर कहानी के पात्रों के लिए कपड़ों का चयन कर सकते हैं। कपड़े विद्यालय में उपलब्ध हो तो उन्हें दे सकते हैं। यदि उपलब्ध न हो तो उन्हें घर से लाने के लिए भी कह सकते हैं। अभिनय करवाने से पूर्व शिक्षक बच्चों से स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हैं। इससे शिक्षक और बच्चों दोनों की भागीदारी बढ़ती है। शिक्षक के सुझावों से बच्चे स्क्रिप्ट को रोचक बना सकते हैं। एक सटीक स्क्रिप्ट और अच्छी वेशभूषा के साथ जब बच्चे कहानी का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है। एक ही समय में वे अनेक क्षमताओं विकास करते हैं। कहानी सुनने से लेकर अभिनय के साथ प्रस्तुतीकरण तक की प्रक्रिया में वे भाषा विकास की क्रिया से गुज़रते हैं। भाषा विकास की इस क्रिया को संपन्न करने में शिक्षक का प्रोत्साहन और अभिप्रेरणा दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों का प्रोत्साहन बच्चों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनता है। इसलिए सदा इसे बच्चों के लिए लाभप्रद बनाने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा एन.सी.एफ. 2005 के आधार पर विकसित प्राथमिक स्तर पर विकसित पाठ्यपुस्तकों जैसे *रिमझिम* 3, 4 एवं 5 में पंजाबी लोककथा, नागा लोककथा, उत्तर प्रदेश की लोककथा के साथ ही साथ गुजरात की लोककथाओं को भी सम्मान दिया गया है। इन लोककथाओं के माध्यम से बच्चे मनोरंजन के साथ ही अपनी भाषा का भी विकास करते हैं।

निष्कर्ष

लोककथाओं के महत्व को संपूर्णता में समझने के बाद शिक्षक नवीनता के साथ विभिन्न बच्चों से

जुड़ पाएँगे। इसके अलावा शिक्षक लोककथाओं के कथन के लिए विभिन्न विधियों के इस्तेमाल पर भी आपस में चर्चा करेंगे। सामूहिक भागीदारी कई चीज़ों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी, जैसे— कपड़ों का चयन, मुखौटों का निर्माण, मंच सज्जा, लोककथाओं के मंचन के लिए विभिन्न सामग्री के निर्माण पर व्यापक चर्चा वस्तुतः मौखिक आदान प्रदान के साथ ही उसकी प्रस्तुतीकरण बच्चों में अनेक नवीन शब्दों के ज्ञान एवं प्रयोग का रास्ता बनाएगी। बच्चे रुचि एवं आनंद के साथ लोककथाओं के मंचन में भागीदार होंगे। बच्चों में भाषा विकास इसी बात के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगी।

संदर्भ

पंचतंत्र की कहानियाँ. 2012. आत्मा राम एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *रिमझिम 3*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् , नई दिल्ली.

_____. 2007. *रिमझिम 4*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

_____. 2008. *रिमझिम 5*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

9

प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के माध्यम

नीलम कुमारी*

भाषा जीवन के विविध पक्षों को आत्मसात करने और फिर उसे दूसरों के लिए अभिव्यक्त करने का महत्वपूर्ण उपकरण है, इसलिए बच्चों में भाषा शिक्षण का महत्व बढ़ जाता है। बच्चों को भाषा सिखाना ज़रूरी है, किंतु यदि यह पुस्तकों के बोझ के बदले खेलों के आनंद के साथ हो तो अधिक उपयोगी हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ आई बालवाटिका इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही खिलौनों के ज़रिए बच्चों को गतिविधियों में शामिल करने तथा इस प्रक्रिया में भाषा सिखाने का कदम बच्चों को बस्ते के बोझ से मुक्त करेगा तथा उनमें पढ़ने के प्रति स्वाभाविक रुचि के विकास में सहायक होगा। भाषा शिक्षण का यह आसान और मज़ेदार लगने वाला तरीका बिना प्रशिक्षित शिक्षकों के बोझिल और उबाऊ हो जाएगा। शिक्षकों के साथ ही भाषा के विकास में परिवार और समुदाय की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। समुदाय के शब्द-भंडार के भीतर से ही बच्चे अपने शब्द चुन सकते हैं। इन शब्द-भंडार को बच्चों तक पँहुचाने वाली रा.शै.अ.प्र.प. की पाठ्यपुस्तकें बच्चों के प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण साधन हैं। ये पाठ्यपुस्तकें बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार बनाई गई हैं।

भाषा संज्ञानात्मक बोध का एक उपकरण है। यह वैयक्तिक अभिव्यक्ति का माध्यम भी है और सामाजिक संप्रेषण का साधन भी। ऐसे में यह प्राथमिक स्तर के शिक्षण के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। बच्चों को अपने हम उम्र बच्चों से जुड़ना हो या ज्ञान हासिल करना हो भाषा उनकी अनिवार्य ज़रूरत है। बच्चों में भाषायी ज्ञान को विकसित करने का सबसे सरल और कारगर तरीका है कि उन्हें आरंभिक वर्षों से ही शुद्ध भाषा का ज्ञान कराया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्यान्वित करने के प्रयासों में बच्चों को स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त अनौपचारिक से औपचारिक शिक्षा की ओर अग्रसर किया जा रहा है। भाषा अर्जन और अधिगम के लिए भी इसी नीति का पालन किया जा रहा है। भाषा शिक्षण के प्रयास किसी किताबी ज्ञान के बजाय खेल-खिलौनों के माध्यम से किए जा रहे हैं। बच्चों की बहुआयामी प्रतिभाओं को नज़रअंदाज़ न किया जाए इसलिए उनके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान

*शोधार्थी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 110 007

दिया जा रहा है। इन विविध प्रयासों में भाषा शिक्षण का प्रयास भाषा सिखाने के साथ ही सर्वांगीण विकास का माध्यम भी बन जाता है। बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भाषा-ज्ञान देने के लिए शिक्षकों को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। उनके साथ अभिभावकों को भी बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है।

आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षा में भाषा-सुधार पर अधिक ज़ोर दे रही है। यह प्रसिद्ध है कि किसी भी समाज को बदलने के दो तरीके हैं। पहला, बदलाव नीचे से ऊपर की ओर किया जाए। यह कारगर साबित हो सकता है, किंतु इसमें परिणाम बहुत देरी से प्राप्त होंगे। अतः यह एक लंबा रास्ता है। दूसरा, समाज में बदलाव ऊपर से नीचे की ओर किया जाए। यह सबसे छोटा तथा त्वरित परिणाम देने वाला रास्ता है। यहाँ नीचे से ऊपर का अर्थ है— बदलाव पहले व्यक्तिगत रूप में किया जाए, फिर परिवार, परिवार से समुदाय, समुदाय से समाज तथा समाज से राष्ट्र के स्तर पर सुधार किया जाए। इस क्रम को उलट देने से परिवर्तन की गति तीव्र हो जाती है। भाषा शिक्षण में सुधार के लिए भी यही रास्ता अधिक उपयोगी होगा। विशेष रूप से जब यह सरकार द्वारा राष्ट्र के स्तर पर शुरू किया जाए।

शिक्षा के क्षेत्र में भाषायी सुधार लाने का सबसे कारगर उपाय स्कूली शिक्षा में सुधार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कारण स्कूलों में बालवाटिका का प्रवेश बच्चों को खेल-खेल में शिक्षित करने की ओर अग्रसर करेगा, उन्हें पर्यावरण से जोड़ेगा। इन सब में मददगार साबित होगा— खिलौना आधारित शिक्षाशास्त्र तथा इसका माध्यम बनेगी भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार "वर्तमान समय में ई.सी.सी.ई. की सभी तक पहुँच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। इसलिए एन.सी.ई.आर.टी. और एस.सी.ई.आर.टी. के द्वारा कक्षा-1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले-आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल' बनाया जाएगा जिसमें गतिविधियाँ और वर्क बुक होगी जिनमें— अक्षर, ध्वनियाँ, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि शामिल होंगे।"(पृष्ठ 12) यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि शिक्षक और अभिभावक आरंभिक अवस्था में बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने से बचें। बच्चे में पढ़ने के प्रति रुचि जाग्रत हो और वह अपनी इच्छा से पुस्तकों से जुड़े। इन सब गतिविधियों को पूरा करने में भाषा एक उपकरण का काम करती है। विभिन्न गतिविधियों के ज़रिए बच्चों का शब्द भंडार बढ़ता जाता है और वह भाषा सीखता जाता है। फिर वह इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर अपना भाव प्रकट करता है तथा लोगों से जुड़ता है। भाषा के संदर्भ में नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क 2005 में इस बात का उल्लेख मिलता है कि— "भाषा एक औज़ार है जिसका इस्तेमाल हम ज़िंदगी को समझने के लिए, उससे जुड़ने के लिए और जीवन-जगत को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं।" (पृष्ठ 9) बाल वाटिका जैसे प्रयासों से बच्चा स्वतः भाषा का जीवन के विविध रूपों से जुड़ने और अपने भावों को प्रकट करने के लिए औज़ार की तरह उपयोग करने लगता है।

बच्चों को भाषा केवल किताबी ज्ञान से नहीं सिखाई जा सकती है। इसके लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित होना होगा। शिक्षकों को इस बात का बोध होना चाहिए कि बच्चों को भाषा खेलों के माध्यम से भी सिखाई जा सकती है। इस बात का समर्थन

रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा विकसित खेल संदर्शिका आओ खेलें भी करती है। उसमें 'शैशवावस्था के खेल' अध्याय के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि— "शिशु के भाषा विकास तथा ज्ञानेन्द्रियों के विकास में भी ये खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।" (पृष्ठ 9) संदर्शिका के अनुसार "शैशवावस्था के खेलों से शिक्षिका को भी परिचित होना चाहिए, ताकि शिशु के विद्यालय जाने पर इन खेलों की पुनरावृत्ति करा सके। इससे बच्चों की झिझक दूर होगी और वे सहजता से विद्यालय के परिवेश में समायोजित हो सकेंगे।" (पृष्ठ 9)

इसमें संदेह नहीं कि भाषा सीखने-सिखाने का क्रम बच्चे के जन्म से ही आरंभ हो जाता है। घर में अभिभावक तथा विद्यालय में शिक्षकों की देखरेख में बच्चा भाषायी ज्ञान सीखता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि जब भी भाषा सिखाने के लिए खेलों को माध्यम बनाया जाए तब किसी खास उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि "...आवश्यकता केवल शिक्षिका के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की है, ताकि वह अपनी शिक्षण नीति में अपेक्षित परिवर्तन लाए। वह खेलों के महत्व को समझे और अपने शिक्षण में कुशलता एवं समझदारी से उनका अधिकाधिक प्रयोग करे।" *आओ खेलें*, प्रस्तावना, पृष्ठ 1) खेलों के प्रयोग से बच्चे का शिक्षण प्रक्रिया से सहज जुड़ाव पैदा होता है जिससे उसकी भाषा या अन्य कुछ सीखने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है और मनोरंजक भी।

भाषा शिक्षण के दौरान आवश्यकता है बच्चों की समस्याओं को समझने की। शिक्षक हो या शिक्षिका बच्चे के भाषायी विकास की अनदेखी कर देने से बच्चा कई बार अकेलापन महसूस करने लगता है। वह धीरे-धीरे सामाजिक गतिविधियों से पीछे हटने लगता है। ऐसा न हो इसके लिए शिक्षकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

बच्चे के बहुमुखी विकास में भाषा की भूमिका

भाषा बच्चों के बहुमुखी विकास में सहायक होती है। भाषा व्यक्ति के विचारों को व्यवस्थित रूप में प्रकट करने का माध्यम है। इसका बुनियादी महत्व बच्चे के चिंतन, स्मृति, तर्क-वितर्क, समस्या का समाधान आदि प्रक्रियाओं में और अधिक बढ़ जाता है। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को ऐसा वातावरण दें "जहाँ वे बिना किसी रोक-टोक के अपनी उत्सुकता के अनुसार अपने परिवेश की खोज-बीन कर सकें।" (*प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल*, पृष्ठ 1) इससे बच्चे अपनी समझ तथा ज्ञान को स्वयं निर्मित कर सकेंगे। भाषा सीखने-सिखाने का क्रम परस्पर चलने वाली क्रिया है। इसी क्रिया के अनुरूप बच्चा विभिन्न विषयों— हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित आदि का ज्ञान अर्जित करता है। भाषा का अर्जन और अधिगम बच्चों की विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी संकल्पनाओं को समझने में भी सहायक होता है। *प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर* के अध्याय तीन 'भाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर' में भाषा अधिगम को प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों से जोड़कर देखा गया है। इसके अनुसार विभिन्न भाषायी कौशल विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये भाषायी कौशल हैं— सुनना-बोलना, पढ़ना-लिखना, समझना, भाषा का प्रयोग करना आदि। क्योंकि भाषा सीखी और सिखाई जाती है इसीलिए भाषा अधिगम के कुछ उद्देश्य भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे— "समझते हुए सुनना; औपचारिक एवं अनौपचारिक वार्तालाप में प्रभावी

ढंग से बोलना; समझते हुए पढ़ना और विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री को रस लेते हुए पढ़ना; तार्किक क्रम और मौलिकता के साथ साफ़-साफ़ लिखना; सुनकर एवं पढ़कर विचारों को समझना; विभिन्न संदर्भों में व्याकरण का प्रकार्यात्मक प्रयोग करना।" *प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर,* पृष्ठ 15) यदि कक्षा में शिक्षक उपरोक्त बिंदुओं के आलोक में बच्चों को पढ़ाएँ तो बच्चा किसी भी विषय को आसानी से पढ़कर समझ सकता है। ज़रूरी है बच्चे को समझाना, ताकि वह पढ़ाए जाने वाले विषयों का आनंद भी ले सके। बच्चों का रुझान पढ़ाई में और अधिक बढ़ाने के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली में बड़े-से-बड़ा तथा छोटे-से-छोटा सुधार किया जा रहा है। ई-पाठशाला, स्वयं, स्वयंप्रभा, दीक्षा इत्यादि अनेकों डिजिटल प्रयास भी बच्चों के शैक्षिक विकास को लक्षित करते हुए ही चलाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों के लिए रा.शै.अ.प्र.प. के प्रयास से बालवाटिका— 1, 2, 3 का निर्माण बुनियादी स्तर पर बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए ही किया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि आने वाला समय बच्चों के लिए चुनौतिपूर्ण साबित होगा। इसके लिए बच्चों को भाषायी तौर पर सक्षम बनाना होगा, ताकि वे स्वयं को आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त तथा प्रस्तुत कर सकें। यह प्रयास भारत सरकार के साथ-साथ शिक्षकों तथा अभिभावकों सभी को मिलकर करना होगा।

बच्चे के सर्वांगीण विकास में भाषा की भूमिका

भाषा बच्चों के विकास से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए भाषा को बच्चे के सर्वांगीण विकास से जोड़कर देखा गया है। बच्चों के व्यक्तित्व के सभी आयामों पर बारीकी से शोध किए गए हैं जिसके आधार पर *पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या* में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दो लक्ष्य निर्धारित किए—"बच्चों का सर्वांगीण विकास और आजीवन सीखने हेतु मज़बूत नींव डालना। बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना।" (*पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या*, पृष्ठ 2) यह पाठ्यचर्या बच्चों में आरंभ से ही उसके समग्र विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख करती है। भाषा का विकास इन्हीं में से एक पक्ष है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के विकास के लिए कई अथक प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा रहा है, कहीं खेल को आधार बनाकर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया आनंददायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं उनके लिए विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया जा रहा है। मज़ेदार बात यह है कि यह सब उस बच्चे के लिए किया जा रहा है जो दुनिया को देखना अभी शुरू ही करेगा, शब्द-ज्ञान, संख्या-ज्ञान सीखेगा। बुनियादी स्तर पर ये सभी प्रयास दिखाते हैं कि बच्चे को एक दिशा देनी आवश्यक है, ताकि वह सीखे अपनी मर्ज़ी से किंतु उसके लिए मार्ग पहले से ही प्रशस्त हो। *प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम* के अध्याय 2.3 '*प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम* में शिशु— वह कैसा है?' में बच्चे के सर्वांगीण विकास से संबंधित कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित हैं—

- सृजनात्मक अभिव्यक्ति तथा सौंदर्य बोध का विकास;
- शारीरिक विकास एवं मांसपेशियों का विकास;
- भाषा विकास;

- संवेगात्मक विकास;
- सामाजिक विकास;
- संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक विकास।

उपरोक्त सभी बिंदु बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। इन्हीं बिंदुओं में से एक 'भाषा विकास' है। इसमें संदेह नहीं कि बच्चे भाषा कई तरह से सीखते हैं, जैसे—

- अपने आस-पास के लोगों की नकल करके।
- अपने आस-पास के लोगों से प्रोत्साहन पाकर।
- विचारों और भावनाओं को सुनकर तथा उनकी अभिव्यक्ति करके। (प्रा.बा.शि.का., पृष्ठ 163)

इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा में शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों को बोलते समय किसी तरह की रोक-टोक न करें। वे बच्चों को ज़्यादा-से-ज़्यादा सीखने के अवसर दें। इसके लिए कक्षा में विभिन्न नई-नई गतिविधियों या क्रियाओं का आयोजन करें, ताकि बच्चों के अनुभव और उनकी शब्दावली समृद्ध हो सके। बच्चे भाषा को सही से बोलना सीखें, इसके लिए आवश्यक है कि उनसे लगातार बातचीत की जाए, चुपचाप रहने या कम बोलने वाले बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि उनकी झिझक दूर हो। बच्चों को पढ़ने के लिए सचित्र पुस्तकें ही दी जानी चाहिए, ताकि वे तस्वीरों को पहचानें, रंगों को पहचानें तथा आवश्यकता पड़ने पर बच्चे उन तस्वीरों के बारे में बात कर सकें। क्योंकि 'नकल करना' बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है ऐसे में शिक्षकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे "हमेशा विनम्रता एवं शिष्टतापूर्वक बातें करें तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, बच्चे सहज ही शिक्षिका की नकल करते हैं।" (*प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम*, पृष्ठ 165) इन सभी बातों का ध्यान शिक्षकों के साथ-साथ यदि संभव हो सके तो अभिभावकों को भी रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने परिवेश से ही भाषा सीखता है। इस संबंध में प्रसिद्ध भाषाविद कामताप्रसाद गुरु का मत है कि— "भाषा पर स्थान, जलवायु और सभ्यता का बड़ा प्रभाव पड़ता है।" (हि.व्या., पृष्ठ 18) अतः ऐसे में यह कहा जा सकता है कि निश्चय ही बच्चे के आसपास का परिवेश उसके भाषिक प्रयोग को प्रभावित करता है।

प्रभावशाली संप्रेषक कैसे बनें

बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक तब बनेंगे जब उनकी भाषा समृद्ध और अनुभव संपन्न होगी। इसके लिए शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों को भी शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षण की शिक्षण प्रक्रिया, बाल-विकास, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित आवश्यक पहलुओं आदि से परिचित कराना आवश्यक है। बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक तभी बनेंगे जब उनके अभिभावक उन्हें वह स्वतंत्रता प्रदान करेंगे जिसमें बच्चा डर को भुलाकर सही-गलत की पहचान स्वयं कर सके, न कि डर के कारण वह किसी कार्य को करे। भाषा मात्र उपकरण ही नहीं है, अपितु वह साधन भी है। एक ऐसा साधन जिससे दो लोग आपस में संपर्क साधते हैं। *पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या* में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अभिभावक और शिक्षक के संपर्क के अवसर होने चाहिए। उसके अनुसार महीने या तीन महीने में एक ऐसी सभा का आयोजन होना चाहिए जिसमें शिक्षक और अभिभावक एक-दूसरे से बच्चे की उपलब्धियों, खूबियों-खामियों पर बातचीत कर सकें।

आवश्यकता पड़ने पर बच्चे की समस्या का समाधान भी निकाल सकें।

भाषा विकास में समुदाय की भागीदारी

बच्चे के भाषायी विकास में समुदाय की भी अहम भूमिका है। *पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या* के अनुसार "समुदाय के सदस्यों की भागीदारी से बच्चों और उनके परिवार को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। यदि समुदाय जागरूक होगा तो ही बच्चों की आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं।" (पृष्ठ 68) बच्चा किसी शब्द का अर्थ समझने के लिए पहले अपने अभिभावकों से प्रश्न करता है किंतु उनकी अनुपस्थिति में यह उत्तर न मिलने की स्थिति में समाज के अन्य लोगों के पास ही जाता है। यह स्वाभाविक है कि जहाँ सार्वजनिक स्थलों पर सही और अच्छे शब्द या वाक्य लिखे होते हैं, बच्चा उसे पढ़ते हुए स्वतः ही भाषा अर्जित करता है। किसी भी बच्चे का भाषा-विकास उसके परिवेश से ही विकसित होता है। यह तथ्य जान लेने के बाद यह समझना और आसान हो जाता है कि किन-किन सुधारों की बच्चे को आवश्यकता है। इससे उसके परिवेश में भी सुधार लाया जा सकता है।

पाठ्यपुस्तकें और प्राथमिक स्तर की भाषा

प्राथमिक स्तर की भाषा सहज ही बोली जाने वाली भाषा है। इसमें अभिधा में बोली जाने वाली शैली का प्रयोग किया जाता है अर्थात किसी बात को सीधे-सीधे कहना। इसका शब्दकोश में भी वही अर्थ मिलेगा जिस संदर्भ में वह शब्द बोला गया है, जैसे— 'आम', 'फल'। इन शब्दों के 'सामान्य', 'परिणाम' जैसे अर्थ भी निकाले जाते हैं, किंतु बच्चों की समझ को देखते हुए पहले एक अर्थ से उन्हें परिचित कराया जाता है, ताकि तस्वीर देखकर वो उसका अर्थ लगा सकें। बच्चों के भाषा सीखने का संदर्भ लेते हुए रिमझिम-1' में इस बात का उल्लेख मिलता है कि— "पहली कक्षा में आने वाले बच्चे समृद्ध और विकसित मातृभाषा ज्ञान के साथ आते हैं। वह अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को भाषा के माध्यम से बखूबी अभिव्यक्त कर लेते हैं।" (बड़ों से दो बातें, पृष्ठ 5) बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, भाषा को जिस संदर्भ में प्रयोग होता देखते हैं स्वयं भी उसी संदर्भ में भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। बच्चे जब भाषा का प्रयोग पढ़ने-लिखने के लिए करते हैं तब शिक्षकों को यह ध्यान भी रखना चाहिए कि बच्चे दैनिक जीवन में भी उस भाषा का प्रयोग करें। इससे वे तर्क करना, विश्लेषण करना, अनुमान लगाना, अभिव्यक्त करना तथा कल्पना करना सीख सकेंगे। 'झूला', 'आम की कहानी', 'पकौड़ी', 'रसोईघर', 'बंदर और गिलहरी', 'पतंग' आदि पहली कक्षा में पढ़ाए जाने वाले वे विषय हैं जिन्हें बच्चों द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग में लाया जाता है। बच्चों में पढ़ने-लिखने के प्रति रुझान को बढ़ाने के लिए कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक *रिमझिम-2* में भाषा को कविता गाने, कहानी को सुनने और सुनाने, भाषा से संबंधित विभिन्न रोचक खेलों को खेलने का माध्यम माना गया है। इस पुस्तक में बच्चों में विभिन्न भाषायी कौशलों को विकसित करने के उद्देश्य से रंग-बिरंगे आकर्षक चित्रों का उपयोग भी किया गया है। *रिमझिम-4* में यह बताया गया है कि पुस्तक में चित्रों का प्रयोग पुस्तक को केवल आकर्षक बनाने के लिए नहीं किया गया है। इससे पाठ की समझ में विस्तार और गहराई लाने का काम भी लिया गया है। जब बच्चा शब्दों से परिचित हो चुका हो तो नए-नए

शब्दों से परिचय के लिए आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक बच्चों को शब्दकोश की ओर मुड़ने का रास्ता दिखाएँ। *रिमझिम 5* भी इसी दिशा में क़दम उठाया गया है। इस पाठ्यपुस्तक में शब्द और अर्थ शब्दकोश के क्रम के अनुसार रखे गए हैं जिससे लिखित भाषा को समझने में बच्चों को कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण बच्चों के भाषायी विकास को ध्यान में रखकर किया गया है।

निष्कर्ष

प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण एक गंभीर उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विकसित होने वाली बालवाटिका की संकल्पना प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण के आरंभिक चरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होगा। खेलों तथा खिलौनों के ज़रिए भाषा अर्जन और अधिगम का प्रयास शिक्षकों के प्रशिक्षण के ज़रिए और भी सार्थक बनाया जा सकता है। परिवार तथा समाज भाषा सीखने के प्रयासों के लिए उचित परिवेश उपलब्ध कराकर शिक्षकों के प्रयासों को अधिक उपयोगी बना सकता है। रा.शै.अ.प्र.प. की पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री के उपयोग से बालवाटिका से शुरू हुई भाषा शिक्षण की यात्रा को प्राथमिक स्तर के ऊच्चतम सोपान तक ले जाना सहज होगा। इन पाठ्यपुस्तकों को बच्चों की मस्तिष्क की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए ये भाषा शिक्षण के चरणबद्ध साधन होंगें। खिलौनों, खेलों से लेकर पाठ्यपुस्तकों एवं सामाजिक गतिविधियों के ज़रिए बच्चों के भाषा सामर्थ्य को उन्नत बनाया जा सकता है।

संदर्भ

कौल, विनीता. 1996. *प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम*. (सुषमा सिंह, *अनुवादक*) पूर्व प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

_____ और रोमिला भटनागर. 1992. *प्रारंभिक बाल शिक्षा— प्रशिक्षार्थी पुस्तिका*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

गुरु, कामता प्रसाद. 2014. *हिन्दी व्याकरण*. वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1991. *प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

मिश्र, राधामोहन (*संयोजक*) और सुषमा सिंह (*सह-संयोजिका*). 1986. *आओ खेलें*. राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद्, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश.

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005— सिलेबस फॉर क्लासेज ऐट द ऐलिमैंट्री लेवल* (संस्करण 1). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

_____. 2006. *रिमझिम 1*. पुनर्मुद्रण संस्करण, 2021. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

_____. 2017. *प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

_____. 2019. *पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

विशेष

10

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश (भाग 2)

परिचय

बच्चे के जीवन के पहले आठ वर्ष निर्माणात्मक वर्ष होते हैं, जिन्हें मस्तिष्क की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण समय माना जाता है। हाल ही में हुए तंत्रिका विज्ञान अनुसंधानों (ब्रेन रिसर्च) ने बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों के महत्व की पुष्टि की है। अनुसंधानों से पता चला है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों में सार्थक संज्ञानात्मक, भाषायी, सामाजिक और गत्यात्मक क्षमताओं के विकास के लिए कुछ 'विशिष्ट अवधियाँ' महत्वपूर्ण होती हैं, जो बाद के जीवन की सफलता में योगदान देती हैं। यह अवस्था सामाजिक मूल्यों और व्यक्तिगत आदतों के निर्माण की नींव में भी महत्व रखती है। इस अवस्था में बच्चे अपने चारों ओर के लोगों और संसार के प्रति— उसके रंगों, आकृतियों, ध्वनियों, आकारों और रूपों के प्रति मुग्ध एवं जिज्ञासु होते हैं। दूसरों से जुड़ने और उनके साथ अपनी भावनाओं को साझा करने की यह योग्यता सीखने का विशेष आधार बनती है। बच्चों में संसार को अनुभव करने की योग्यता अधिक समृद्ध और विभिन्नता प्रदान करने वाली होती है। अपने परिवेश की खोजबीन करने हेतु बच्चे प्रेक्षण, प्रश्न पूछने, चर्चा करने, अनुमान लगाने, विश्लेषण करने, खोज करने, जाँच-पड़ताल करने और प्रयोग करने में व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे व्यापक और विस्तृत संकल्पनाओं और विचारों की रचना करते हैं, उनमें सुधार करते हैं और उन्हें विकसित करते हैं। बच्चों को प्रेक्षण, खोजबीन और जाँच-पड़ताल के पर्याप्त अवसर देने की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने आस-पास के और व्यापक परिवेश की समझ विकसित कर सकें।

छोटे बच्चे एक भावनात्मक रूप से सहायक और सक्षम परिवेश में सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, जहाँ एक उत्तरदायी शिक्षक बच्चों के साथ सुरक्षित और सुदृढ़ संबंध बनाने में मदद करता है। ऐसे वातावरण में बच्चे खोजबीन करने, अभिव्यक्त करने, सीखने और आत्मविश्वास हासिल करने हेतु स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। साथ ही यह स्वाभाविक न्याय (इक्विटी) को प्रोत्साहित करता है, विद्यालय की उपस्थिति में सुधार लाता है, मानव संसाधन में उच्च योगदान अर्पित करता है और समुदायों तथा समाजों को व्यापक लाभ भी पहुँचाता है। अत: प्रत्येक बच्चे को समर्थ बनाने वाला वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इन प्रारंभिक वर्षों मे निवेश करना महत्वपूर्ण

*पिछले अंक में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश के कुछ पाठ्यचर्या से संबंधित पाठ दिए थे। इस अंक में पढ़ने और समझने हेतु अन्य उपयोगी पाठ दिए हैं।

होता है, जो कि न केवल उनका अधिकार है, बल्कि जीवनपर्यंत सीखने की नींव डालने का एक तरीका भी है। ऐसा बेहतर प्रावधान सुनिश्चित करके छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है।

भारत सरकार ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रावधान किए हैं, जैसे— स्वास्थ्य और देखभाल सुविधाओं की उपलब्धि, आधारिक संरचना, पाठ्यचर्या, शिक्षक-प्रशिक्षण और शिक्षण-अधिगम को बढ़ावा देने के प्रयास। *(राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986; राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*; *राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल* और *शिक्षा नीति 2013; राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2013* और *प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए गुणवत्ता मानक 2013)*। अभी हाल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 3 से 8 वर्ष के बच्चों अर्थात विद्यालय-पूर्व और प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा (कक्षा 1 और 2) के लिए प्रावधानों तक पहुँच में वृद्धि हुई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के साथ, अब सभी बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे 6 वर्ष के होने पर विद्यालय आएँ। शोध द्वारा पता चलता है कि बच्चों की एक बड़ी संख्या अपर्याप्त विद्यालयी तैयारी के साथ प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेती है जिसकी वजह से उनके सीखने का स्तर कम रह जाता है तथा विद्यालय से बाहर होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए मानक प्रतिमान की आवश्यकता है जो लचीला हो और प्रासंगिकता के अनुसार कार्यान्वयनकर्ताओं द्वारा अनुकूल बनाया जा सके।

प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को विकास एवं आयु अनुरूप उपयुक्त सीखने के अवसर देने की आवश्यकता है जो उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करते हैं और विद्यालय शिक्षा में प्रवेश को सहज और निर्बाध बनाते हैं। इस संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक दिशा-निर्देश पुस्तिका विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

यह दिशा-निर्देश किसके लिए हैं?

यह दिशा-निर्देश सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, नियोजकों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रशासकों और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के मालिकों के लिए हैं। यह दिशा-निर्देश आवश्यक भौतिक आधारिक संरचनाओं, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, स्टाफ की योग्यताओं, वेतन और उनकी भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों के बारे में जानकारी देते है। यह प्रवेश प्रक्रिया, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के साथ-साथ बनाए जाने वाले रिकॉर्डों और रजिस्टरों पर प्रकाश डालते हैं। यह पाठ्यचर्या का संक्षिप्त परिचय देते हैं और समन्वयन तथा अभिसरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

यह दिशा-निर्देश कक्षा 1 से पूर्व 3 वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर बात करते हैं।

3 वर्ष की आयु पूरी होने पर पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अनुशंसा की गई है।

यह दिशा-निर्देश 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संबंध में बात नहीं करते हैं।

यह 3–6 वर्षों की आयु के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर बात करते हैं।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की परिभाषा

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो 3–6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को दी जाती है। यह संयोजित शिक्षा का पहला स्तर है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को प्री-स्कूल शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह सरकारी और निजी विद्यालयों में किसी भी एक व्यवस्था, जैसे— आँगनबाड़ी, नर्सरी स्कूल, प्री-स्कूल, प्रिपेरेटरी स्कूल, किंडरगार्डन, मॉन्टेसरी स्कूल, और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के नाम से दी जाती है।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की परिकल्पना

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा 3–6 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सर्वव्यापक, न्यायसंगत, आनंददायक, समावेशी और संदर्भित सीखने के अवसरों की उपलब्धता को बढ़ावा देने पर विचार करती है। यह सब अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा बच्चों को भावात्मक रूप से समर्पित, सांस्कृतिक रूप से स्थापित, बाल-अभिमुखी, प्रेरक अधिगम वातावरण उपलब्ध कराके सुनिश्चित किया जा सकता है। यह खेल और विकास संबंधी उपयुक्त पद्धतियों के माध्यम से जीवन भर सीखने के लिए प्रबल आधार निर्मित करके अभिव्यक्ति क्षमता को अधिकतम करने पर लक्षित होती है। यह स्वस्थ प्रवृत्ति, अच्छे मूल्य, विवेचनात्मक चिंतन, सहयोग, संप्रेषण, रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी, साक्षरता तथा सामाजिक-भावात्मक विकास को विकसित करना और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय में आना भी सुनिश्चित करती है। इससे बच्चे भविष्य में उत्पादक और संतोषप्रद जीवन प्राप्त करते हैं।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के अति महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं—

- सर्वांगीण विकास और जीवनपर्यंत सीखने के लिए सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराना।
- बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

- बाल-हितैषी वातावरण सुनिश्चित करना जहाँ प्रत्येक बच्चे का महत्व हो, उसे आदर मिले, वह सुरक्षा और सुदृढ़ता का अनुभव करे और एक सकारात्मक आत्मधारणा विकसित करे।
- अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली, पोषण, स्वस्थ आदतें और स्वच्छता के लिए ठोस आधार तैयार करना।
- बच्चों को प्रभावी संप्रेषक बनने और ग्रहणशील तथा भावबोधक दोनों भाषाओं को विकसित करने में सक्षम बनाना।
- बच्चों को भागीदार शिक्षार्थी बनने, विवेचनात्मक रूप से सोचने, रचनात्मक, भागीदार, संप्रेषक बनने और अपने आस-पास के परिवेश से जुड़ने में मदद करना।
- बच्चों द्वारा पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक विद्यालय में बदलाव को सहज रूप से समायोजित करना।
- अभिभावकों और समुदायों के साथ हर बच्चे के विकास के अवसर प्रदान करने हेतु एक जोड़ीदार के रूप में कार्य करना।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के वर्तमान मॉडल

देश में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। वर्तमान मॉडलों में आँगनबाड़ी, निजी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय (स्वचालित), पूर्व-प्राथमिक अभिभागों वाले सरकारी/निजी विद्यालय और सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्थित आँगनबाड़ियाँ शामिल हैं।

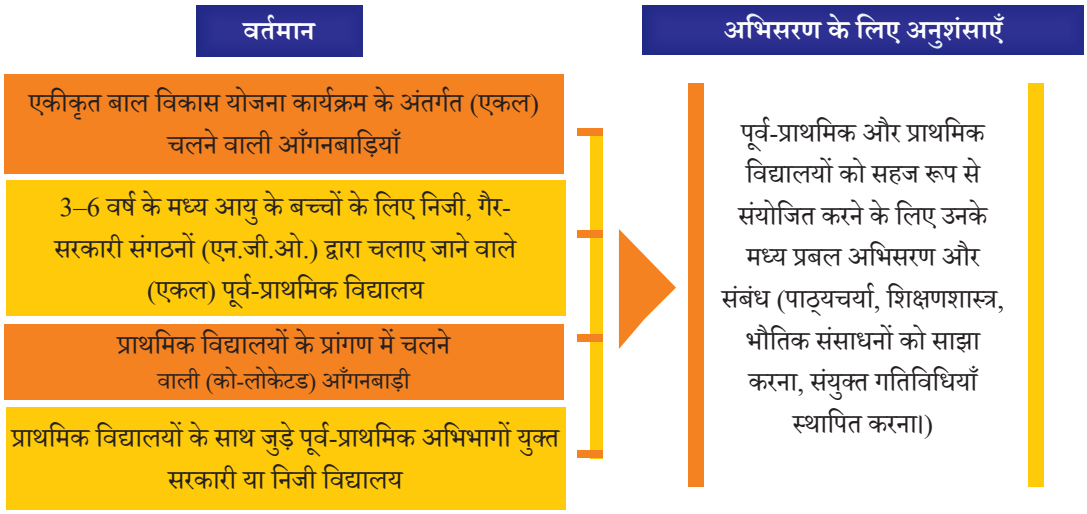

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के वर्तमान मॉडल

प्राथमिक कक्षाओं के साथ संयोजन (लिंकेज)

पूर्व-प्राथमिक और प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाएँ शिक्षा के लिए, विद्यालय के लिए और जीवन के लिए बुनियादी स्तर का निर्माण करती हैं। 3–8 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चे विकासात्मक सततता प्रदर्शित करते हैं, अत: पाठ्यचर्या, शिक्षणशास्त्र और सीखने के प्रतिफलों के बीच ऊर्ध्वमुखी संबंध (upward linkage) होने की आवश्यकता है। इसके लिए संबंध के तीन क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो हैं— व्यवस्थाएँ, तंत्र और व्यक्ति। ऐसे संबंधों को निम्न प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है—

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों के परिसर या उनके आस-पास स्थापित करना।
- कक्षा 1 और 2 की भौतिक व्यवस्थाओं को पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के समान ही नियोजित किया जाना चाहिए, जिसमें गतिविधि कोने, मुद्रित सामग्री से समृद्ध परिवेश और बच्चों के कार्य का प्रदर्शन हो।
- बैठने की व्यवस्था ऐसी हो, जिसमें बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और अनुभव साझा कर सकें, समस्या-समाधान कौशल, सहन करने/सामना करने के कौशल विकसित कर सकें, नियमों का पालन करें और सामाजिक तथा भावात्मक स्वस्थता की समझ प्राप्त कर सकें।
- सिखाने और सीखने में समान शिक्षणशास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करने के साथ-साथ विद्यालय के भौतिक तथा सामाजिक-भावात्मक परिवेश (आधारिक-संरचना, संसाधनों, शिक्षक-बालक पारस्परिक क्रियाएँ आदि) के विषय में अच्छी जानकारी बनाए रखें।

- पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में की जाने वाली गतिविधियों और बच्चों के पोर्टफोलियो के माध्यम से उनकी प्रगति को साझा करने के लिए निरंतर बातचीत होनी चाहिए।

- प्राथमिक कक्षाओं के साथ संसाधनों को साझा करने और वार्षिक दिवस, खेलकूद दिवस, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा दिवस, त्योहार, बाल मेला, वृक्षारोपण दिवस जैसी गतिविधियों को साथ-साथ करने की आवश्यकता है।

प्रवेश प्रक्रिया

कोई भी बच्चा 3 वर्ष का हो जाने पर एक सुनियोजित पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में प्रवेश के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही तब, जब वह—

- परिवार से अलग होने की स्थिति का सामना करने योग्य हो जाए।
- कुछ मौखिक क्षमता प्राप्त कर ले और अपनी मूल आवश्यकताओं को बता सके।
- स्वयं शौचालय जा सके।

प्रवेश के लिए आयु

भिन्न-भिन्न राज्यों में उनके अकादमिक कैलेंडर के अनुसार प्रवेश के लिए तिथियाँ भिन्न हो सकती हैं। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में आयु में भिन्नता है।

कक्षा 1 में प्रवेश से पहले तीन वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा अर्थात पूर्व-प्राथमिक कक्षा 1, 2 और 3 सुझायी गई है।

पूर्व-प्राथमिक कक्षा 1— पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए यह प्रवेश बिंदु है।
पूर्व-प्राथमिक कक्षा 2— यह कक्षा पूर्व-प्राथमिक कक्षा 1 की आगे की कड़ी है।
पूर्व-प्राथमिक कक्षा 3— बच्चे पूर्व-प्राथमिक कक्षा 3 को पूरा करने के बाद कक्षा 1 में प्रवेश लेंगे।

प्रवेश प्रक्रिया

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में बच्चों और अभिभावकों का लिखित या मौखिक, किसी भी रूप में मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।
- बच्चों को धर्म, जाति, विश्वास, प्रजाति, क्षेत्र, जेंडर, अक्षमता और परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं करना चाहिए।

- प्रवेश प्रक्रिया में पूर्ण-पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए।
- आस-पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यदि प्रार्थियों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक हो तो बच्चों के प्रवेश हेतु निम्न सुझावित रणनीतियों का अनुसरण किया जाना चाहिए—

- प्रवेश का आधार 'पहले आओ-पहले पाओ' होना चाहिए।
- हाथ से या कंप्यूटर से क्रमरहित (Random) लॉटरी निकाली जा सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि लॉटरी निकालते समय पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
- राज्य मानदंडों के आरक्षण नियमों के आधार पर कोटा (नियतांश) आधारित क्रमरहित चयन होना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय जहाँ स्थित हो, जैसे— विश्वविद्यालय प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केंद्र आदि, उसकी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों का कोटा निश्चित किया जा सकता है, जैसे— (i) कर्मचारियों के बच्चे, (ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, (iii) एकल अभिभावक और (iv) लड़की आदि। प्रत्येक वर्ग में क्रमरहित चयन किया जा सकता है।

पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या

कक्षा में की जाने वाली हर गतिविधि और क्रियाकलाप के सम्मेलन से पाठ्यक्रम बनता है और इसकी विषयवस्तु बच्चे की प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया से प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि और पद्धतियाँ आधारभूत आरंभिक अधिगम सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए और इन्हें बच्चे की आयु और सीखने के स्तर तथा आरंभिक अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप रूपांतरित कर लिया जाना चाहिए। बच्चों को धीरे-धीरे प्राथमिक विद्यालय की औपचारिक दिनचर्या का आदी होने के साथ साक्षरता (पढ़ना और लिखना) और संख्या-विषयक ज्ञान (गणितीय संकल्पनाओं को समझना और प्रयोग में लेना) तथा सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने में मदद की आवश्यकता होती है। अत: यह सुझाया जाता है कि आरंभिक अधिगम सिद्धांत पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या का आधार होने चाहिए। इससे शिक्षा के एक भिन्न मुकाम तक पहुँचने में मदद मिलेगी। यह उन्हें केवल सीखने के अगले पड़ाव तक जाने के लिए ही तैयार नहीं करेगा, बल्कि जीवन भर सीखने में भी मदद करेगा।

पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम की अवधि

अनिवार्य

- पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम की अवधि चार घंटे प्रतिदिन होनी चाहिए।
- कार्यक्रम में, दिन में कुछ समय विश्राम के लिए दिया जाना चाहिए। जो कार्यक्रम लंबे समय का हो, उसमें झपकी लेने का समय भी होना चाहिए।

- शिक्षक बच्चों से पहले विद्यालय पहुँचें और उनके जाने के बाद ही विद्यालय छोड़ें, ताकि वे अगले दिन के कार्यक्रम की तैयारी कर सकें।

वांछनीय

बच्चे सप्ताह में पाँच दिन अर्थात सोमवार से शुक्रवार पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम के लिए आ सकते हैं; शनिवार का दिन शिक्षकों द्वारा पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम का मूल्यांकन करने, अगले सप्ताह के कार्यक्रम की योजना बनाने, शिक्षण-अधिगम सामग्री को तैयार करने, अभिभावकों से संपर्क करने; रिकॉर्ड, रजिस्टर और पोर्टफोलियो आदि के रखरखाव हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या के मार्गदर्शक सिद्धांत

- सीखना सतत और संचयी होता है।
- तंत्रिका विज्ञान से प्राप्त साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि आरंभिक अधिगम आगामी जीवन की उपलब्धियों को प्रभावित करता है।
- हर बच्चा अलग होता है और वह अपनी गति से ही बढ़ता, सीखता और विकास करता है।
- सीखने और विकास का आधार खेल एवं गतिविधियाँ हैं।
- बच्चों के सीखने के लिए बड़ों के साथ प्रतिक्रियात्मक और सहयोगी अत:क्रिया (संवाद) अनिवार्य है।
- अनुभवजन्य अधिगम के लिए परिवेश निर्मित करने से बच्चे सीखतें हैं।
- पारस्परिक शिक्षण-अधिगम अनुभवों को समृद्ध करता है।
- स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का विकास और उपयोग सीखने के अवसरों को समृद्ध करता है।
- संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता और विविधताओं की सराहना अधिगम में सहायक है।
- मातृभाषा/घर की भाषा ही शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए।
- अधिगम में परिवार की सहभागिता योगदान देती है।

पाठ्यचर्या— मुख्य संकल्पनाएँ, शिक्षण प्रक्रियाएँ और आरंभिक सीखने के प्रतिफल

पाठ्यचर्या का स्वरूप समग्र दृष्टिकोण वाला और संदर्भ के अनुसार लचीला भी हो सकता है। पाठ्यचर्या तीन लक्ष्यों को संबोधित करती है। संप्रेषण हेतु मुख्य कौशल/ संकल्पनाएँ, शिक्षकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली शिक्षण प्रक्रियाएँ और वर्ष के अंत में बच्चों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आरंभिक सीखने के प्रतिफल।

बच्चों का सीखना और विकास समग्र रूप से होता है, यह स्वास्थ्य, संज्ञान, भाषायी, व्यक्तिगत तथा सामाजिक सकुशलता/विकास के क्षेत्रों में अग्रसर होता है। बच्चे भिन्न तरीकों और भिन्न गति से सीखते हैं। पाठ्यचर्या निम्नलिखित तीन व्यापक लक्ष्यों के माध्यम से विकास के सभी क्षेत्रों को एकीकृत करती है—

लक्ष्य 1— यह लक्ष्य बच्चों के सामाजिक-भावात्मक और शारीरिक-गत्यात्मक विकास के विभिन्न

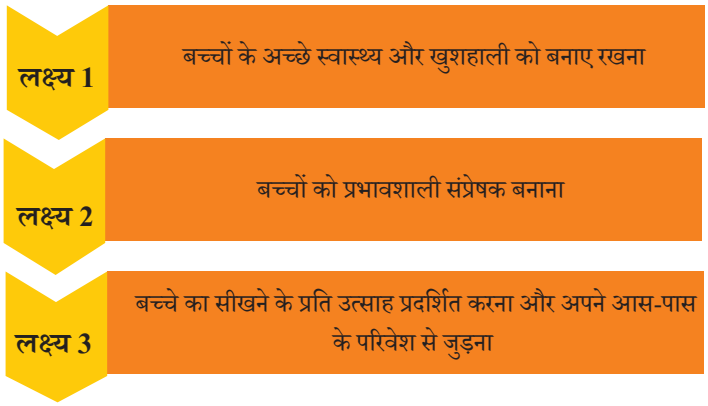

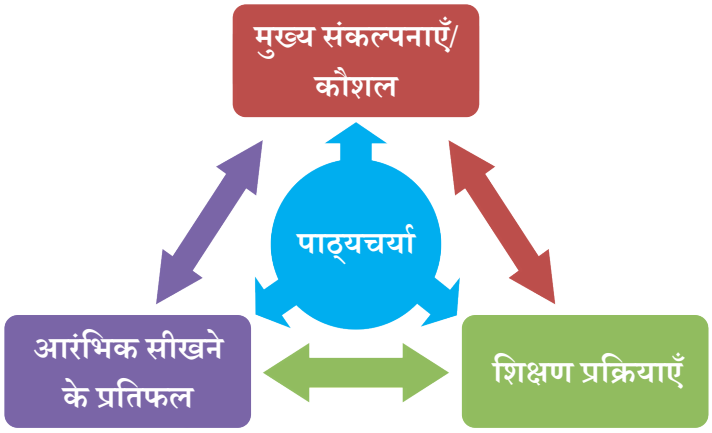

पहलुओं को उजागर करता है। इन पहलुओं में बच्चों के लिए नियोजित खेल, रचनात्मक गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से सकारात्मक स्व-अवधारणा, आत्म-नियंत्रण, सामाजिक कौशल, आँख तथा हाथ का समन्वयन और स्थूल गत्यात्मक तथा सूक्ष्म-गत्यात्मक कौशलों का विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त यह बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए अभिविन्यास प्रदान करता है।

लक्ष्य 2— यह लक्ष्य भाषा और साक्षरता कौशलों के विकास, जो सभी क्षेत्रों में सीखने का एक अभिन्न भाग है, पर ध्यान केंद्रित करता है। स्वयं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने और आत्मविश्वास के साथ संप्रेषण करने के लिए बच्चों को वयस्कों और अन्य बच्चों के साथ पारस्परिक क्रिया करने के अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण निर्देश के साथ अर्थपूर्ण साक्षरता गतिविधियों में व्यस्त होते हैं, तो वे सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल

विकसित कर लेते हैं। ये उन्हें प्रभावी संप्रेषक बनने में सक्षम बनाते हैं।

लक्ष्य 3— यह लक्ष्य बच्चों के संज्ञात्मक विकास पर प्रकाश डालता है जिसमें पर्यावरण जागरूकता और वैज्ञानिक मनोवृत्ति, गणितीय सोच और समस्या समाधान शामिल है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि जब बच्चे पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया करते हैं, वह विभिन्न अवधारणाओं एवं कौशलों का विकास करते हैं। इस लक्ष्य का सार बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करता है जो उन्हें जिज्ञासु, सतत, अनुशासित, रचनात्मक और अभिव्यक्त करने वाला बनाए। इसके अलावा समस्या-समाधान, विवेचनात्मक चिंतन और तर्क से संबंधित कौशल विकसित करने के लिए विविध प्रकार के अनुभव और गतिविधियाँ भी सुझायी गई हैं।

मुख्य संकल्पनाएँ/कौशल— प्रत्येक लक्ष्य के अंतर्गत, संप्रेषित की जाने वाली मुख्य संकल्पनाएँ या कौशल शिक्षकों के लिए दिए गए हैं, जिनका लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि पाठ्यचर्या को संप्रेषित करते समय सुनिश्चित करें कि प्रत्येक संकल्पना या कौशल को विभिन्न तरीकों से संबोधित किया जाए।

शिक्षण प्रक्रियाएँ— शिक्षण प्रक्रियाएँ शिक्षकों द्वारा पाठ्यचर्या को इस प्रकार संप्रेषित करने में उपयोग में ली जाने वाली कार्यनीतियाँ हैं जिसमें बच्चे खोजबीन, जाँच-पड़ताल, समस्या-समाधान और विवेचनात्मक चिंतन द्वारा अपने अधिगम का निर्माण करते हैं और इस प्रकार निर्दिष्ट आरंभिक सीखने के प्रतिफल प्राप्त करते हैं।

आरंभिक सीखने के प्रतिफल— आरंभिक सीखने के प्रतिफल छोटे बच्चों के सीखने और विकास के लिए अपेक्षाएँ हैं। दूसरे शब्दों में, बच्चों को प्रत्येक वर्ष के अंत में क्या जान लेना चाहिए और क्या करने योग्य हो जाना चाहिए। सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने हेतु शिक्षकों को खेलने, अन्वेषण करने, खोज करने और समस्या-समाधान के लिए गतिविधियों, अनुभवों, विषयवस्तु को शिक्षण विधि में सम्मिलित करना चाहिए।

नोट— विस्तृत जानकारी के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या दस्तावेज़ देखें।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम

भाषा बच्चों की पहचान और भावनात्मक सुरक्षा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती है। यह उन्हें मुक्त रूप से अपने विचार और भावनाएँ व्यक्त करने में मदद करती है। भारत एक बहु-भाषायी देश है, जहाँ बच्चे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में अपने घर की भाषा के साथ आते हैं, जो हो सकता है कि पूर्व-प्राथमिक/राज्य की भाषा से भिन्न हो। अनुसंधान भी दर्शाता है कि जो बच्चे उनकी मातृभाषा में चलाए जाने वाले विद्यालय कार्यक्रम में जाते हैं, उन्हें बोधन/समझने की समस्याओं का कम सामना करना पड़ता है। बच्चों की मातृभाषा/घर की भाषा में पढ़ाया जाना अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह संकल्पना निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के साथ काम करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। यदि मातृभाषा के रूप में

एक से अधिक भाषाएँ हैं, तो शिक्षिका कक्षा में अपनी बात कहने के लिए सभी भाषाओं की अनुमति दे सकती है और फिर धीरे-धीरे बच्चों को विद्यालय में उपयोग में ली जाने वाली भाषा से परिचित कराया जा सकता है।

आकलन

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में आकलन सतत और व्यापक होना चाहिए तथा पाठ्यचर्या में नियोजित अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। आकलन में बच्चे के विकास का प्रेक्षण करना तथा प्रलेखन शामिल होना चाहिए, अर्थात उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, दिन-प्रतिदिन के अनुभव, कला कार्य तथा अन्य उत्पादों में उनकी भागीदारी और उनका व्यवहार। क्षमताओं को पहचानने और प्रोत्साहित करने, उन क्षेत्रों की पहचान करने जिनमें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है और सीखने/विकासीय अंतरालों को संबोधित करने के लिए आकलन किया जाता है। विभिन्न साधनों (टूल्स) और तकनीकों, जैसे— उपाख्यानात्मक (ऐनेक्डोटल) रिकॉर्ड, जाँच सूची, पोर्टफोलियो, अन्य बच्चों के साथ पारस्परिक क्रियाओं को आकलन के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। आकलन गैर-प्रतियोगी होना चाहिए।

अभिभावकों की भागीदारी

शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों का सहयोग होने से बच्चे अकादमिक, व्यावहारिक तथा सामाजिक दृष्टि से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह जानने के लिए कि बच्चों की रुचियाँ क्या हैं, शिक्षकों को चाहिए कि

प्रौद्योगिकी का उपयुक्त उपयोग	
क्या करें	***क्या न करें***
• कक्षा-कक्ष के भीतर अन्य बहुत से अधिगम/गतिविधि क्षेत्रों के साथ आई.सी.टी. को भी उपलब्ध कराएँ। • उपकरणों के उपयोग एवं रखरखाव के लिए दिशा-निर्देश दें। • बच्चों के लिए ऐसे ऐप्स (Apps) और खेलों का पता लगाएँ जो पारस्परिक क्रियात्मक, आयु उपयुक्त हों और अभिभावकों या देखरेख करने वालों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। • पाठ्यचर्या की विषयवस्तु और अन्य खेल गतिविधियों को समृद्ध करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। • अनुचित सॉफ्टवेयर के प्रयोग से बच्चों को बचाएँ।	• स्क्रीन टाइम व्यक्तिगत पारस्परिक क्रिया का स्थान न ले। • सकारात्मक व्यवहार के लिए पुरस्कार के रूप में कंप्यूटर, फोन पर समय न बिताने दें। • आई.सी.टी. के लिए मूल कला सामग्री, खेलने की गुँधी हुई मिट्टी, पुस्तकों तथा वास्तविक वस्तुओं और हाथ से करने वाले प्रयोगों का त्याग न करें।

वे परिवार से संपर्क करें और अभिभावकों को उनके द्वारा घर पर करवायी जा सकने वाली गतिविधियों के बारे में सुझाव दें। बच्चों के घर पर किए जाने वाले कार्यों के नमूने या फोटो अभिभावकों द्वारा शिक्षकों के साथ साझा किए जा सकते हैं। विद्यालयों द्वारा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम में गतिविधियाँ/क्षेत्र भ्रमण संचालित करने में मदद के लिए अभिभावक भी स्वयंसेवक के रूप में शामिल हो सकते हैं।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में प्रौद्योगिकी

आज भारत में मोबाइल फोन और पारस्परिक मीडिया के माध्यम से दूरस्थ प्रसंगों में प्रौद्योगिकी का प्रवेश हो चुका है और यह छोटे बच्चे के हाथों में भी पहुँच चुकी है। यह परिस्थिति बच्चों के सीखने और विकास के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों उपलब्ध कराती है, क्योंकि बच्चे प्रौद्योगिकी की तरफ़ आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। यद्यपि भारत में इस क्षेत्र के बारे में कोई नीति नहीं है, अनुसंधान साक्ष्य सुझाते हैं कि छोटे बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी हो सकता है, यदि उसका उपयोग बच्चों के सीखने और विकास को विस्तारित करने के लिए किया जाए, जैसे— बच्चों को नई शब्दावली और संप्रेषण के तरीकों से परिचित कराना, गत्यात्मक नियंत्रण, संकल्पनात्मक समझ, अनौपचारिक संबंध आदि।

यह अपेक्षा की जाती है कि लक्ष्य 3 में शामिल मुख्य संज्ञानात्मक कौशलों का विकास आने वाले वर्षों में बच्चों को नई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने की चुनौतियों का सामना करने लिए सुदृढ़ नींव उपलब्ध कराएगा। परंतु यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी तभी लाभदायक है जब इसमें बड़े मध्यस्थता करें और ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें पारस्परिक संवाद हो। निष्क्रिय प्रौद्योगिकी, जो बच्चों के खेलने, खोजबीन करने, भौतिक गतिविधि और सामाजिक-पारस्परिक क्रिया का स्थान ले ले, उसे प्रत्येक स्तर पर हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों की सृजनात्मकता के प्रतिकूल हो सकती है। यह उनके संप्रेषण और संबंध बनाने के कौशलों को जिनका प्रारंभिक वर्षों में बहुत महत्व होता है, बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे टेलीविजन पर दी जाने वाली जन स्वास्थ्य सलाह का अनुसरण करें और दो वर्ष से छोटी आयु के बच्चों के लिए मीडिया के गैर-पारस्परिक क्रियात्मक और निष्क्रिय उपयोग पर रोक लगा दें तथा 2 से 5 वर्ष के बच्चों को इसके लिए हतोत्साहित करें। छोटे बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि यह बच्चों के सीखने और विकास के विस्तार के लिए योगदान करे, परंतु सामाजिक और संप्रेषण कौशलों, संबंध बनाने, समस्या-समाधान करने तथा बाहर खेलने के अवसरों को कम न करे।

सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण

सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य हैं। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के वातावरण की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए जहाँ बच्चों को लगे कि वे सकुशल, सुरक्षित, खुश और आराम से हैं और जहाँ वे खोजबीन और सीखने का आनंद ले सकें। यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। सहायकों और अन्य मदद करने वाले कर्मचारियों को बच्चों की देखरेख करने और उनका ध्यान रखने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई बनाए रखने तथा बच्चों की सुरक्षा, सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए।

सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ

भीतरी और बाहरी क्षेत्रों की सुरक्षा

- कक्षा-कक्ष में आवागमन व चलने-फिरने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। यह स्थान अव्यवस्था व बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। यहाँ फिसलन वाले फ़र्श और मुड़ी-तुड़ी दरियाँ नहीं होनी चाहिए। फ़र्श समतल होना चाहिए। खेलने की जगह पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए , अर्थात बच्चों को बाहर भाग जाने और किसी गंभीर चोट से जख्मी होने से बचाएँ।
- फर्नीचर बच्चों के अनुकूल होना चाहिए और उसमें नुकीले किनारे नहीं होने चाहिए। किनारों, कीलों और पेंचों की समय-समय पर जाँच की जानी चाहिए।
- दरवाज़े ऐसे न हों जिनमें अपने आप ताला या चिटकनी लग जाए।
- दरवाज़ों पर चिटकनियाँ बच्चों की पहुँच के बाहर होनी चाहिए।
- सभी खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए। खिड़कियाँ सुरक्षित होनी चाहिए और उनमें कोई काँच या अन्य पुर्जा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए।
- खेलने के सामान में कोई ऐसा ढीला/छोटा भाग नहीं होना चाहिए, जिसे बच्चा गलती से निगल ले।
- खेलने की सामग्री/उपकरणों पर ऐसा पेंट हो जो विषाक्त (ज़हरीला) न हो।
- बाहर खेलने की जगह पर तीखी चुभने वाली चीज़ें, हानिकारक पौधे, जानवर (आवारा कुत्ते, गाय आदि) और बेकार की वस्तुएँ या खराब उपकरण नहीं पड़े होने चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय की चारदीवारी अवश्य हो, जिसमें ताले लग सकने वाला दरवाज़ा हो, ताकि अनजान लोगों, आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को अंदर आने से रोका जा सके।
- सफ़ाई करते समय, प्रतिदिन अंदर और बाहरी स्थानों का निरीक्षण किया जाना चाहिए कि कहीं कोई नुकीली वस्तु (सुई, पिन), पेड़ की डालियाँ, विषाक्त पौधे और कुकुरमुत्ते, मधुमक्खी या ततैये के छत्ते तो नहीं हैं, साथ ही झूलों के नीचे के स्थान की गहराई से जाँच की जानी चाहिए।
- बाहर खेलने की जगह की नियमित सफ़ाई और रखरखाव होना चाहिए।
- बाहरी और भीतरी उपकरणों और खेलने के स्थान का नियमित रखरखाव होना चाहिए।
- बिजली के तारों और अन्य सामान (स्विच, प्लग आदि), बाहरी तथा भीतरी उपकरणों की सुरक्षा

संबंधी जाँच नियमित रूप से और एक निश्चित अंतराल पर की जानी चाहिए। बिजली के प्लगों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए इन्हें बच्चों की पहुँच से परे लगाना चाहिए।

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में या उसके आस-पास खुली नाली, उच्च वोल्ट वाले बिजली के तार, जलाशय नहीं होने चाहिए।
- संभावित खतरे या ज्वलनशील द्रवों जैसी वस्तुएँ, विषाक्त वस्तुएँ, साबुन और डिटर्जेंट आदि अपने मूल पात्रों पर अपने मूल लेबलों के साथ रखे जाने चाहिए। ये सब वस्तुएँ ऐसे स्थान पर रखी होनी चाहिए जो बच्चों के उपयोग में न आती हों और रसोईघर से दूर हों।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय द्वारा बच्चों को लाने-ले जाने की कोई भी व्यवस्था सुरक्षित तथा आरामदायक होनी चाहिए। वाहनों का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी वाहन में ले जाए जाने वाले बच्चों की संख्या नियंत्रित होनी चाहिए।

पहचान पत्र

- प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय को चाहिए कि वह बच्चों और उनके अभिभावकों/संरक्षकों को पहचान-पत्र उपलब्ध कराए।
- जो भी लोग बच्चों को लेने या छोड़ने आएँ, उनके पास पूर्व-प्राथमिक विद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किया गया उनका पहचान-पत्र होना चाहिए। सुरक्षा गार्ड उनके पहचान-पत्रों की हर बार (जब भी वे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय परिसर में प्रवेश करें या छोड़कर जाएँ) जाँच करें।
- सभी सहायक कर्मचारियों, ड्राइवरों और परिचारकों का उनके चयन से पहले पुलिस सत्यापन भी किया जाना चाहिए।
- बच्चों को सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

ले जाने और छोड़ने की सुविधाएँ

- अभिभावकों द्वारा बच्चों को छोड़ने और ले जाने के लिए एक निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए। शिक्षक अपनी-अपनी कक्षाओं के साथ उस स्थान पर एक तरफ उपस्थित रहें और स्वयं अभिभावकों/सरंक्षकों से उनके बच्चों को ले लें या सौंपें।
- यह स्थान दरवाज़े/परदे या रस्से द्वारा प्रतिबंधित हो। किसी भी बाहरी व्यक्ति और अभिभावक को इस प्रतिबंधित क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- अभिभावकों को चाहिए कि वे उन व्यक्तियों के फोटोग्राफ़, नाम और पहचानने के दस्तावेज़ उपलब्ध कराएँ, जो बच्चे को ले जाएँगे/छोड़ने आएँगे। किसी भी अन्य व्यक्ति को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से बच्चे को ले जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
- अच्छा हो कि कोई परिचारक (महिला) बस/कैब में बच्चों को लेने के पहले स्थान से छोड़ने के अंतिम स्थान तक उनके साथ रहे।
- मुख्य द्वार के दोनों ओर दर्शाए गए गतिरोधक और सड़क संकेत होने चाहिए जहाँ बच्चों को छोड़ा जाए और जहाँ से बच्चों को ले जाया जाए।

क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न (सी.सी.टी.वी.)

- प्रवेश द्वार, निकास द्वार, स्वागत क्षेत्र, प्रतीक्षा क्षेत्र, खेल का मैदान, शौचालयों के बाहर और बरामदों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे होने चाहिए।

- आवश्यकता और परिस्थिति अनुसार, सभी कक्षाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जा सकते हैं।
- टीवी स्क्रीन पर गतिविधियों पर लगातार नज़र रखने के लिए कम से कम एक सुरक्षा गार्ड रखा जाना चाहिए।
- संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि वे सी.सी.टी. वी. के फुटेज की नियमित रूप से जाँच करें।
- सी.सी.टी.वी. के फुटेज को साझा करने और मिटाने के नियम और उपनियम बनाए जाने चाहिए।
- यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी सी.सी.टी.वी. कैमरे काम कर रहे हों।
- सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाते समय बच्चों के निजी सरोकारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बच्चों से दुर्व्यवहार और उनके अधिकार

- बच्चों के साथ शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और न ही उन्हें शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए। उनकी किसी भी समय उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।
- बच्चों को उचित तरीके से अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। इस काम के लिए वेब पर उपलब्ध संसाधन (ई-विषयवस्तु, वीडियो/दृष्टांत), कठपुतली प्रदर्शन आदि उपयोग में लिए जा सकते हैं।
- यदि शिक्षक और अभिभावक बाल दुर्व्यवहार या उपेक्षा का कोई संकेत पाते हैं तो उन सबको इसे पहचानने, समझने और उपयुक्त प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए।
- सभी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को पॉक्सो (POCSO) अधिनियम (लैंगिक उत्पीड़न से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012) और बाल अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- किसी भी दुर्व्यवहार के बारे में रिपोर्ट करने और उसके निवारण के लिए क्रियाविधि तय की जाए।

विभिन्नताओं का आदर करना और भेदभाव से बचना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आपातकाल से निपटना

आपातकाल प्रोटोकॉल

- प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में आपातकालीन संपर्कों की सूची होनी चाहिए जो स्टाफ को आसानी से उपलब्ध हो। इसमें अभिभावकों/संरक्षकों, अग्निशमन विभाग, क्लीनिक/अस्पताल, एम्बुलेंस तथा पुलिस विभाग के टेलीफोन नंबर शामिल होने चाहिए।
- सभी पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में आपालकाल की दशा में स्पष्ट लिखित कार्यविधियाँ होनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति में स्टाफ आवश्यक रूप से निम्नलिखित कार्यविधि का अनुपालन करे—
  - एक स्टाफ सदस्य घायल बच्चे के पास रहे।
  - एक स्टाफ सदस्य एम्बुलेंस के लिए और बच्चे के अभिभावकों को टेलीफ़ोन करे।
  - यदि संभव हो तो बच्चे को सीधा अस्पताल पहुँचा दें।
  - कम से कम दो से तीन स्टाफ दूसरे बच्चों की देखभाल के लिए विद्यालय में रुके रहें।
- सभी दुर्घटनाओं या घटनाओं को एक दुर्घटना या घटना रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए,

जिसमें दुर्घटना/घटना का समय और प्रकृति तथा की गई कार्रवाई शामिल होनी चाहिए।

- जिन दुर्घटनाओं में चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता न हो, उनके बारे में उसी दिन अभिभावकों या संरक्षकों को सूचित किया जाना चाहिए।
- निम्नलिखित आपातकालीन संपर्क नंबरों को एक बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए और प्रत्येक कक्षा-कक्ष में इसे लगाया जाना चाहिए।

आपातकालीन फोन नंबर

- प्राचार्य .....
- डॉक्टर .....
- अस्पताल या नज़दीकी .....
- आपातकाल केंद्र .....
- एम्बुलेंस .....
- अग्निशमन सेवाएँ .....
- गैस एजेंसी .....
- इलेक्ट्रीशियन .....
- पुलिस स्टेशन .....
- चाइल्ड हेल्पलाइन .....
- अन्य .....

नोट— आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

कीट नियंत्रण

डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया और अन्य कीट बीमारियों एवं एलर्जी की रोकथाम के लिए समय-समय पर कीट नियंत्रण के उपाय करने चाहिए।

आपदा प्रबंधन

- प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के विकास और प्रमुख स्थानों पर चित्रात्मक भवन निकासी योजना प्रदर्शित की जानी चाहिए। साथ ही नकली आग और भूकंप अभ्यास/भवन निकासी का अभ्यास नियमित रूप से होना चाहिए।
- निकास चिह्न द्वारा साधारण और आपात निकासों को आवश्यक रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।

अग्नि सुरक्षा

उपयुक्त स्थलों पर अग्निशामक जैसा सुरक्षा उपकरण लगाया जाना चाहिए और जल तथा रेत की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहनी चाहिए।

टेलीफोन

यदि मोबाइल फोन सिग्नल उपलब्ध न हो रहे हों तो ऐसी स्थिति के लिए कक्षा से निकटतम दूरी पर टेलीफोन उपलब्ध रहने चाहिए।

प्राथमिक सहायता किट की उपलब्धता

प्राथमिक सहायता किट का नियमित रूप से नवीनीकरण किया जाना चाहिए और इसे एक ऐसे निर्दिष्ट स्थान पर रखा जाना चाहिए जो स्टाफ की तुरंत पहुँच में हो, परंतु बच्चों की पहुँच से दूर हो। नीचे किट में रखी जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में उपयोगी हो सकती है—

- पट्टियाँ
- चिपकने वाला प्लास्टर
- रोगाणुरहित (स्टेरलाइज्ड) चिकित्सीय रूई
- गॉज (Gauge)
- थर्मामीटर
- कैंची
- चिमटी
- रोगाणुरोधक (एंटीसेप्टिक) मलहम

- पोटैशियम परमैंग्नेट
- जेनेशियन वॉयलेट आदि।

स्वास्थ्य, स्वच्छता (हाइजीन) और पोषण

स्वास्थ्य और टीकाकरण

- वर्ष में कम से कम दो बार बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की जानी चाहिए तथा उसके बाद की जाने वाली कार्रवाई की जानी चाहिए तथा जब कभी और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, परामर्श सेवाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- सभी बच्चों का टीकाकरण रिकॉर्ड अवश्य रखा जाना चाहिए।
- शारीरिक वृद्धि की त्रैमासिक मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और बच्चों की ऊँचाई तथा भार का रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए।

स्वच्छता पद्धतियाँ

- यदि बच्चे कपड़े खराब कर लें या कक्षा में पेशाब कर दें तो उन्हें तुरंत साफ़ करना चाहिए। यदि वे कक्षा-कक्ष में उल्टी (वमन) कर देते हैं, तो उनके कपड़े तुरंत बदल देने चाहिए। इस आयु के बच्चों का नाक बहना एक बहुत सामान्य बात है, अत: रुमाल के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- अंदर और बाहर दोनों परिवेश साफ़-सुथरे होने चाहिए। प्रत्येक कक्षा में और बाहरी परिसर में बड़े ढक्कनदार कचरा-पात्र उपलब्ध रहने चाहिए।
- साबुन या लिक्विड सोप और हाथ पोंछने के लिए तौलिया उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वयस्कों द्वारा हाथ धोने का उपयुक्त तरीका अपनाया जाना चाहिए और नियमित रूप से इसे बच्चों के सामने प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- 3–4 वर्ष के बच्चे के शौचालय जाते समय उसके साथ एक सहायक/आया रहनी चाहिए।

अनुपूरक पोषण

अनिवार्य

- बच्चों के लिए प्रतिदिन संतुलित अनुपूरक पोषण का प्रावधान होना चाहिए।
- भोजन करने का स्थान साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए।

वांछनीय

- पोषक संतुलित आहार पकाने के लिए एक अलग रसोईघर होना चाहिए (यदि पूर्व-प्राथमिक केंद्र पर पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है)।
- बच्चों को दोपहर से पहले नाश्ता देने के समय (फल खाने का समय) की योजना होनी चाहिए।

रिकॉर्ड, रजिस्टर और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कैलेंडर

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन के लिए, सभी आवश्यक रिकॉर्ड तथा रजिस्टर व्यवस्थित रूप से बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इनके रखरखाव को सहज बनाने के लिए इनका प्रारूप सरल होना चाहिए। रिकॉर्डों और रजिस्टरों को भरना इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए प्रयास कम हो जाएँ। यहाँ नीचे कुछ रिकॉर्ड और रजिस्टर का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक केंद्र द्वारा अवश्य

बनाया जाना चाहिए और नियमित रूप से इनका इस्तेमाल व रखरखाव करना चाहिए।

रिकॉर्ड

प्रवेश रिकॉर्ड

प्रवेश रिकॉर्ड, शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि, घर के वातावरण, स्वास्थ्य स्थिति, आवश्यकताओं और योग्यताओं आदि को जानने में मदद करते हैं, जिससे कि बच्चे को अपनी वृद्धि और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें शामिल है—

प्रवेश/पंजीकरण फॉर्म— अभिभावक जब पहली बार अपने बच्चे के पंजीकरण के लिए पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से संपर्क करते हैं, तो उन्हें एक प्रवेश फॉर्म दिया जाता है। यह द्विभाषी (स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेज़ी) में होना चाहिए, ताकि अभिभावक उसे आसानी से पढ़ सकें और जानकारी दे सकें। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय अधिकारी या शिक्षक को चाहिए कि वह पंजीकरण के समय प्रत्येक बच्चे के पंजीकरण की तिथि, प्रवेश संख्या और अनुक्रमांक संख्या तथा संपर्क विवरण रिकॉर्ड करे।

बच्चे का स्वास्थ्य रिकॉर्ड— प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य रिकॉर्ड में बच्चे के टीकाकरण संबंधी विवरण, एलर्जी (यदि हो), जारी दवाइयाँ आदि शामिल होनी चाहिए। किसी बीमारी से पीड़ित बच्चे के चिकित्सीय विवरण की प्रति रिकॉर्ड और संदर्भ हेतु अवश्य रख ली जानी चाहिए।

प्रगति रिकॉर्ड

प्रगति रिकॉर्ड एक दी गयी अवधि में बच्चों की विविध विकासात्मक गतिविधियों में प्रगति का रिकॉर्ड होता है जो बच्चों के कार्य/पोर्टफोलियो और शिक्षक के प्रेक्षणों पर आधारित होता है।

पोर्टफोलियो (जानकारी संग्रह)— यह बच्चों के कार्य और उपलब्धियों का संग्रह होता है। इसमें बच्चे का नाम, व्यक्तिगत विवरण, बच्चे के साथ की गई रोचक चर्चाओं पर टिप्पणियाँ, फोटोग्राफ, नेटवर्क, चित्रकारी और लिखने के नमूने, बच्चे द्वारा बनाए मॉडलों के फोटोग्राफ, खेल में बच्चे की भागीदारी, भूमिका निर्वाह में बच्चे की भागीदारी आदि शामिल होती है।

प्रगति रिकॉर्ड का विश्लेषण यह देखने के लिए किया जा सकता है कि क्या बच्चा अपनी आयु के अनुसार विकसित हो रहा है या नहीं। तदनुसार उस बच्चे के साथ काम करते समय शिक्षक अपनी तकनीकों को परिवर्तित कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो विशेष सहायता और सहारा दिया जा सकता है।

शिक्षक डायरी

शिक्षकों को एक डायरी बनाकर रखनी चाहिए जिसमें दैनिक गतिविधियों की योजना का विस्तृत विवरण हो। उसे योजना बनानी होगी कि कैसे खेल और गतिविधियों को साथ मिलाया जाए; इसके लिए क्या सामग्री चाहिए; और पाठ्यचर्या संप्रेषण के लिए किस प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं का नियोजन किया जाना है। प्रत्येक दिन के अंत में, उन्हें चाहिए कि वह अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं, जैसे— क्या योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई या नहीं? क्या योजना अनुसार बच्चे

भाग ले पाए? क्या समय पर्याप्त था? क्या कोई कठिनाइयाँ सामने आईं? आदि पर विचार-विमर्श करें और अपनी भावी गतिविधियों में परिवर्तन करे या तदनुसार उन्हें नियोजित करें।

आने वालों का रिकॉर्ड

प्रत्येक आने वाले का रिकॉर्ड पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश द्वार पर रखे रजिस्टर में रखा जाना चाहिए। रजिस्टर के रिकॉर्ड में (i) आने वाले का नाम, (ii) आने का समय और जाने का समय, (iii) पता, (iv) फोन नंबर, (v) आने का उद्देश्य और (vi) व्यक्ति का नाम जिससे मिलना है, शामिल होना चाहिए।

फीडबैक (प्रतिपुष्टि) रिकॉर्ड

आने वाले अधिकारियों, मेहमानों, अनुसंधानकर्ताओं और अभिभावकों की प्रतिपुष्टि, प्रेक्षणों/अनुशंसाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बारे में उनकी प्रतिपुष्टि या अनुभव को इस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के संचालन के सुधार हेतु बहुत मददगार हो सकता है।

विविध रिकॉर्ड

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रतिदिन की सूचना या विवरण, जैसे— शिक्षक-अभिभावक सभा का रिकॉर्ड, लोगों के टेलीफोन नंबर जिनसे कभी-कभी काम पड़ता है, आदि को रिकॉर्ड करने के लिए विविध रिकॉर्ड रजिस्टर बनाये जा सकते हैं। इसमें अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित वांछित जानकारी और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची आदि रखी जा सकती है। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के रिकॉर्ड सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होने चाहिए।

रजिस्टर

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रजिस्टर बनाकर रखे जाते हैं, जैसे— स्टॉक रजिस्टर, लेखा रजिस्टर, शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर आदि। शिक्षकों को इनके रखरखाव की जानकारी होनी चाहिए।

शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर

स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण होता है। उन्हें उपस्थिति रजिस्टर में प्रतिदिन हस्ताक्षर करने चाहिए और विद्यालय आने और छोड़ने का समय लिखना चाहिए। यह अनुशासन (समय की पाबंदी और नियमितता दोनों) व हिसाब-किताब रखने (वेतन) आदि के लिए आवश्यक है। प्रविष्टियाँ स्याही से लिखी होनी चाहिए और रिक्त स्थान नहीं छोड़े जाने चाहिए। यदि संभव हो तो सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ऑनलाइन बायोमेट्रिक शिक्षक उपस्थिति पद्धति काम में ली जानी चाहिए।

बच्चों की उपस्थिति का रजिस्टर

बच्चों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अनुपस्थिति के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

स्टाफ प्रोफाइल रजिस्टर/सर्विस बुक

स्टाफ प्रोफाइल का रजिस्टर या जिसे 'सर्विस बुक' कहते हैं, पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में बनाकर रखी जानी चाहिए। इसमें शिक्षकों की विस्तृत जानकारी, जैसे— नाम, शैक्षिक योग्यताएँ, अनुभव, घर का पता, टेलीफोन नंबर, ई-मेल आई.डी., परिवार के सदस्यों की संक्षिप्त जानकारी और उनके टेलीफ़ोन

नंबर होते हैं। रिकॉर्ड में ताज़ा जानकारियाँ, जैसे— शिक्षक द्वारा निभाए गए उत्तरदायित्व, पाठ्यक्रमों (यदि कोई हो) के लिए प्रतिनियुक्ति, जिन संगोष्ठियों, कार्यशालाओं में उसने भाग लिया; सेवाकालीन उपलब्धियाँ, चिकित्सीय समस्याएँ (यदि कोई हैं), सेवाकाल में कभी विशेष छुट्टी के लिए अर्जी दी हो, ऑफिस से कोई ऋण स्वीकृत हुआ आदि जोड़ते रहना चाहिए।

लेखा रजिस्टर

लेखा रजिस्टर में इकट्ठी हुई फीस, पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए खरीदी गई वस्तुओं का खर्च, बच्चों को दिए जाने वाले अनुपूरक भोजन पर किया गया खर्चा, कपड़ों, जैसे— तौलियों, परदों, मेज़पोश, चादरों आदि की धुलाई का खर्चा, किसी समारोह में उपयोग में ली गई पोशाकों का किराया आदि का विवरण शामिल हो सकता है। इसकी प्रधानाध्यापक/प्राचार्य और प्रशासक द्वारा नियमित जाँच होनी चाहिए।

स्टॉक रजिस्टर

प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए एक स्टॉक रजिस्टर होना अनिवार्य है। इसमें सभी वस्तुओं या सामान, जैसे— सहायक उपकरणों, खिलौने, फर्नीचर आदि की विस्तृत सूची होनी चाहिए।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कैलेंडर

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय अपना कैलेंडर नियोजित और विकसित कर सकता है, जिसमें आगामी विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की संभावित तिथियों का उल्लेख होना चाहिए। यह अकादमिक सत्र के प्रारंभ में विकसित किया जाना चाहिए। इसकी प्रस्तावित विषयवस्तु निम्नलिखित है—

- सामान्य, स्थानीय और गज़टेड छुट्टियों (राजपत्रित अवकाश) की जानकारी
- अभिभावक-शिक्षक बैठकों की तिथियाँ
- क्षेत्र भ्रमण/सैर, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि की तिथियाँ
- ई.सी.सी.ई./पूर्व-प्राथमिक विद्यालय/वार्षिक दिवस आदि की तिथियाँ।

समन्वयन और अभिसरण

छोटे बच्चों के अधिकतम विकास और वृद्धि के लिए उनके स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना आवश्यक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की सेवाएँ देने के लिए लक्ष्यों का अभिसरण और विभिन्न क्षेत्रों, जैसे— स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण द्वारा समग्र बाल विकास की साझा समझ होनी चाहिए। सभी हितधारकों, जैसे— नीति नियोजकों, प्रशासकों, क्रियान्वयन कर्ताओं, प्रदाताओं, अभिभावकों और समुदाय के बीच ऊर्ध्व अभिसरण (vertical convergence) होना चाहिए और साथ ही विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा विभागों के उप-विभागों, चिकित्सा, स्वास्थ्य, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न घटकों को सँभालने वालों में सम-स्तर अभिसरण (horizonal convergence) होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम

को सुनिश्चित करने हेतु, विभिन्न कार्यों के लिए विकासात्मक समन्वयन और अभिसरण महत्वपूर्ण है।

प्रशासनिक

- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम को लागू करने की योजना, प्रबंध और समीक्षा के लिए एक उपयुक्त समन्वयन और अभिसरण पद्धति स्थापित करनी चाहिए। सभी संबंधित मंत्रालय, जैसे— शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जल मंत्रालय, शहरी विकास और पंचायती राज मंत्रालय, इसके अंग होने चाहिए।
- कार्यक्रम लागू करने के लिए उपयुक्त नियोजन और समय पर वित्तीय संसाधनों, जैसे— जनशक्ति, आधारभूत संरचना और शिक्षण-अधिगम सामग्री के आवंटन को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- विद्यालय शिक्षा अधिकारियों और आई.सी.डी.एस. अधिकारियों के बीच राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर नियमित अंतर-विभागीय बैठकें आयोजित होनी चाहिए और इनमें आधारभूत स्तर पर सुधार के बारे में कार्रवाई बिंदु निकलने चाहिए।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एन.आई.पी.सी.सी.डी.), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.), विश्वविद्यालय, गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) और निजी क्षेत्र, टेक्निकल पार्टनर्स आदि एजेंसियों जिनके पास प्रारंभिक शिक्षा में तकनीकी विशेषता और अनुभव हैं, का एक संसाधन समूह बनाया जाना चाहिए जो बच्चों के साथ-साथ शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान करने और संसाधन सामग्री तैयार करने में मदद कर सके और पाठ्यचर्या विकसित कर सकें।
- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ई.सी.सी.ई. परिषद का गठन किया जाना चाहिए जैसा कि ई.सी.सी.ई. राष्ट्रीय नीति 2013 में दर्शाया गया है।
- पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में या बिल्कुल पास स्थित होने चाहिए। पूर्व-प्राथमिक के समय का प्राथमिक विद्यालय के साथ सही तालमेल होना चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय शिक्षा घटक का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में से एक को सशक्त संबंध विकसित करने, गुणवत्तापूर्ण और सहज पारगमन (पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक स्कूल में) सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी बना देना चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों को साझा किया जाना चाहिए। वार्षिक दिवस, खेलकूद दिवस, प्रात:कालीन सभा आदि जैसी गतिविधियाँ मिलकर की जानी चाहिए।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

- सभी अधिकारियों और चयनित निकायों तथा विभिन्न नागरिक समाज निकायों के सदस्यों

के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर अभिविन्यास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

- पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अधिगम और विकास के मध्य संबंधों पर समझ बनाने के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों, आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, प्राथमिक शिक्षकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए।
- क्षमता निर्माण और पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, (रा.शै.अ.प्र.प.) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.), एम.एल.टी.सी., आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की विभिन्न संसाधन एजेंसियों की भी साझेदारी होनी चाहिए।
- क्लस्टर संसाधन केंद्र, ब्लाक संसाधन केंद्र, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजरों आदि द्वारा ऑनसाइट मार्गदर्शन तथा अकादमिक मदद उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों, आँगनबाड़ी कार्यकताओं और अन्य संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.), बी.आर.सी., एम.एल.टी.सी., आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र और सी.आर.सी. की आधारभूत संरचनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

निगरानी और देखरेख

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कक्षा-कक्ष प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों की संयुक्त निगरानी और देखरेख होनी चाहिए।
- प्रधानाध्यापक को मौके पर ही शिक्षकों को मार्गदर्शन देना चाहिए।
- प्रधानाध्यापक को सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय परिसर में ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसकी देखरेख न हो।
- शिक्षकों और सहायकों को चाहिए कि वे विभिन्न खेल क्षेत्रों का अवलोकन तथा देखरेख करें।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के अभिभावक, विद्यालय प्रबंध समिति (एस.एम.सी.) के सदस्य होने चाहिए। इस समिति के सदस्यों को पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम की देखरेख करनी चाहिए और इसके सुचारु संचालन में मदद करनी चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय निरीक्षकों, क्षेत्रीय या मंडल स्तरीय शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों और राज्य शिक्षा अधिकारियों को चाहिए कि वे नियमित रूप से पूर्व-प्राथमिक विद्यालय परिसरों का दौरा करें और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय गतिविधियों की गुणवत्ता का अवलोकन करें। सभी अधिकारियों को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम का उद्देश्य समझना चाहिए।

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक को चाहिए कि वह पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों का 3 माह में कम से कम एक बार दौरा करें और जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करें। दौरे अर्थपूर्ण होने चाहिए और उन्हें प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त समय बिताना चाहिए। इन दौरों के समय, शिक्षकों का अभिविन्यास किया जाना चाहिए और उन्हें पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में हुए नए परिवर्तनों की जानकारी दी जानी चाहिए।

संदर्भ

एन.सी.टी.ई. 2009. *शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा— व्यावसायिक और मानवीय शिक्षक तैयार करने की दिशा में*. नई दिल्ली.

एम.एच.आर.डी. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

_____. 1992. *प्रोगाम ऑफ एक्शन*. शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली.

_____. 2010. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009. *भारत का राजपत्र*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

_____. 2013. स्टेटस रिपार्ट— पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक/शिक्षा के लिए *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार*. सी.ए.बी.ई. (केब) समिति, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली.

एम.डब्ल्यू.सी.डी. 2013. *राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) नीति*. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

_____. 2013. *राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. पाठ्यचर्या की रूपरेखा*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

_____. 2013. *ई.सी.सी.ई. के लिए गुणवत्ता मानक*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 1996. *प्री-स्कूल के लिए न्यूनतम विनिर्देश*. नई दिल्ली.

_____. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा*. नई दिल्ली.

_____. 2006. *ई.सी.ई. पर राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र (3.6)*.

_____. 2016. *निजी प्ले स्कूलों के लिए नियामक दिशानिर्देश*. शिक्षा प्रभाग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

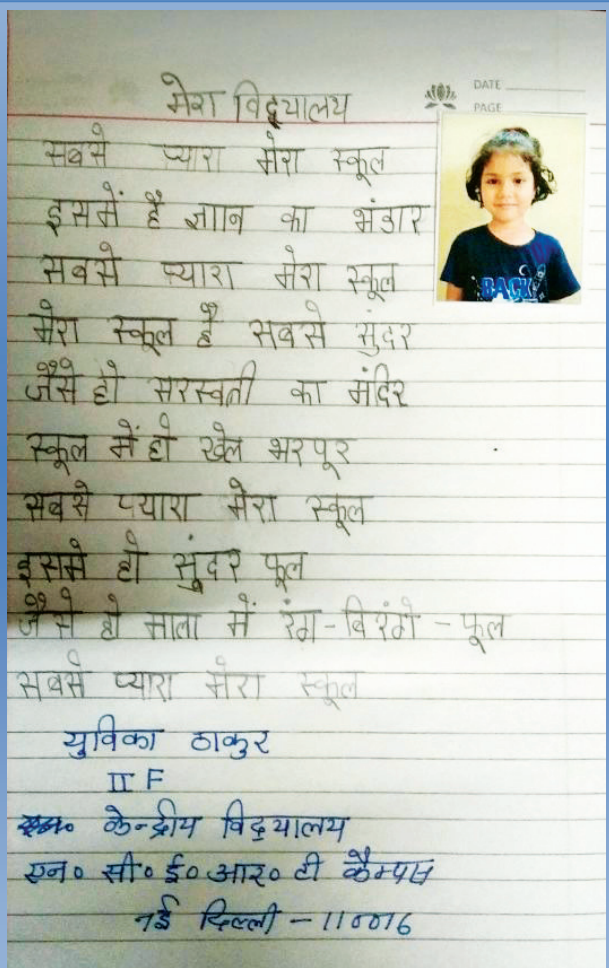

मेरा विद्यालय

सबसे प्यारा मेरा स्कूल
इसमें है ज्ञान का भंडार
सबसे प्यारा मेरा स्कूल
मेरा स्कूल है सबसे सुंदर
जैसे हो सरस्वती का मंदिर
स्कूल में हो खेल भरपूर
सबसे प्यारा मेरा स्कूल
इसमें हो सुंदर फूल
जैसे हो माला में रंग-बिरंगे - फूल
सबसे प्यारा मेरा स्कूल

युविका ठाकुर
II F
केन्द्रीय विद्यालय
एन० सी० ई० आर० टी कैम्पस
नई दिल्ली - 110016

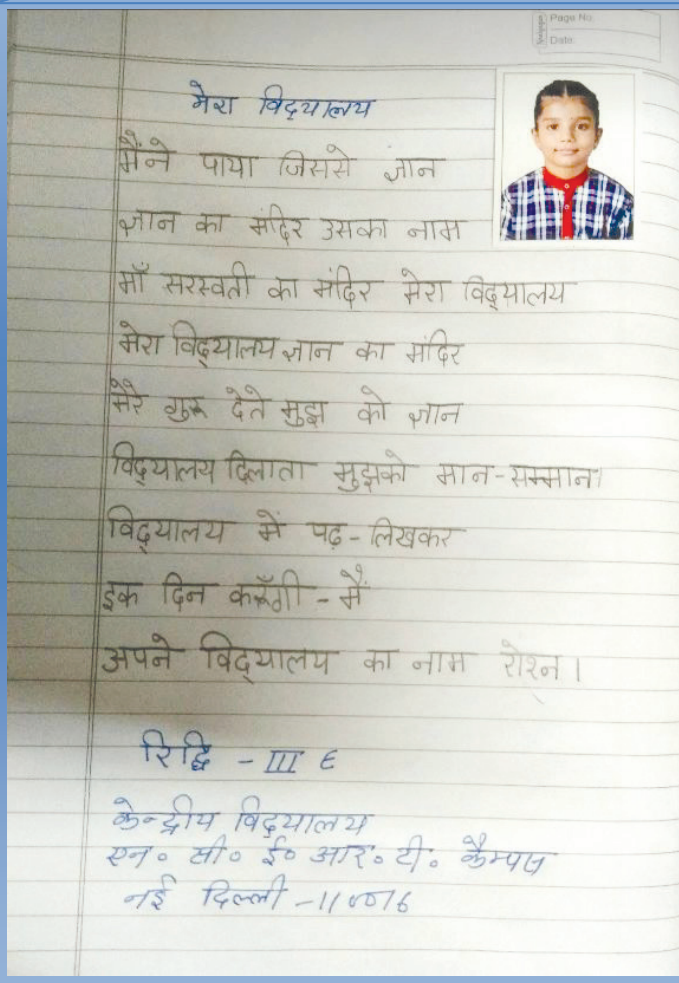

Page No.
Date:

मेरा विद्यालय

मैंने पाया जिससे ज्ञान
ज्ञान का मंदिर उसका नाम
माँ सरस्वती का मंदिर मेरा विद्यालय
मेरा विद्यालय ज्ञान का मंदिर
मेरे गुरू देते मुझ को ज्ञान
विद्यालय दिलाता मुझको मान-सम्मान।
विद्यालय में पढ़-लिखकर
इक दिन करूँगी-मैं
अपने विद्यालय का नाम रोशन।

रिद्धि - III E
केन्द्रीय विद्यालय
एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰ कैम्पस
नई दिल्ली-110016

निपुण लक्ष्य

कमलेंद्र कुमार*

आओ प्यारी सखी-सहेली
निपुण लक्ष्य अपना लें।
हँसते गाते खुशी मनाते
हम मंजिल को पा लें।।

नन्हे-मुन्ने हैं हम बच्चे
बाल वाटिका में आते।
खेल-कूद कर मौज मनाते
पढ़ते-हँसते सब गाते।
चहक-चहक कर चहके हम सब
गीत खुशी के गा लें।
आओ प्यारी सखी-सहेली
निपुण लक्ष्य अपना लें।।1।।

दस तक गिनती याद करेंगे,
अक्षर भी पहचानेंगे।
सरल शब्द को हम पढ़ लेंगे,
लक्ष्य शीघ्र ही भी पा लें।
तुरंत करेंगे काम आज का
कल पर उसे न टालें।
आओ प्यारी सखी-सहेली
निपुण लक्ष्य अपना लें।।2।।
पहली कक्षा के हम बच्चे,
मत समझो हमको कमज़ोर।
सरल शब्द हम पढ़ लेते हैं,
अक्षर अक्षर बाँधे डोर।
आगे बढ़े साथ हम मिलकर,
हाथ गले में डालें।
आओ प्यारी सखी-सहेली
निपुण लक्ष्य अपना लें।।3।।

सौ तक की पूरी हम गिनती,
झटपट ही पढ़ लेते हैं।
मेरे सर जी खूब पढ़ाते,
और प्यार भी देते हैं।
जोड़ घटाना कर लेते हैं
टेंशन हम तो ना लें।
आओ प्यारी सखी-सहेली
निपुण लक्ष्य अपना लें।।4।।

कक्षा दो के हम है बच्चे,
अर्थ समझ पढ़ लेते हैं
और तीन के हम हैं बच्चे,
सरल गुणा कर लेते हैं।
बेल बजी छुट्टी की अपनी,
बस्ता चलो सम्हालें।
आओ प्यारी सखी-सहेली
निपुण लक्ष्य अपना लें।।5।।

*प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, डगरु का पुरवा, ब्लॉक कुठौंद, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश 285 284

कारे-कारे बादल

अशोक कुमार ढोरिया*

कारे-कारे आ रे बादल
झूम-झूम के गा रे बादल।

बरसें बूँदें छन-छन छैया
भर जाएँ सब ताल तलैया
पीपल बरगद झूम उठे सब
गायें कोयल कहीं पपैया
उनसे भी बतला रे बादल
झूम-झूम के गा रे बादल।

झूम उठें गेहूँ की बाली
कहीं झुकी सरसों की डाली
महक उठे कहीं पालक धनिया
चहक रही फूलों पे लाली
बरस-बरस महका रे बादल
झूम-झूम के गा रे बादल।

कहीं पर झींगुर तान लगायें
कहीं मेंढक टर्र-टर्र टर्रायें
तिलचट्टों की फौज चले कहीं
कहीं पतंगे भी मंडरायें
यूँ ही तू मंडरा रे बादल
झूम-झूम के गा रे बादल।

**प्राथमिक शिक्षक*, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तुम्बाहेड़ी (झज्जर), हरियाणा

फार्म 4

(नियम 8 देखिए)

प्राथमिक शिक्षक

1.	प्रकाशन स्थान	नई दिल्ली
2.	प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3.	मुद्रक का नाम	चन्द्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क्स (प्रा.) लि., सी-40, सैक्टर-8, नोएडा - 201 301 (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।
	(क्या भारत का नागरिक है?)	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश का पता	लागू नहीं होता
	पता	
4.	प्रकाशक का नाम	अनूप कुमार राजपूत
	(क्या भारत का नागरिक है?)	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश का पता	लागू नहीं होता
	पता	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110 016
5.	अकादमिक मुख्य संपादक का नाम	पद्मा यादव एवं उषा शर्मा
	(क्या भारत का नागरिक है?)	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश का पता	लागू नहीं होता
	पता	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110 016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 (शिक्षा मंत्रालय की स्वायत्त संस्था)

मैं, अनूप कुमार राजपूत, *अध्यक्ष,* प्रकाशन प्रभाग एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर लिखे विवरण सत्य हैं।

अनूप कुमार राजपूत
प्रकाशन प्रभाग

लेखकों के लिए दिशा-निर्देश

- लेख सरल भाषा में तथा रोचक होना चाहिए।
- लेख की विषयवस्तु 2500 से 3000 या अधिक शब्दों में डबल स्पेस में टंकित होना वांछनीय है।
- चित्र कम से कम 300 dpi में होने चाहिए।
- तालिका, ग्राफ विषयवस्तु के साथ होने चाहिए।
- चित्र अलग से भेजे जाएँ तथा विषयवस्तु में उनका स्थान स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।
- शोधपत्रों के साथ कम से कम सारांश भी दिया जाए।
- लेखक लेख के साथ अपना संक्षिप्त विवरण तथा अपनी शैक्षिक विशेषज्ञता अवश्य भेजें।
- शोधपरक लेखों के साथ संदर्भ की सूची भी अवश्य दें।
- संदर्भ का प्रारूप एन.सी.ई.आर.टी. हाउस स्टाइल के अनुसार निम्नवत होना चाहिए—
  सेन गुप्त, मंजीत. 2013. *प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा*. पी.एच.आई. लर्निंग प्रा. लि., दिल्ली.

लेखक अपने मौलिक लेख या शोधपत्र सॉफ्टकॉपी (यूनिकोड में) के साथ निम्न पते पर या ई-मेल पर भेजें—

अकादमिक संपादक
प्राथमिक शिक्षक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016
ई-मेल – prathamik.shikshak@gmail.com

रजि. नं. 32427/76

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के मूल्य
Rates of National Council of Educational Research and Training Educational Journals

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	वार्षिक सदस्यता शुल्क
School Science (Quarterly) A Journal for Secondary Schools *स्कूल साइंस (त्रैमासिक)* *माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका*	₹ 55.00	₹ 220.00
Indian Educational Review A Half-yearly Research Journal *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)*	₹ 50.00	₹ 100.00
Journal of Indian Education (Quarterly) *जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)*	₹ 45.00	₹ 180.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) *Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)*	₹ 50.00	₹ 200.00
Primary Teacher (Quarterly) *प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)*	₹ 65.00	₹ 260.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) *Prathmik Shikshak (Quarterly)*	₹ 65.00	₹ 260.00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य व्यापार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016

ई-मेल – gg_cbm@rediffmail.com, फोन – 011-26562708, फैक्स – 011-26851070

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING